HUMAN RIGHTS WATCH

एक पराई विरासत

ब्रिटिश उपनिवेशवाद में "गुदा मैथुन" कानून के मूल

Copyright © 2009 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-488-5
Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300
hrwnyc@hrw.org

Poststraße 4-5
10178 Berlin, Germany
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629
berlin@hrw.org

Avenue des Gaulois, 7
1040 Brussels, Belgium
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471
hrwbe@hrw.org

64-66 Rue de Lausanne
1202 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791
hrwgva@hrw.org

2-12 Pentonville Road, 2nd Floor
London N1 9HF, UK
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800
hrwuk@hrw.org

27 Rue de Lisbonne
75008 Paris, France
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22
paris@hrw.org

1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500
Washington, DC 20009 USA
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333
hrwdc@hrw.org

Web Site Address: http://www.hrw.org

दिसम्बर **2008** **1-56432-488-5**

एक पराई विरासत

ब्रिटिश उपनिवेशवाद में "गुदा मैथुन" कानून के मूल

परिचय **1**

तीन मुकदमे 1

औपनिवेशिक कानून के समकालीन हिमायती 6

II. "गुदा मैथुन," उपनिवेशवाद और संहिताकरण 17

III. औपनिवेशिक सत्ता शरीर और उससे परे **34**

'आवारा "से 'हिजड़ा "तक 34

न्यायालयीन मिथक 41

IV. गुदा मैथुन कानून की व्याख्या: बढ़ते दायरे **47**

न्यायशास्त्र: 'प्रकृति के विरुद्ध अपराध "से जातीय मूल्यों तक 48

बलात्कार की अनदेखी और कलंक को बढ़ावा 59

"सकल अभद्रता" एवं महिला समलैंगिकता का अपराधीकरण 64

V निष्कर्ष: गैर अपराधीकरण की मुक्तिदायिनी संभावनाएं **69**

अनुशंसाएँ **86**

आभार **88**

परिचय

तीन मुकदमे

सन 2008 में, भारत के एक उच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में परिवर्तन करने के बाबत पेश हुआ एक मसला अनसुलझा खड़ा था. यह प्रावधान लगभग 150 वर्ष पुराना है. इसके अनुसार, "किसी भी स्त्री, पुरुष या जानवर के साथ प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग करने पर" आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.[1] यह कानून समलैंगिक आचरण को एक अापराधिक कृत्य करार देता है, चाहे वह आपसी सहमति से ही क्यों न हुआ हो और इस तरह यह कानून राज्य तंत्र को लाखों वयस्क भारतीयों के अंतरंग जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है.

लंबे समय से चल रहे इस मामले में, पांच साल पहले भारत के गृह मंत्रालय ने धारा 377 के समर्थन में एक हलफनामा प्रस्तुत किया. इसमें कहा गया था कि: "कानून समाज से अलग नहीं है यह सिर्फ समाज की अवधारणाओं का प्रतिबिम्ब है और धारा 377 को एक अधिनियम के रूप में अापराधिक कानून के तहत उस समय के भारतीय सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अंतर्गत लाया गया था. मंत्रालय का यह भी दावा है कि "ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पक्ष

[1] जैसा कि आगे विस्तार से बताया गया है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से व्युत्पन्न इस कानून की नज़र में सभी समलैंगिक कृत्य बराबर है चाहे वे आपसी सहमति से हुए हों या असहमति से, यहाँ तक कि यह कानून वयस्कों द्वारा किये गये समलैंगिक कृत्य और वयस्कों द्वारा बच्चों के यौन शोषण में भी कोई भेद नहीं करता है. इसलिए यह याचिका कानून को रद्द करने की बजाय उसे "सीमित करने" की गुज़ारिश करती है जिसके अंतर्गत वयस्कों के बीच आपसी सहमति से हुये समलैंगिक आचरण को गैर आपराधिक करार दिया जाये. यह कोर्ट से अनुरोध करती है कि धारा 377 को रद्द करने की बजाय उसे वयस्कों की असहमति या बच्चों के यौन शोषण की मामले में तब तक लागू रखा जाय जब तक भारत में एक आधुनिक, लिंग-तटस्थ बलात्कार कानून बनाया जाता है जिसमें बालकों के यौन शोषण के खिलाफ त्वरित कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा सके.

तुलना करने पर भी भारतीय समाज में, समलैंगिकता के अभ्यास के प्रति (स्त्रियों और पुरुषों दोनों के मामले में) कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई देती है'.[2]

लेकिन यह सरासर स्मृतिलोप है. धारा 377 की उत्पत्ति के समय "भारतीय सामाजिक मूल्यों या आचार" को ध्यान में रखा गया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से इसे भारत पर थोपा. जैसा कि इस मामले में याचिका दायर करने वालों ने जवाब में बताया भी है, कि इस धारा में केवल" ब्रिटिश जूडाई - ईसाई मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं.[3] यही नहीं, 16 अगस्त, 2008 को - भारत की आजादी की इकसठवी सालगिरह के बाद इस कानून के विरोधियों ने मुंबई में एक प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया और ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि "वह धारा 377 लगाने के परिणामस्वरूप जनित भीषण पीड़ा के लिये माफ़ी माँगे. और उन्होंने आगे कहा कि हम भारत सरकार से यह आव्हान करते हैं कि इस घृणित विदेशी विरासत का परित्याग करे जिसे हमारे देश से उन विदेशियों के साथ ही विदा हो जाना चाहिये था."[4] प्रदर्शन मार्च के लिये यह दिन ही इसलिए चुना गया क्योंकि समलैंगिक भारतीय नागरिक अब भी ब्रिटिश राज के कानूनों से बाध्य हैं जब कि सारा देश 1947 में इस दिन स्वतंत्र हो चुका था."[5]

इसी महीने, एक दूसरे मामले में, मलेशिया की एक अदालत में, पूर्व उप प्रधानमंत्री और अब विपक्ष के नेता ने अनवर इब्राहिम से सफाई मांगी. उनपर मलेशिया की दंड संहिता की धारा 377 के तहत एक पूर्व सहयोगी पुरुष के साथ यौन संबंध होने का आरोप था. इस धारा के अनुसार "प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग" कानूनन अपराध है.

---

[2] दिल्ली उच्च न्यायालय, नाज़ फाउंडेशन विरुद्द दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य (2005 की विशेष याचिका संख्या 7217-7218), प्रतिवादी न. 5 की ओर से विरोधी हलफनामे, http://www.lawyerscollective.org/hiv-aids/anti-sodomy/Documents (15 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[3] दिल्ली उच्च न्यायालय, नाज़ फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य (2005 की विशेष याचिका संख्या 7217-7218), भारत सरकार को जवाब ibid. (15 अगस्त, 2008 को उपलब्ध). देखें सुमित बौध, " ह्यूमन राइट्स एंड द क्रिमिनलाइज़ेशन अॉफ कन्सेन्सुअल सेम सेक्स सेक्सुअल एक्ट्स इन द कॉमनवेल्थ, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया", कामुकता पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया संसाधन केन्द्र द्वारा मई 2008. में जारी दस्तावेज

[4] जेरोम टेलर, "माइनारिटी रिपोर्ट: गे इन्डियन्स डिमान्ड अ ब्रिटिश एपॉलाजी" द इंडिपेंडेंट (यूके), 15 अगस्त, 2008.

[5] "समलैंगिक आजादी के बारे में," http://queerazaadi.wordpress.com/about/ (10 सितंबर 2008 को उपलब्ध).

अनवर पर चलाया गया यह दूसरा मुकदमा था जिसे मलेशियाई प्रेस ने सार्वभौमिक रूप से "गुदा मैथुन" का मुकदमा नामित किया. नौ साल पहले लगाये गये आरोपों की तरह यह दावे भी राजनैतिक रूप से प्रेरित दिखाई देते थे. अनवर संसदीय उप चुनाव के द्वारा राजनैतिक जीवन में वापसी की तैयारी कर रहे थे जब यह आरोप सामने आये. यदि मलेशिया की सरकार यह विश्वास करती है, जैसा कि भारत सरकार भी करती है, कि एक औपनिवेशिक युगीन कानून सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करता है, तो यह मामला मात्र अनवर को बदनाम करने के लिए एक तरीका ही था.

लेकिन आम राय जानने के लिये किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार मलेशिया के दो तिहाई लोगों के अनुसार इस प्रकरण के पीछे राजनैतिक कारण थे और केवल एक तिहाई लोगों को लगता था कि अनवर को मौजूदा आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में न्याय मिल सकेगा.[6] मलेशियाई लोगों की समलैंगिक आचरण के प्रति जो भी अवधारणा रही हो पर सरकार की निष्पक्ष प्रशासनिक क्षमता पर उन्हें विश्वास नहीं था.प्रस्तुत सबूतों के प्रति राज्य के बर्ताव से शक और शुबहों को ही बढ़ावा मिला. पुलिस ने आरोप को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता को, गुदा परीक्षाओं के लिये अस्पताल भेजा था. कई देशों में यह एक मानक प्रक्रिया है. परीक्षण के बाद जाहिरा तौर पर कोई सबूत नहीं मिला. यह परिणाम बाद में इंटरनेट पर भी लीक हो गये, और कुल मिलाकर सरकार को इस प्रकरण में शर्मिन्दगी का ही सामना करना पड़ा.

सरकार यह निर्णय भी नहीं कर पाई कि अनवर पर लगे गुदा मैथुन के आरोप को सहमति या असहमति से हुआ दर्ज करे. यह अनिश्चितता भी स्वाभाविक थी क्योंकि इन दोनो स्थितियों में कानूनन भेद अपेक्षाकृत नया था, और दोनों हाल में लगभग बराबर दंड का ही प्रावधान था तीसरा मामला युगांडा में प्रकाश में आया, जहां एक उभयलिंगी, समलैंगिक और परालिंगी (एल जी बी टी) लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन के तीन सदस्यों पर मुकदमा चल रहा था.इस

[6] ह्यूमन राइट्स वाच, "मलेशिया: विपक्ष के नेता के खिलाफ राजनीतिक आरोप रद्द करें,"(7 अगस्त, 2008).

संगठन ने कंपाला के एक एड्स सम्मेलन में सरकार की देश के उभयलिंगी, समलैंगिक और परालिंगी (एल जी बी टी) लोगों के बीच फैली महामारी के प्रति उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिये एक शांतिपूर्ण विरोध का मंचन किया. पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर आपराधिक अतिचार का आरोप लगाया.

ऊपरी तौर पर इस मामले का "गुदा मैथुन" या यौनिकता के साथ कुछ लेना देना नहीं था लेकिन "प्रकृति के नियम के विरुद्ध कामुक संभोग" को दंडित करने वाले यूगांडा के कानून की छाया इसमें साफ दिखती थी. आपराधिक कानून के अंतर्गत लागू यह धारा 140 भी एक ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत है, हालांकि 1990 में विधायिकों ने इसे और मजबूत बनाया है और इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा है. सरकार इस संशोधित कानून का इस्तेमाल समलैंगिकों को व समलैंगिक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए, उनके भाषणों पर पाबंदी लगाकर उन्हें बन्दी बनाने की धमकी देनें व उनके घरों पर छापा मारने के लिये करती है. अधिकारी भी एल जी बी टी लोगों के बीच एच आई वी/एड्स की रोकथाम के प्रयासों में अपनी निष्क्रियता या असफलता के बारे में बहाने बनाने के लिये इसी कानून का सहारा लेते हैं. उनकी इसी निष्क्रियता ने विरोध प्रदर्शनों को चिंगारी दी थी.चार साल पहले,सूचना मंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के अधिकारियों से मांग की थी कि एच आई वी/एड्स कार्यक्रमों और योजनाओं से एल जी बी टी लोगों को बाहर रखा जाये. इसके लिये समलैंगिक आचरण के खिलाफ कानून की दुहाई दी गई.[7] युगांडा के एड्स आयोग में,जो कि एड्स की रोकथाम और उपचार पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी देने के लिये के लिये केन्द्रीय संस्था है, एक प्रवक्ता ने 2006 में स्वीकार किया, कि इस विषय पर "राष्ट्रीय रणनीतिक ढांचे में उभयलिंगी व समलैंगिकों का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि समलैंगिकता का अभ्यास गैरकानूनी है."[8]

---

[7] "सरकार की समलैंगिकों के बारे में यू एन एड्स को चेतावनी," द डेली मॉनिटर (युगांडा), नवंबर 29, 2004.

[8] "युगांडा:बंद दरवाजों के पीछे समलैंगिक एच आई वी नीति से बाहर," प्लस न्यूज़, मार्च 17, 2006, http://www.plusnews.org/report.aspx?reportid=39429 (सितम्बर 13, 2007 को उपलब्ध.)

अतः, निस्संदेह रूप से, समलैंगिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ "अतिचार" का आरोप लगाने का उद्देश्य केवल असंतोष को दबाना नहीं ,वरन एक संदेश भेजना है कि "गुदा मैथुनिक" वाले, यानी वे लोग जो कि "यौन प्रवृत्ति" कानून को भंग करते हैं उनके लिए सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है". राष्ट्रपति यौवेरी मुसेवेनी ने, जिन्होंने एक दशक तक एल जी बी टी लोगों के अधिकारों के खिलाफ अभियान चलाया था, हर अवसर पर इस संदेश को प्रबलित किया. वह समलैंगिकता को "एक अवनत संस्कृति कहते थे....जो कि...पश्चिमी देशों द्वारा फैलाई जा रही है. उन्होने चेताया," यह एक खतरा है न केवल [ईसाई] विश्वासियों के लिए बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए."[9] उन्होने इसे “ठुकराने” के लिये यूगांडा के लोगों की सराहना की और यह भी कहा कि "स्त्री और पुरुष का अविवाहित रह जाना ही यूगांडा की परंपरा के खिलाफ है”.[10]

इस कानून के द्वारा इस "खतरे” का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन करने के लिए पूरी आबादी को ही तैयार किया गया. उदाहरण के लिए कंडोम के इस्तेमाल के खिलाफ अपने अभियानों के लिए प्रसिद्ध एक प्रभावशाली पादरी आग्रह करते है कि,"समलैंगिकों को कदापि युगांडा में एच आई वी/एड्स निरूपण के ढांचे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.यह एक अपराध है, और जब आप एक अपराध को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही उसे अपने कार्यक्रमों में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं हैं."[11] उसी मंत्री ने युगांडा के एल जी बी टी अधिकार कार्यकर्ताओं को “समलैंगिकों के हिमायती” बताते हुये उनके नाम, पते व फोटो एक वेबसाइट पर सूचीबद्ध कर दिये. इससे इस विस्फोटक वातावरण में यह लोग हिंसक प्रतिक्रियाओं के समक्ष पूरी तरह असुरक्षित हो गये. सन 2007 में,इन कार्यकर्ताओं की प्रेस वार्ता के बाद, सैकड़ों लोगों ने एल जी बी टी लोगों को "आपराधिक" और “प्रकृति के नियमों के खिलाफ” कहते हुए, और उनके खिलाफ सज़ा की मांग

---

[9] "मुसेवेनी चर्च के साथ, समलैंगिकों के विरुद्ध" न्यू विजन (युगांडा), अगस्त 17, 2008.

[10] "मुसेवेनी की समलैंगिक विरोधी मोर्चे को शाबाशी" न्यू विजन, 14 जुलाई, 2008.

[11] पादरी मार्टिन सेम्पा के हवाले से,"युगांडा: राजकीय होमोफोबिया से समलैंगिकों के लिये बढ़ता एच आई वी का खतरा- समलैंगिक कार्यकर्ता," प्लस न्यूज़, 24 अगस्त, 2007, http://www.plusnews.org/report.aspx?ReportID=73931 (12 सितंबर, 2007 को उपलब्ध).

करते हुये प्रदर्शन मार्च किया.[12] ऊपर से सरकार के मंत्रियों ने आगे चेतावनी दी कि इससे भी जटिल समलैंगिक विरोधी उपायों की ज़रूरत है. एक ने कहा," "शैतान हमारे देश पर हावी हो रहा है."[13]

औपनिवेशिक कानून के समकालीन हिमायती

दुनिया के 80 से अधिक देशों में अभी भी वयस्क पुरुषों के बीच, और अक्सर वयस्क स्त्रियों के बीच आपसी सहमति से हुए समलैंगिक आचरण को आपराधिक करार दिया जाता है.[14]

यह कानून व्यक्तिगत गोपनीयता पर आक्रमण तो हैं ही, ये असमानताओं को जन्म भी देते है. ये कुछ लोगों के लिये एक निचला दर्जा निश्चित करते है, जिसका निर्धारण उनकी शक्ल सूरत के अनुसार होता है, या वे किसे प्यार करते हैं इसके आधार पर. उनकी सबसे अंतरंग भावनाओं को " अप्राकृतिक" या “अवैध” घोषित कर उनकी गरिमा को नष्ट कर दिया जाता है. उन्हें नीचा दिखाया जाता है. इन्हे दुश्मन को बदनाम करने के लिए और किसी के कैरियर और जीवन को नष्ट करने के लिये भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ये हिंसा को बढ़ावा दे कर उसे दंड-मुक्ति दिलाते हैं. इनके द्वारा पुलिस और दूसरों को गिरफ्तार करने, ब्लैकमेल और शोषण करने की शक्ति मिल जाती है.इनके डर से लोग भूमिगत होने व गुमनामी का जीवन बिताने के लिये भी मजबूर हो जाते हैं.[15]

---

[12] ह्यूमन राइट्स वाच, "युगांडा: एच आई वी निवारण को बढ़ते होमोफोबिया से खतरा: पक्षपात और डर बढ़ाने में अमेरिका अपना योगदान रोके, "अक्तूबर 11, 2007.

[13] जेम्स साबा बुटोरो, मुसेवेनी सरकार में नैतिकता और ईमानदारी मंत्री के हवाले से, "राजनीति में शामिल हों : बालोकोले को बुटोरो का कहना " न्यू विजन (युगांडा), 18 दिसम्बर, 2007.

[14] एकदम सही संख्या की गणना करना बहुत मुश्किल है. पर इन में से प्रायः किसी भी कानून में "समलैंगिकता" या “समलैंगिक आचरण” शब्द का उल्लेख नहीं है (1869 में ही इस शब्द को गढ़ा गया); विभिन्न कानूनी प्रणालियों में शब्दावली का फर्क है, और इसी लिये कभी कभी व्याख्या करना मुश्किल होता है. (जैसा कि द्वितीय अध्याय में गुदा मैथुन के मूल अर्थ की चर्चा में दिखाई देता है) उदाहरण के लिए, मिस्र अक्सर सूचियों में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि मिस्र कानून के अनुसार "आदतन भ्रष्ट आचरण का अभ्यास [फुजुर] दंडनीय" है, लेकिन साथ ही साथ 1970 का उनका न्याय शास्त्र गुदा मैथुन को पुरुषों के बीच सहमति से हुये कामुक संभोग को भी संदर्भित करता है. इस विषय पर सबसे अच्छा काम डेनियल औटोसन का है. “ स्टेट स्पॉन्सर्ड होमोफोबिया: अ वर्ल्ड सर्वे अॉफ लॉज़ प्रोहिबिटिन्ग सेम सेक्स एक्टिविटी बिट्वीन कन्सेन्टिन्ग एडल्ट्स , एन इन्टरनेशनल गे एंड लेस्बियन एसोसिएशन (आई एल जी ए) रिपोर्ट, http://www.ilga.org/statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2008.pdf (1 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[15] संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार समिति ने 1994 में टूनेन विरुद्ध आस्ट्रेलिया मामले में इस कानून के विरोध में कहा कि समलैंगिक यौन आचरण के अपराधीकरण से बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. यह समिति अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक

जिन देशों में यह कानून लागू है, उनमें आधे से ज्यादा कभी एक ब्रिटिश उपनिवेश थे. इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक विरासत के बाद के इस अजीब जीवन का एक वर्णन किया गया है. यह बताती है कि कैसे एक ब्रिटिश कानून- धारा 377 का वह संस्करण, जिसे 1860 में भारतीय दंड संहिता में डाला गया- ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल हिस्सों में फैल गया.

औपनिवेशिक विधायकों और न्यायविदों ने इन कानूनों की नींव बिना किसी चर्चा या सांस्कृतिक परामर्श के डाली, ताकि उनके औपनिवेशिक नियंत्रण को मदद मिल सके. उनको यह विश्वास था कि वे इस कानून से प्रतिरोधी जनता के मन में यूरोपीय नैतिकता को गहरे बिठा पायेंगे. वास्तव में, वे यह कानून इसलिए लेकर आए क्योंकि उनकी समझ थी कि "देशी" संस्कृतियों में "विकृत" यौन संबंधों को पर्याप्त सजा नहीं दी जाती, तथा उपनिवेशी समाजों में यौन आचार की सही और निश्चित शिक्षा की आवश्यकता है. शाही शासकों के लिये इन समाजों की व्यवहारिक ऊष्णता को सहन करना मुश्किल था, और उनकी यह धारणा थी कि इन जातियों में एक “स्थानीय प्राकृतिक भ्रष्टता” होती है जिसे “गोरी” शुद्धता से अलग रखने की ज़रूरत है. इसमें दूसरे आचरण को प्रशंसा और संरक्षण की आवश्यकता है, और पहली को नियंत्रण व शासन की.

कानून की कसौटी पर धारा 377 एक से अधिक कारणों से एक आदर्श कानून था और है. उपनिवेशों में सुधार लाने के लिये और उपनिवेशकों को नैतिक पतन से रक्षा के लिये यह एक औपनिवेशिक प्रयास था जिसमें व्यवहार के मानक निर्धारित किये गये. किसी भी दंड संहिता में एकीकृत किया जाने वाला यह पहला औपनिवेशिक "गुदा मैथुन कानून" था और भारत, मलेशिया और युगांडा से आगे के देशों में भी इसे आदर्श माना गया. इसका प्रभाव एशिया से बढ़ कर प्रशांत द्वीपों, अफ्रीका, और लगभग हर उस देश में हुआ जहाँ ब्रिटिश शाही पताका फहरी.

अधिकार संधि (अाइ सी सी पी अार) की व्याख्या और अनुपालन पर नज़र रखती है.समिति ने पाया कि यौन अभिरुचि का मुद्दा (अाइ सी सी पी अार) के आर्टिकल नम्बर 2 और 26 के अंतर्गत भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित है.

एशिया और प्रशांत कालोनियों के इन देशों और उपनिवेशों को यह कानून ब्रिटिश विरासत में मिला: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, फिजी, हांगकांग, भारत, किरिबाती, मलेशिया, मालदीव, मार्शल द्वीप समूह, म्यांमार (बर्मा), नाउरू, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, सोलोमन आइलैंड्स, श्रीलंका, टोंगा, तुवालु, और पश्चिमी समोआ

अफ्रीकी देशों में जिनमें इसके दूसरे संस्करणों. को थोपा गया, वे हैं: बोत्सवाना, जाम्बिया, घाना[16], केन्या, लेसोथो, मलावी, मौरिशस, नाइजीरिया, सेशल्स, सिएरा लियोन, सोमालिया, स्वाजीलैंड, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, और ज़िम्बाब्वे.[17]

---

[16] घाना की दंड संहिता अन्य ब्रिटिश प्रेरित दंड संहिताओं से भिन्न है. इसमे सहमति से हुआ "गुदा मैथुन" अपराध तो है मगर केवल दुष्कर्म के रूप में परिभाषित किया गया है. घाना का कानून सीधे भारतीय दंड संहिता (या क्वींसलैंड की दंड संहिता) से व्युत्पन्न नहीं है ,जैसा कि अफ्रीका के अधिकांश अन्य ब्रिटिश-अफ्रीकी संहिताओं के विषय में कहा जा सकता है और जैसा कि नीचे विस्तार से बताया है. इस कानून की प्रारंभिक रूपरेखा के जनक एक उदारतावादी ब्रिटिश विधिवेत्ता आर एस राइट थे जिन पर स्वयं दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल के मुक्तिवादी आदर्शों का गहरा प्रभाव था. मिल के एक प्रसिद्द लेख में कहा गया है कि “किसी सभ्य समाज के एक सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्द सत्ता की शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र सही उद्देश्य उसे दूसरों का नुकसान करने से रोकना हो सकता है” (मिल, आन लिबर्टी हार्मड्सवर्थ, पेंगुइन, 1974, पृष्ठ संख्या 68). राइट की बनाई इस रूपरेखा को जमैका में तो लागू नहीं किया गया, लेकिन वह घाना के कानून का आधार बनी. देखें "आर एम एल फ्रीडलैंड की, “आर एस राइट्स मॉडल क्रिमिनल कोड: ए फार्गाटेन चैप्टर इन द हिस्ट्री अॉफ क्रिमिनल लॉ, आक्स्फोर्ड जर्नल अॉफ लीगल स्टडीज़, वॉल्यूम 1, नम्बर 3 (विंटर 1931), पृष्ठ 307-346).

[17] दक्षिण अफ्रीका को हालांकि ब्रिटिश द्वारा 1806 में जीत लिया गया पर नीदरलैंड्स के आम कानून, जो कि “रोमन डच" के नाम से जाना जाता था उसे वहां जारी रखा गया. यह कानून भी "गुदा मैथुन” को अपराध मानता था. आम कानून के अंतर्गत इस अपराध को अंततः रंगभेद हटने के बाद संवैधानिक न्यायालय द्वारा सन 1998 में रद्द कर दिया गया. (नीदरलैंड ने भी गुदा मैथुन को 1809 में अपराध मानने से इंकार कर दिया जब इस देश पर नेपोलियन का कब्जा हुआ. यह औपनिवेशिक कानून का एक विशिष्ट विरोधाभास ही था कि यह परिवर्तन नीदरलैंड की ही अफ्रीकी कॉलोनी को प्रभावित करने के लिए तीन साल देर से आया और उस कालोनी ने अपने पुराने रोमन डच कानून को उसके 1806 के स्वरूप में ही बनाये रखा और गुदा मैथुन बाद में भी वहाँ अपराध की तरह ही दर्ज़ रहा.) रोमन डच कानून दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी राज्य क्षेत्र में, जो कि अब जनादेश के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद नामीबिया बन गया है, भी लागू किया गया. नामीबिया में सामान्य कानून के अंतर्गत गुदा मैथुन अभी भी एक अपराध है. यही कानून जिम्बाब्वे में भी लागू है जिसकी औपनिवेशिक शुरुआत सेसिल रोड्स के केप टाउन स्थित ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीकी कंपनी की मालकियत से हुई थी. लेकिन रोडेशिया में रोमन-डच कानून की व्याख्या ब्रिटिश सामान्य कानून में प्रशिक्षित न्यायाधीशों द्वारा ही की गई, जिनकी यौन आचरण की समझ धारा 377 की परंपरा से बुरी तरह प्रभावित रही. संपूर्ण चर्चा के लिए देखें स्काट लांग की "बिफोर द लॉ, क्रिमिनलाइज़िंग सेक्शुअल कंडक्ट इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सदर्न अफ्रिकन सोसायटी” आलेख पुस्तक “मोर देन अ

इन देशों में, केवल न्यूजीलैंड (1986) में, ऑस्ट्रेलिया (राज्य दर राज्य, और क्षेत्र दर क्षेत्र), हांगकांग (1990 में, इस कॉलोनी के चीन लौटने के पहले), और फिजी (उच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा सन 2005 में) ही गुदा मैथुन कानून की ब्रिटिश विरासत को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ पाए हैं.

अन्य औपनिवेशिक शक्तियाँ इस कानून को बहुत दूर तक फैलाने में कम प्रभावी रहीं. फ्रांस ने 1791 में सहमति से किये समलैंगिक यौन आचरण को गैर अापराधिक करार दिया,[18] (लेकिन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कुछ फ्रांसीसी उपनिवेशक गुदा मैथुन कानून को कुछ देशों में लागू करने में सफल रहे जैसे कि बेनिन, कैमरून और सेनेगल में इसके कुछ संस्करण बच गये हैं). जर्मनी के कुख्यात अनुच्छेद 175 के अनुसार पुरुषों के बीच समलैंगिक आचरण बिस्मार्क के समय से लेकर नाजी राज तक दंडनीय अपराध रहा.[19] लेकिन जर्मनी के उपनिवेश अधिक नहीं थे, इसलिये इस कानून के पदचिन्ह भी धूमिल ही रहे.[20]

यह रिपोर्ट "गुदा मैथुन" और यूरोपीय औपनिवेशिक कानून की एक व्यापक समीक्षा होने का दावा नहीं करती है. य़ह केवल ब्रिटेन के विस्तृत प्रभाव वाले क्षेत्र में लंबे समय तक हुये अनुभवों पर ही केंद्रित है. गुदा मैथुन और यूरोपीय औपनिवेशिक कानून उपनिवेशों में कैसे परवान चढ़ा, इसकी समझ देना भी इस रिपोर्ट का ध्येय नहीं है. भारत के कानून की धारा 377 के वारिसों के अनुभवों को स्पष्ट रूप से समझ पाना ही इस रिपोर्ट का उद्देश्य है. (ब्रिटेन के कैरिबियाई उपनिवेश भारत के इस कानून से तो अप्रभावित रहे, पर वहां एक दूसरा ब्रिटिश कानून लागू हुआ. लेकिन उनकी भी चर्चा यहां नहीं की गई है.[21])

नेम:स्टेट स्पांसर्ड होमोफोबिया एंड इट्स कांसीक्वेंसेज़ इन साउथ अफ्रीका, ए ह्यूमन राइट्स वाच /इंटेर्नश्नल गे एंड लेस्बियन ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट 2003, पृष्ठ संख्या संख्या 256-299.

[18] नेपोलियन की सेनायें पराजित नेदरलैन्ड्स और अपने आगे बनने वाले उपनिवेशों में भी गुदा मैथुन का गैर अपराधीकरण कर पाईं.

[19] पूर्वी जर्मनी में 1957 में और पश्चिम जर्मनी में 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया.

[20] पहले विश्व युद्ध के बाद इसकी कॉलोनियों में से अधिकांश ब्रिटेन, फ्रांस, या बेल्जियम को हस्तांतरित हो गईं.

[21] देखें: हेटेड टु डेथ:होमोफोबिया, वायलेंस एंड जमैकाज़ एच आई वी / एड्स एपिडेमिक, ए ह्यूमन राइट्स वाच रिपोर्ट 2004.

ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के अंतिम दिनो में, कानूनी विशेषज्ञों ने 1957 की प्रसिद्ध वूल्फेंडन रिपोर्ट में एक सिफारिश की. इसमें आग्रह किया गया कि निजी जीवन में सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक व्यवहार को आपराधिक न माना जाये.
रिपोर्ट का आगे कहना था कि:

> कानून का उद्देश्य, लोक व्यवस्था और सभ्यता की रक्षा करना है, नागरिकों को आक्रामक या हानिकारक स्थितियों से बचाना है और दूसरों के शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है ।हमारे विचार में कानून का उद्देश्य किसी की निज़ी जिंदगी में हस्तक्षेप करना या किसी विशेष व्यवहार शैली को लागू करना नहीं है.[22]

इंग्लैंड और वेल्स में 1967 में सहमति से हुए अधिकतर समलैंगिक आचरण को गैर अपराधी करार दे दिया गया.[23] लेकिन यह बदलाव ब्रिटेन की अधिकांश कॉलोनियों के लिए बहुत देर से आए. ये देश सन1950 और 1960 के दशक में जब स्वतंत्र हुए थे ,तब गुदा मैथुन कानून ब्रितानी कानून का हिस्सा बना हुआ था.

उन स्वतंत्र देशों में से कुछ एक ने ही इस कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है. यह अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून और उदाहरणों द्वारा बदलाव की बढ़ती माँग के उदाहरणों के सामने बहुत आश्चर्य जनक है. इन देशों ने कुछ दूसरे उपनिवेश रहे देशों, जैसे इक्वाडोर, फिजी, और दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण की भी उपेक्षा की जहाँ यौन उन्मुखीकरण में समान अधिकारों का मसला अब उनके संविधानों में पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया गया है.

इसके अलावा न्यायाधीशों, जानी मानी हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने जिस तरह राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक प्रामाणिकता के द्योतकों के रूप में उन कानूनों का बचाव किया हैं वह निश्चित रूप

---

[22] द वुल्फेंडन रिपोर्ट: रिपोर्ट अॉफ द कमिटी आन होमोसेक्सुअल आफेंसेज़ एंड प्रास्टिट्यूशन (न्यूयॉर्क:स्टाइन एंड डे, 1963) पृष्ठ संख्या 23.

[23] स्कॉटलैंड ने 1980 में, और उत्तरी आयरलैंड ने 1982 में इन देशों का अनुगमन किया.

से अत्यंत आश्चर्यजनक है. यहाँ तक कि वे अब भी दावा कर रहे हैं कि समलैंगिक आचरण इन देशों में पश्चिमी औपनिवेशिकवाद की देन है. वे भूल गये हैं कि इस व्यवहार के विरुद्ध स्थानीय सरकारों को समलैंगिक आचरण का दमन करने के लिये सक्षम करने के इरादे से पहला दमनकारी कानून पश्चिम से ही लाया गया था.

1983 में गुदा मैथुन कानून पर चर्चा करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गर्व से घोषणा की कि "न तो अनुमोदक समाज के विचारों ने और न ही कुछ देशों द्वारा समलैंगिकता को स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया ने हमारी सोच को प्रभावित किया है."[24] यहां न्यायालयों ने जानबूझ कर खुद को वोल्फेंडॅन रिपोर्ट जैसे निष्कर्षों से दूर कर लिया है. और अंतिम विरोधाभास में वे इंग्लैंड को यौन पतन का वह साकार रूप होने का दोषी पाते हैं जिससे भारत को रक्षा की आवश्यकता है. एक न्यायाधीश का कहना था,"आवश्यकता है कि दोनों समाजों (ब्रिटिश और भारतीय) के विभिन्न मौलिक फर्क को मान लिया जाना चाहिये, विशेष तौर पर यौन अपराधों के क्षेत्र में."[25]

परिवर्तन विरोधियों ने यही तर्क अन्य देशों में भी पेश किया. हांगकांग के अधिकारियों ने, एक ब्रिटिश उपनिवेश होते हुये भी, वुल्फेंडन के सुझावों से प्रभावित कानूनी परिवर्तन का विरोध किया.[26] इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैनात आयोगों के समक्ष पेश मतों में एक यह भी था कि,""समलैंगिकता ब्रिटेन में आम हो सकती है, लेकिन हांगकांग में यह निश्चित रूप में आम नहीं है और यदि ऐसा है भी तो उन्हें कानूनी संरक्षण देना हमारी नैतिकता का हनन होगा."[27]

---

[24] फज़ल रब चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य, 1983 अखिल भारतीय रिपोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), पृष्ठ संख्या 323.

[25] कैलाश विरुद्ध हरियाणा राज्य, 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ संख्या 310 अनुच्छेद 8. वास्तव में, इतिहासकारों का कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन से पहले समलैंगिक आचरण की रोक थाम पर कोई जोर नहीं था. देखें सलीम किदवई और रूथ वनिता, संपादक सेम सेक्स लव इन इंडिया: रीडिंग्स फ्रॉम लिटरेचर एंड हिस्ट्री ("New York" here: सेंट मार्टिन प्रेस न्यूयॉर्क, 2000).

[26] देखें केरोल जे पीटर्सन,"वेल्यूज़ इन ट्रांज़िशन : द डवलप्मेंट अॉफ द गे एंड लेस्बियन राइट्स मूव्मेंट इन हांगकांग", लोयला अॉफ लास एंजेल्स इंटर्नेशनल एंड कंपेरेटिव लॉ जर्नल, वॉल्यूम 19, पृष्ठ संख्या 337-62.

[27] जनरल एसोसिएशन कॉव्लून जिला एसोसिएशन के द्वारा पेश किये और हांगकांग के विधि सुधार आयोग की रिपोर्ट में उद्धरित, समलैंगिक आचरण पर लागू कानून, जून 28,1982,http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rhomosexual-e.doc(8 अगस्त, 2008 को उपलब्ध) (हालांकि विधि सुधार आयोग ने वुल्फेंडन सिद्धांतों का समर्थन किया).

1990 में, एल जी बी टी समुदाय द्वारा लंबे समय तक वकालत करने के बाद ही, उपनिवेश ने आपसी सहमति से समलैंगिक यौन आचरण को गैर अापराधिक करार दिया.[28]

सिंगापुर की सरकार ने 2007 में एक लम्बी गर्मागर्म बहस के बाद भी अपने औपनिवेशिक कानून से मुक्ति पाने से इनकार कर दिया. इस निर्णय के समर्थकों ने ब्रिटिश कानून का हवाला देते हुए इसे जातीय सहचार का द्योतक कहा.[29] प्रधानमंत्री को दी गई एक याचिका में कई दशकों पहले उपनिवेश पर थोपे गये इस कानून को "सामाजिक बहुमत की भावनाओं का प्रतिबिंब भी कहा" उन्होंने आगे कहा कि "…. इसे निरस्त करना एक पारंपरिक समाज को समलैंगिकता स्वीकार करने पर बाध्य करने के लिये एक बहाना है, जिसके लिये वह तैयार नहीं है."[30] नवम्बर 2001 में, पड़ोसी मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने अनवर इब्राहिम पर पहले, "गुदा मैथुन" मुकदमे को प्रोत्साहित किया था, पूर्व औपनिवेशिक सत्ता को समलैंगिकता स्वीकार करने के लिये जिम्मेदार ठहराया. "ब्रिटिश लोग अपनी सरकार में समलैंगिक मंत्रियों को स्वीकार करते हैं" उसने कहा "लेकिन अगर वे कभी यहाँ अपने पुरुष प्रेमी को साथ लेकर आयें तो हम उन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे. हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे."[31]

सब सहारन अफ्रीका से इस कानून के बचाव में असाधारण और चरमपंथी तर्क प्रस्तुत किये गये. जिम्बाब्वे के राबर्ट मुगाबे द्वारा 1990 के दशक के प्रारम्भ में समलैंगिकों के विरुद्ध एक लम्बी और उग्र मुहिम शुरू की गई जिसमें उन्हें "गैर अफ्रीकी" और "कुत्तों और सूअरों से भी बदतर" कह कर बदनाम किया गया. मुगाबे यह कह कर भीड़ को उकसाते रहे कि "हम इस समलैंगिकता के

---

[28] उसने सहमति की निर्णायक आयु निश्चित की - 14 वर्ष विषम लिंगी यौन संबन्ध के लिये और 21 वर्ष पुरुषों के बीच यौन संबंध के लिए के लिए. जो इस नियम को तोड़ते पाये जायें उन समलैंगिक पुरुषों के लिए आजीवन कारावास तक की कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान रखा गया, जबकि विषम लिंगियों के लिये इसमें केवल पांच वर्ष के कारवास का प्रावधान था. इस निर्णय को सन 2006 तक ही अदालत में उलटा जा सका.

[29] मोहम्मद ऐदिल "री स्कोपिंग सेक्शन 377 ए :ए जक्स्टापोज़िशन अॉफ व्यूज़" ज्यूरिस इल्युमिने, वॉल्यूम 3, नम्बर 3 (जनवरी 2007), http://www.singaporelawreview.org/wp-content/uploads/2007/01/jurisjan07.pdf (25 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[30] "ओपेन लेटर टु प्राइम मिनिस्टर," कीप 377 ए डॉट कॉम, http://www.yawningbread.org/arch_2007/yax-799.htm (25 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[31] ह्यूमन राइट्स वाच वर्ल्ड रिपोर्ट 2002, "लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांस्जेंडर राइट्स" पृष्ठ संख्या 604.

खिलाफ हैं और जिम्बाब्वे में प्रमुखों के रूप में इस तरह की पश्चिमी प्रथाओं के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए और अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिये"[32] केन्या के राष्ट्रपति डैनियल आरप मोई ने भी समलैंगिकता के खिलाफ विस्फोटक ब्यानबाजी की. उन्होंने कहा कि "यह न सिर्फ अफ्रीकी परंपरा के खिलाफ है, बल्कि बाइबिल की शिक्षा के भी विरुद्ध है. हम कीनिया वासियों को इस महा विपत्ति के खतरों से सावधान करने से पीछे नहीं हटेंगे."[33] जाम्बिया में, एक सरकारी प्रवक्ता ने 1998 में इसे " गैर अफ्रीकी और समाज के लिए एक घृणित आचार जो कि नैतिक क्षय का जिम्मेदार होगा" घोषित किया. उप राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि "अगर किसी ने इसके बाद समलैंगिक अधिकारों को बढ़ावा दिया तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की जाएगी. हमे सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करने की आवश्यकता है."[34]

कुछ तर्क सम्मत आवाजें भी उठीं. नेल्सन मंडेला, जो कि एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे थे जिसे मानव अधिकारों के सुधारों पर गर्व था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी नेताओं की एक सभा में कहा कि समलैंगिकता "गैर अफ्रीकी," नहीं है, वह मात्र एक फर्क तरह का यौनिक आचरण है जिसे बहुत समय तक दबा कर रख गया ..... समलैंगिकता के साथ हम यूँ भी रह ही रहे हैं."[35] लेकिन बीतते समय के साथ पश्चिमी आचार के बचाव में स्वदेशी आवरण के पीछे से आती आवाज़ें और अधिक आक्रामक और प्रभावशाली होती गईं. नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो ने सन 2004 में अफ्रीका के बिशपों के समक्ष अपने भाषण में कहा कि "समलैंगिक अभ्यास स्पष्टतया बाइबिल के खिलाफ, अप्राकृतिक, और निश्चित रूप से गैर अफ्रीकी है." नाइजीरिया के एक स्तंभकार ने भी अपनी आवाज़ उनसे मिलाते हुए दावा किया कि जो लोग "मानव अधिकारों के अधिवक्ताओं के परिधान में आ कर आवाज़ उठा रहे हैं वे यौन विकृति, उर्फ समलैंगिकता को तार्किक जामा ही नहीं पहना रहे बल्कि इसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं... अति आवश्यक है कि इस सांस्कृतिक

[32] "मोर देन अ नेम: स्टेट स्पांसर्ड होमोफोबिआ एंड इट्स कांसीक्वेंसेज़ इन सदर्न अफ्रीका" में उद्धरित पृष्ठ संख्या 23.

[33] सिसो सिफो और बैरैक ओटिएनो, "युनाइटेड अगेंस्ट होमोसेक्सुएलिटी" न्यू अफ्रिकन दिसम्बर 1999.

[34] मोर देन अ नेम में उद्धरित, पृष्ठ संख्या 39.

[35] ग़िफ्ट सीसो सिफो और बैरक ओटियेनो, "युनाइटेड अगेंस्ट होमोसेक्सुएलिटी".

हमलावर सेना के खिलाफ तुरंत एक मज़बूत घेरा बन्दी की जाये, इससे पहले कि वह हमारी साँस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दे."[36]

सिंगापुर से नाइजीरिया तक अधिकतर उग्र विरोध ईसाई चर्चों की पैदाइश थी जिसके स्वयं के देशीपन पर संदेह किया जा सकता है. नाइजीरिया के एंग्लिकन चर्च के प्रमुख, आर्चबिशप पीटर अकिनोला, ने कुछ पश्चिमी चर्चों द्वारा समलैंगिकों को स्वीकृति दिए जाने पर उनने नियंत्रण में चल रहे छोटे चर्चों को ले कर अलग हो जाने की धमकी दी. एक ओर वह यह मानते हैं कि जिन मिशनरियों ने औपनिवेशिक अफ्रीका में अधिकतर धर्म परिवर्तन कराये उन्होंने "हमारी संस्कृति या हमारे रहन सहन में कुछ वैधता नहीं देखी."[37] लेकिन वे मिशनरियों की कठोर नैतिकता और समलैंगिकता के खिलाफ एक आयातित कानून को अफ्रीकी पहचान के लिए एक आवश्यक स्तम्भ मानते हैं.

एक विदेशी कानूनी विरासत को अपनाने की वजहें झूठ पर आधारित हैं. यह रिपोर्ट बताती है कि इसने किस तरह जीवन को नुकसान पहुँचाया है और सच को विकृत किया है. गुदा मैथुन कानून पूरे एशिया और सब सहारन अफ्रीका में उपनिवेशिकों द्वारा थोपे गये. किसी भी "देशी" ने कभी भी इन कानूनों के बनने में भाग नहीं लिया. उपनिवेशिकों की दृष्टि में देशी संस्कृतियों में यौन आचरण भ्रष्ट थे. समलैंगिकता की ओर उनका झुकाव इसी भ्रष्टता का हिस्सा था. उनकी समझ थी कि जहाँ उपनिवेशकों के पहुँचने से पहले लोग वर्जनाहीन थे, समलैंगिक कानून उन्हें सुधारेंगे और नैतिक पतन की छूत से उनके नये गोरे स्वामियों का बचाव करेंगे.

इस रिपोर्ट के अध्याय II में "गुदा मैथुन" या "बगरी" पर ब्रिटिश कानून के इतिहास को टटोला गया है, उसके मध्ययुगीन मूल से उन्नीसवीं सदी तक के सफर पर, जब कि इसके अंतर्गत सामान्य कानून को युक्तिसंगत बनाने का प्रयत्न किया गया, नज़र डालता है. भारतीय दंड संहिता के पहले प्रारूप में, जो कि इस साम्राज्य में आपराधिक संहिता लागू करने के लिये इस विषय का पहला

---

[36] बीसी ओलॉअन्मि,"होमोसेक्सुएलिटी एंड इट्स अपासल्स" वैनगार्ड (लागोस), मार्च 10, 2004.

[37] क्रेग टिम्बर्ग, "नाइजीरियन चर्चज़ टेल वेस्ट टु प्रैक्टिस वाट इट प्रीचेज़ आन गेज़" उद्धरित वाशिंगटन पोस्ट, अक्तूबर 24, 2005.

परीक्षण था कि कहीं भी एक व्यवस्थित कानून किस तरह काम करेगा, औपनिवेशिक अधिकारियों ने गुदा मैथुन को एक अपराध करार दिया और उसके अर्थ को व्यापक संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया में परिष्कृत किया. इसकी शुरुआत भारत में हुई और नाइजीरिया होते हुये शाही नौकरशाह के बाकी सामान के साथ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भी पहुँची.

अध्याय III में दिखाया गया है कि कैसे गुदा मैथुन सम्बन्धित प्रावधानों ने अन्य कानूनों और प्रथाओं से जुड़कर औपनिवेशिक राज्य के अधिकारों को और मज़बूती दी: वे कानून, जिनके अनुसार पूरी की पूरी आबादियों को "अपराधी" माना गया और ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता मिली जो कुछ लोगों के शरीर को ही विकृत करार देती हैं. दोनों ने माना कि कानून न केवल विशिष्ट यौन आचरण को दंडित करता है साथ ही कुछ खतरनाक लोगों पर नियंत्रण भी करता है.[38]

अध्याय IV बताता है कि कैसे उपनिवेशवाद के तहत और नव स्वतंत्र राज्यों में भी, अदालतों ने इस औपनिवेशिक संहिता में निर्धारित अस्पष्ट भाषा की व्याख्या की. यहाँ तीन विषय प्रमुखता से उभरते हैं वे हैं:

- पहला, न्यायाधीशों ने ज्यादा से ज्यादा यौन क्रियाओं को कानून के व्यापक दायरे में लाकर दंडनीय बनाने की कोशिश की. यह प्रयत्न अपने ही आवेश में मुहाना और अंग, इच्छा और विस्तार के साथ लगभग हास्यास्पद रूप से जुड़ गया.
- दूसरे, गुदा मैथुन कानून लगभग पूरी तरह से सहमति या साथी की उम्र के आधार पर कोई भेद कर पाने में असफल रहा. समलैंगिक आचरण के लिए न्यायाधीशों के मन में जो घृणा थी उसके कारण ये मुद्दे दरकिनार कर दिये गये और "समलैंगिक" की छवि कानून के समक्ष बाल यौन अपराधी और बलात्कार से जुडे एक यौन राक्षस के कलंकित रूप में उभरी.

[38] देखें लेस्ली जे मार्गन, "द होमोसेक्सुअलाइज़ेशन अॉफ इंग्लिश लॉ" दीदी हर्मैन एंड कार्ल स्टिचिन, एड्स लीगल इन्वर्ज़न्स लेस्बियंस,गे मेन एंड द पालिटिक्स अॉफ लॉ, संपादक (फिलाडेल्फिया: टेम्पल विश्वविद्यालय, 1995).

- अंत में, “सकल अभद्रता” पर ब्रिटेन के उपबंधों ने पुलिस को अवसर दिया कि संदेह या बाह्याकृति के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करे. इन्ही कानूनों ने महिलाओं के बीच यौन संबधों के अपराधीकरण के लिये सरकार के लिए रास्ते भी खोले.

अध्याय V अंत में यह बताता है कि इन देशों में गुदा मैथुन कानूनों का वास्तविक असर क्या रहा. उनका लक्ष्य सिर्फ कृत्यों को दंडित करना नहीं रहा. वे एक ऐसी नैतिकता को चिन्हित करते हैं जिसके अंतर्गत एक खास किस्म के लोगों को अनुमानों और पक्षपात के आधार पर पृथक करके दूसरे दर्ज़े के नागरिकों या मानव से भी कम का दर्जा दिया जा रहा है. इन कानूनों को खत्म करना एक मानव आधिकारिक दायित्व है. इसका अर्थ जनसंख्या के एक हिस्से को हिंसा और भय से मुक्त कराना होगा. इसके साथ ही पर-औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था को आयातित और तानाशाही रूप से लगाई कृत्रिम असमानताओं से स्वतंत्र करना भी है.

II. "गुदा मैथुन," उपनिवेशवाद और संहिताकरण

यूरोपियन लोग जो कानून लेकर आए, उसके पीछे का एक लम्बा इतिहास भी स्वतः साथ आया. अंग्रेजी कानून की तारीख में "गुदा मैथुन" के प्रथम उल्लेख दो मध्ययुगीन प्रबंधनों फ़्लेटा और ब्रिट्टन के अंतर्गत आये. इनसे पता चलता है कि यौन आचरण संबधित बाध्यताएं किस तरह ईसाई यूरोप की अन्य दुष्चिंताओं से जुड़ी हुई थीं.[39]

फ्लेटा के अनुसार "धर्म त्यागी ईसाई, जादू टोना करने वाले और इस तरह के और लोगों को ढूंढ़ ढूंढ़ कर जला देना चाहिए. जो लोग यहूदियों से जुडे हैं या वहशीपन या गुदा मैथुन के दोषी हैं उन्हें जमीन में जिंदा दफनाया जाए यदि वे इन गतिविधियों में पकडे गये हों, और यदि वे वैध और खुली गवाही द्वारा कानूनन दोषी पाये गये हों." इसी बीच ब्रिट्टन ने "सार्वजनिक रूप से दोषी पाये गये जादू टोना करने वालों, स्वधर्म त्यागियों, गुदा मैथुन रत और विधर्मियों" को जला देने का आदेश दिया."[40] दोनों प्रबंधनों के अंतर्गत गुदा मैथुन को परमेश्वर के खिलाफ एक अपराध के रूप में देखा गया. हालांकि इसे धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक शुद्धता के खिलाफ अपराधों में वर्गीकृत किया गया. इनमें यहूदियों या ईसाई धर्म त्यागियों के और अन्य धार्मिक या नस्लीय अपवित्रीकरण भी शामिल किये गये.

अपराधों के इस चुनिंदा मिश्रण की कहानी स्पष्ट थी. यह बाकी यूरोप के मध्ययुगीन गुदा मैथुन कानून की कहानी से बहुत मिलती जुलती थी. इसके अनुसार केवल पुरुषों के बीच यौन संबन्ध ही

---

[39] फ्लेटा सो कमेंटरियस जूरिस एंग्लिकानी, एडवर्ड 1 की अदालत में सन 1290 में अंग्रेजी कानून का एक लातिनी सर्वेक्षण था (कथित तौर पर एक पद च्युत लेखक ने इसे तब लिखा जब उसे फ्लीट कारावास में बंद कर रखा गया था, वहीं से यह नाम लिया गया है) फ्लेटा, संपादन और अनुवाद एच. जी रिचर्डसन और जी ओ सेयेल्स (लंदन: क्वारिच 1955). ब्रिट्टन कुछ समय बाद नोर्मन फ्रेंच में लिखा गया था. देखें हाइनरिच ब्रुनर, द सोर्स अॉफ लॉ, अनुवाद विलियम हेस्टी (एडिनबर्ग: टी टी क्लार्क, 1888), और हैम्प्टन एल कार्सन, "अ प्ली फोर द स्टडी अॉफ ब्रिट्टन," येल लॉ जर्नल, वॉल्यूम23, नम्बर 8 (1914), पृष्ठ संख्या 664-671.

[40] फ्लेटा , लेस्ली मोरेन, द होमोसेक्सुएलिटी अॉफ लॉ (लंदन: रूटलेज 1996) में उद्धरित ,पृष्ठ संख्या 213, नम्बर 2; ब्रिट्टन, डेरिक शेर्विन बेली, होमोसेक्सुएलिटी एंड द वेस्टर्न क्रिस्चियन ट्रेडिशन (लंदन: लोंग्मेंस 1955) पृष्ठ संख्या 86 में उद्धरित. और देखें माइकल गुडरिच "सोडोमी इन मेडीवल सेक्युलर लॉ" जर्नल ऑफ होमोसेक्सुएलिटी, वॉल्यूम 1 (1976), पृष्ठ संख्या 295-302.

अपराध नहीं थे, बल्कि किसी भी यौन क्रिया को, जिसे प्रदूषणात्मक माना जा सकता था, इसमें शामिल किया जा सकता था. कहीं कहीं तो यहूदियों के अलावा तुर्की और साराचेनियों के साथ संभोग भी इनमें शामिल था.[41]

कुछ हद तक यह एक ईसाई धर्मशास्त्रीय विभेद का अवशेष है, जिसके अनुसार यौन सुख ही दूषण का जनक है, और इसे केवल उस हद तक सहा जा सकता है, जब तक कि यह प्रजनन में सहायक हो (विशेष रूप से ईसाईयों के लिये).[42] लेकिन तर्क सम्मत दृष्टि से लगता है कि सामाजिक वर्गीकरण की सीमाओं के आपसी सम्बन्धों से मिटने की प्रक्रिया के प्रदूषणात्मक असर के विषय में यह मध्ययुगीन समाज की आशंकाएं थीं जो विभिन्न रूपों में परिलक्षित हो रही थीं.

इतिहासकार आर आइ मूर के अनुसार ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में यूरोप में एक “अत्याचारी समाज" का जन्म हुआ, जिसके निशाने पर समाज के भीतर के कई हिस्से- जैसे कि यहूदी, कोढ़ी, विधर्मी, जादूगरनियाँ, वेश्याएं और गुदा मैथुनी- या जो भी समाज की पवित्रता के लिये खतरे के रूप में देखे जाते थे और सामाजिक नैतिकता को भ्रष्ट कर सकते थे, ही दुश्मन थे, और इन्हें बहिष्कृत करके इन्हें नियंत्रित करना था.[43] इन लोगों तथा अन्य समूहों के साथ, बीच बीच में दमनकारी गतिविधियों में उछाल, आने वाली कई सदियों तक यूरोपियन कानून का परिचायक बना रहा. गुदा मैथुन एक प्रदूषक था, और इसे दंडित कर के नस्लीय और धार्मिक पहचान को सुनिश्चित किया जाता था. ब्रिटिश अधिकारियों ने बाद में "गुदा मैथुन" कानूनों को औपनिवेशिक संदर्भों में समाहित करने में जो उत्साह दिखाया, जब कि वे खुद पूरी तरह से संहिताबद्ध भी नहीं हुए

---

[41] लॉन्ग़ 2003, पृष्ठ संख्या 260; और देखें डेविड एफ ग्रीनबर्ग द कंस्ट्रक्शन ऑफ होमोसेक्सुएलिटी (शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय, 1988) पृष्ठ संख्या 274-92.

[42] यौन व्यवहार और यौन कल्पना पर ईसाई उपदेशों को पहली और आठवीं सदी के बीच धर्माचार्य संबन्धी साहित्य में काफी परिष्कृत किया गया. इसमे यौन गतिविधियों में खुशी का पुट कम करने और प्रजनन की संभावनाएं बढ़ाने पर अधिकतम जोर दिया गया. "मिशनरी" की स्थिति के अलावा, विषमलैंगिक योनि संभोग सहित, सभी यौनिक क्रियाओं को, उस हद तक "अप्राकृतिक" वर्गीकृत किया गया जहां आनंद प्राप्ति का पुट यौन क्रिया के शुद्ध प्रजननिक रूप से अधिक था. देखें जेम्स ए ब्रुन्डेज सेक्स, लॉ, एंड मैरिज इन द मिडिल एजेज़: कलेक्टेड स्टडीज़ (एल्डरशॉट: वेरियोरम1993).

[43] आर आई मूर, द फॉर्मेशन ऑफ ए परसीक्यूटिन्ग सोसायटी (लंदन: ब्लैकवेल, 1987); और देखें, मेरी डगलस, प्योरिटी एंड डेन्जर:एन एनालिसिस अॉफ द कान्सेप्टस अाफ पोल्यूशन एंड टैबू (लंदन: रूटलेज, 2002).

थे, इस से इस कानून की श्रेणी के मूल का परिचय मिलता है. यह ईसाई, यूरोपीय आत्म को उन पराई संस्थाओं से अलग रखने एक रास्ता था जिनसे उन्हें संक्रमण का खतरा था.

सोलहवीं सदी में इंग्लैंड में, राजा हेनरी VIII कैथोलिक चर्च से अलग हो गये, परिणामतः देश के सामान्य कानून में बहुत बदलाव किये गये क्योंकि अब तक जो अपराध चर्च के न्यायालयों में सुलझाये जाते थे उनकी सुनवाई धर्मनिरपेक्ष न्यायालयों में होनी थी. अनेक यौन अपराध इस श्रेणी में आते थे. सन 1533 के एक क़ानून में "गुदा मैथुन" चर्च की बजाय दोबारा राज्य के कानून में भी अपराध की तरह दर्ज हो गया. "बगरी" नाम के अंतर्गत "इंसान या जानवर के साथ गुदा मैथुन का घिनौना अपराध", मौत से दंडित किया गया.[44] किसी न किसी रूप में, यह कानून 1861 तक चला. इंग्लैंड में "बगरी" करने पर अंतिम ज्ञात मृत्यु दंड पर सन1836 में अमल किया गया.[45]

"बगरी" या" "गुदा मैथुन" से जुड़ी रहस्यात्मकता और प्रदूषणात्मक शक्ति के कारण उसे परिभाषित करने की नीरस कानूनी प्रक्रिया और जटिल हो गई. स्पष्ट परिभाषा देने में खतरा था क्योंकि यहाँ खेल संदूषण से चल रहा था. विधिवेत्ता एडवर्ड कोक, ने अपने सत्रहवीं सदी के अंग्रेजी कानून के संकलन में लिखा भी कि "बगरी एक घृणित पाप है, जिसका ईसाइयों के बीच नाम भी नहीं लिया जा सकता" उन्होंनें इस शब्द की विदेशी व्युत्पत्ति पर बल देते हुये कहा कि यह -"एक इतालवी शब्द" है-और क्रिया भी: "संसद में भी शिकायत हुई कि लुम्बार्ड्स ही गुदा मैथुन के शर्मनाक पाप को इस राज्य में लेकर आए जिसका कि नाम भी नहीं लिया जाना चाहिये." उन्होंनें फिर भी इसे एक ऐसा कृत्य नामित किया जो "यौनिक प्रवृत्ति वाले लोगों द्वारा ईश्वर के अध्यादेश के खिलाफ,

---

[44] "बगरी" शब्द फ्रेंच "बूगर" से निकला जो बुल्गारिया में निखरे मध्ययुगीन बोगोमील पाषंड के रास्ते से व्युत्पन्न हुआ. फिर, यौनिक और धार्मिक (और नस्लीय) "विचलन" का आपस में अंतरंग जुड़ाव था. देखें बेली, पृष्ठ संख्या 147-49, और एच. मॉटगोमरी हाइड, "द लव देट डेयर्ड नॉट स्पीक इट्स नेम: ए कैन्डिड हिस्ट्री ऑफ होमोसेक्सुएलिटी इन ब्रिटेन (बोस्टन: लिटिल ब्राउन, 1970). बीस साल बाद क्वीन मैरी के राज्य में कैथोलिक संप्रदाय के लौटने के साथ, इस कानून को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि यौन अपराधों को फिर धार्मिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में भेज दिया गया. इसे प्रोटेस्टेंट महारानी एलिजाबेथ I के तहत सन 1563 में पुनः अधिनियमित किया गया. देखें केनेथ बॉरिस, सेम सेक्स डिजायर इन द इन्गलिश रेनेसॉन्स: ए सोर्स बुक अॉफ टेक्स्ट्स,1470-1650 (लंदन: रूटलेज, 2004).

[45] हाइड, पृष्ठ संख्या 142.

प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, मानव का मानव से, या पशु से, या स्त्रियों का पशु से" किया गया हो."[46] कोक ने निर्दिष्ट किया कि दो पुरुष या एक आदमी और एक औरत के बीच, गुदा द्वार से संभोग, वहशीता के साथ, इस नाम में शामिल थे.

"गुदा मैथुन" का स्पष्ट वर्णन करना जोखिम का काम था इसलिये इससे परहेज किया जाना ठीक था. सन 1842 में ब्रिटिश अदालत में केन्सिंगटन गार्डन्स के आसपास के क्षेत्र में एक मामले में एक आदमी पर दुष्कृत्य करने के आरोप लगे, जिसे "भद्दा, दुष्ट, गंदा, अमानुषिक, अप्राकृतिक, गुदा मैथुनिक" बताया गया. बचाव पक्ष ने आपत्ति की कि इन विशेषणों से कोई संकेत नहीं मिलता कि वास्तव में अपराध आखिर था क्या.[47] यह अस्पष्टता तब और बड़ा मुद्दा बन गया जब उन्नीसवीं सदी में सुधारकों ने ब्रिटिश सामान्य कानून और कानूनी संहिताओं को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करना शुरू किया. सन 1861 के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश कानून के अधिकांश शारीरिक अपराध और हिंसक कृत्य एक सुव्यवस्थित "आधुनिक" विधा में समेकित किये गये थे, अभी भी अधिकतर शारीरिक हमले से सम्बन्धित कानून का आधार था. उसमें बगरी (सहमति से और अहिंसक) का अपराध शामिल था, और इसमें मृत्यु दंड को खत्म कर के दस साल से आजीवन कैद का प्रावधान रखा गया था.

कम लोग जानते हैं कि यौन अपराधों के संहिताबद्ध करने का काम बहुत पहले, 1825 में शुरू हुआ था. यह तब शुरु हुआ था जब एक जनादेश के द्वारा भारतीय उपनिवेश के लिए कानून बनाने का काम राजनीतिज्ञ और इतिहासकार थॉमस बैबिन्गटन मैकॉले को दिया गया था. मैकॉले ने पहले भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की और वे भारतीय दंड संहिता के मुख्य प्रारूपक थे- जो कि ब्रिटिश राज्य में कहीं भी व्यापक संहिताबद्ध आपराधिक कानून बनाने का पहला अवसर था .[48]

---

[46] एडवर्ड कोक, द थर्ड पार्ट अॉफ द इन्स्टिट्यूट्स ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड, कैप एक्स , "ऑफ बगरी, ऑर सोडोमी (ई. एंड आर ब्रुक के लिए मुद्रित, 1797), पृष्ठ संख्या 58.

[47] न्यायाधीश सहमत थे कि इस अभियोग में अपशब्द अस्पष्ट थे. तथापि वे कहते हैं कि बस "बगरी" शब्द जोड़ने से "विशेषणों द्वारा वर्णित गर्भित आशय को दर्शाया जा सकेगा." आर वी रोड, मोरैन 1996, में उद्धरित.पृष्ठ संख्या 38 ff.

[48] एम वाय फ्रीडलैन्ड "कोडिफिकेशन इन द कॉमनवेल्थ :अर्लियर एफर्टस," कॉमनवेल्थ लॉ बुलेटिन, वॉल्यूम. 18 (जुलाई 1992), पृष्ठ संख्या 1172.

औपनिवेशिक पर्यावरण कानून के युक्तिसंगतिकरण और व्यवस्थापन प्रयोगों के लिए सही क्षेत्र था. यह उपनिवेष जैसे निष्क्रिय प्रयोगशालाएं थीं. एक उन्नीसवीं सदी इतिहासकार का यह कहना था कि भारतीय दंड संहिता सफल है क्योंकि यहाँ ब्रिटेन के विपरीत, ब्रिटिश सरकार "एक विशिष्ट सामूहिक मत" व्यक्त कर पाई और "लोकप्रिय चर्चा के द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधा के बिना इसे लागू कर पाना" संभव हुआ[49] एxक एकीकृत संहिता का यह निरंकुश आरोपण "आपराधिक कानून के मुद्दों से जुडे प्रश्नों पर विवाद कर सकने वाली भारतीय जनता की राय के विकसित न होने की" स्थिति में हो पाया. मैकॉले को इस "प्रयोग" के लिए एक "साफ मैदान" मिला.[50]

"देशी" पर्यावरण से नैतिक संक्रमण की आशंका के कारण यह अति आवश्यक हो गया कि गुदा मैथुन के खिलाफ प्रावधानों को औपनिवेशिक संहिता में डाला जाये. ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन की एक उप परंपरा ने ब्रिटेन के उपनिवेशी देशों में बड़े पैमाने पर फैली समलैंगिकता की चेतावनी दी. उदाहरण के लिए, एक अन्वेषक रिचर्ड बर्टन ने एक " सोटडिक जोन" (अश्लील क्षेत्र) की अभिधारणा की जो कि इस ग्रह के चारों ओर भूमध्य रेखा की 43 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ था, जिस में "दुराचरण लोकप्रिय और बहुप्रचलित है जब कि परिभाषित सीमा के उत्तर और दक्षिण में, नस्लें दुराचार यदा कदा, साथियों की बदनामी के मध्य कर पाती हैं."[51]

यूरोपीय संहिताकारक निश्चित रूप से - "देशी" तौर तरीकों को सही करना और उनका ईसाईकरण करना एक नैतिक दायित्व समझते थे. इसके साथ साथ ईसाईयत को भी भ्रष्ट होने से बचाया जाना

---

[49] जे एफ स्टीफन,अ हिस्ट्री ऑफ द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैन्ड (लंदन: मैकमिलन, 1883), वॉल्यूम III , पृष्ठ संख्या 304.

[50] राधिका सिंहा, अ डेस्पॉटिज़्म ऑफ लॉ: क्राइम एंड जस्टिस इन अर्ली कोलोनियल इन्डिया (लंदन: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 1998). इन्हें भी देखें ,एलिजाबेथ कोल्स्की, "कोडिफिकेशन एंड रूल ऑफ कॉलोनियल डिफरेन्स :क्रिमिनल प्रोसीजर इन ब्रिटिश इन्डिया," लॉ एंड हिस्ट्री रिव्यू, वॉल्यूम. 23, नंबर 3 (2005), http://www.historycooperative.org/journals/lhr/23.3/kolsky.html (8 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[51] रॉबर्ट ऐल्ड्रिच, कॉलोनियलिज्म एंड होमोसेक्सुएलिटी (लंदन:रूटलेज, 2003), में उद्धरित पृष्ठ संख्या 31. या, जैसा लॉर्ड बायरन ने इसी तरह के किंतु विषमलैंगिक "दुराचार" के बारे में अपने सिद्धान्त में कहा: "जिसे मानव बाँकपन कहते हैं, और परमेश्वर व्यभिचार कहते हैं, उष्ण इलाकों में बहुत सामान्य है," डॉन जुऑन, कान्टो I, छंद 63 में उद्धरित.

था. इतिहासकारों ने यह दस्तावेजित किया है कि कैसे ब्रिटेन के अधिकारियों को भय था कि सैनिक और औपनिवेशिक प्रशासक ,विशेषकर जिनकी पत्नियां उनके साथ नहीं थीं, इस अवनत गर्म वातावरण में गुदा मैथुन की ओर आकृष्ट हो जायेंगे. भारत के वाइसराय लॉर्ड एल्गिन ने चेतावनी दी कि जैसे जैसे सैनिकों ने "पूर्व के विशेष दोष" का अधिग्रहण किया, ब्रिटिश सैन्य शिविर "सोडोम और गोमोरा की प्रतिकृति" में तब्दील हो सकते हैं[52]

मैकॉले ने सन1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा तैयार किया लेकिन भारतीय प्रतिरोध और अंग्रेज़ी झिझक के कारण उसका एक संस्करण 1860 तक मंजूरी मिलने के बाद ही प्रयोग में आ पाया. सन 1837 में एक भाषण में पाठ का परिचय देते उन्होंनें विस्तार से इन खंडों पर चर्चा की- परंतु अपने संस्करण के गुदा मैथुन के खिलाफ प्रावधान तक पहुँचने पर उनमें प्रारूप बनाने वाले की एक पारंपरिक बेचैनी दिखी, जिसे कि ऐसे अप्रिय मुद्दों पर बात करने के लिए मज़बूर होना पड़ा हो :

> धारा 361 और 362 अपराधों के एक ऐसे घिनौने वर्ग से संबंधित हैं, वांछनीय है कि यथासंभव उनके बारे में कम से कम कहा जाना चाहिए ... [हम] पाठ में या नोटों में ऐसा कुछ डालने के लिए तैयार नहीं है जो इस अप्रिय विषय पर सार्वजनिक चर्चा को जन्म दे. निश्चित रूप से हमारी राय में इस तरह की चर्चा के द्वारा समुदायिक नैतिकता की जो हानि होगी, उनकी क्षतिपूर्ति इस चर्चा के द्वारा परिशुद्धता के साथ तैयार विधायी उपाय से हुये लाभ द्वारा नहीं की जा सकती है.[53]

इस के बावजूद, मैकॉले ने "बगरी" नाम के ब्रिटिश अपराध को युक्तिसंगत बनाने की पूरी कोशिश की. इस शब्द से जुड़ी पुराने अस्पष्टता के स्पष्टीकरण का समय आ गया था और इस पर अमल के

---

[52] रोनाल्ड हायम , एम्पायर एंड सेक्सुएलिटी: द ब्रिटिश एक्सपीरियेन्स (लंदन: मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, 1990), में उद्धरित, पृष्ठ संख्या 116; और देखें हायम, "एम्पायर एंड सेक्सुअल ऑपरचुनिटी" जर्नल ऑफ इंपीरियल एंड कॉमनवेल्थ हिस्ट्री, वॉल्यूम 14, नंबर 2 (1986), पृष्ठ संख्या 34-89.

[53] रिपोर्ट ऑफ द इन्डियन लॉ कमिशन ऑन द पीनल कोड, अक्तूबर 14, 1837, पृष्ठ संख्या 3990-91.

लिये उपनिवेशी देशों से अच्छी जगह कौन सी हो सकती थी. मैकॉले ने प्रकृति के "नियम के उल्लंघन" की परिभाषा को विस्तृत किया और इसमें उन "स्पर्शों" को भी जोड़ा जो कि किसी भी तरह से अवाँछनीय थे. लेकिन उनने इस क्रिया में सहमति का मुद्दा जोड़ा, जिससे वर्गीकरण की एक नई धुरी की उतपत्ति हुई-"बगरी" के पुराने अपराध में यह प्रासंगिक नहीं था. उनने भारत पर एक नई भाषा थोपने का निर्णय लिया. इसमें "अप्राकृतिक अपराधों" के अन्तर्गत दो धारायें थीं जो सहमति से संबन्धित होने के कारण खास थीं:

> Cl. 361 जो कोई भी, अप्राकृतिक कामुकता को सन्तुष्ट करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी जानवर को छूता है या अप्राकृतिक कामुकता संतुष्टि के प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी सहमति से छुआ जाता है, उसे कारावास का दंड दिया जायेगा ... जिसकी अधिकतम अवधि चौदह साल तक और कम से कम दो साल होनी चाहिये, और वह जुर्माने के लिये भी उत्तरदाई होगा.
>
> Cl. 362 जो कोई भी, अप्राकृतिक कामुकता को सन्तुष्ट करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को उसकी मुक्त एवं सोची समझी सहमति के बिना छूता है तो उसे कारावास का दंड दिया जायेगा ... जिसकी अवधि आजीवन हो सकती है, और वह कम से कम सात साल की होगी, और वह जुर्माने के लिये भी उत्तरदाई होगा़ (ज़ोर जोड़ा गया है.)

लेकिन कोक और अन्य न्यायविदों द्वारा "गुदा मैथुन" विषय की शब्दावली के आसपास बनाई गई" चुप्पी की निषेधाज्ञा"[54] शक्तिशाली थी और वह जारी रही. जब भारतीय दंड संहिता का अंतिम मसौदा 1860 में लागू किया गया तो "अप्राकृतिक अपराध" अनुभाग में संशोधन हुआ. अंतिम

[54] मौरैन 1995, पृष्ठ संख्या 33.

ऐतिहासिक पाठ जिसने एक या दूसरे रूप में ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभावित या प्रताड़ित किया उस में लिखा था:

> धारा 377: अप्राकृतिक अपराध - जो कोई भी स्वेच्छा से, प्रकृति के नियम के खिलाफ आदमी, औरत या जानवर के साथ यौनिक संभोग करता है उसे आजीवन कारावास का दंड दिया जायेगा, या कारावास.....जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, और वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा.
>
> व्याख्या - प्रवेश इस धारा में वर्णित यौनिक संभोग के अपराध के होने के लिये पर्याप्त है.

इस बदलाव के कारण अस्पष्ट रहते हैं, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट हैं. एक तरफ यह संस्करण "बगरी" के पुराने मानक की रूपरेखा की ओर वापस जाता है, जहाँ "स्पर्श" के संदर्भ की जगह "प्रवेश" ने ले ली. लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अस्पष्टता बाकी थी,(इस सवाल सहित कि किसका प्रवेश किसमें हो). इस तरह भविष्य में औपनिवेशिक और उत्तर-उपनिवेशवादी न्यायविदों ने इन उपबंधों की पुनर्व्याख्या करने के लिये मुक्त छोड़ दिया, कि वास्तव में सजा किस बात की दी जा रही है.

दूसरी तरफ, इस प्रयास को सहमति/गैर सहमति की धुरी के इर्द गिर्द व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया गया था. सैद्धांतिक रूप में, यह कहने से कि क्रिया "स्वैच्छिक" होनी चाहिये, जबरन "कामुक संभोग के शिकार" को अपराधी नहीं करार दिया जा सकता था. लेकिन तब भी दूसरे पक्षकार को उतनी ही सज़ा नियुक्त हुई, चाहे उसने यह कृत्य अपनी मर्ज़ी से किया हो या उससे ज़बरदस्ती करवाया गया हो. हालाँकि यह संहिता आधुनिक होने का दम भरता थी लेकिन इस में बल प्रयोग के आधार पर किसी भिन्न मानक के उपयोग की पेशकश करने का कोई प्रावधान नहीं था.

इस प्रकार बलात्कार को संबोधित करने के लिये अलग दंड संहिता का प्रावधान (धारा 375) एक

औरत पर एक आदमी के साथ बलात्कार करने तक सीमित रहा. एक आदमी का दूसरे आदमी पर यौन हमला किसी विशिष्ट अपराध में परिभाषित नहीं था, इसे धारा 377 में निहित सहमति से हुए यौन क्रिया अपराधों के साथ ही जोड़ दिया गया. धारा 377 में भी कोई अलग प्रावधान या संरक्षण नहीं था जिसमें एक वयस्क पुरुष का एक बालक के साथ यौन संबंध निषेधित हो. वह अपराध भी धारा 377 में बिना किसी पृथकत्व के निहित था.[55]

परिणामस्वरूप, भारत और ज़ाम्बिया से फिजी तक अन्य देशों में, जहाँ कानूनी व्यवस्था भारतीय दंड संहिता से प्रभावित हुई, कानून में बलात्कार या बच्चों के संरक्षण के लिये कोई प्रावधान नहीं था. प्रारूपकर्ता के लिये "गुदा मैथुन" का कृत्य ही इतना भयानक था कि इसके सभी नुकसान उन्हें एक समान लग रहे थे: चाहे दूसरे व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो, और इसमें उसकी सहमति रही हो या नहीं. धारा 377 दंड संहिता के "मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अनुभाग" में डाली गई. यह कहानी कि इस "प्रकृति के नियम के खिलाफ यौनिक प्रवृत्ति" मानव की शारीरिक संपूर्णता को खंडित करती है, चाहे इस कार्य में उसकी सहमति ही क्यों न रही हो, अपने आप में दमदार थी. (जैसा कि अगले अध्याय में लिखित है इससे चिकित्सा के क्षेत्र में मिथकों को भी बढ़ावा मिला जहां बताया गया कि गुदा मैथुन की "आदत" वालों में शारीरिक विकार की आशंका होती है).

धारा 377 को, अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्यात और संशोधित किया गया था और उनके न्यायालयों द्वारा इनकी पुनर्व्याख्या की गई. इसमें दो विषय वस्तु उभरती हैं. वे फिर यह दिखाती हैं कि एक औपनिवेशिक कानून कैसे एक पुराने ब्रिटिश मानक के अर्थ की खोज के लिए एक प्रयोगशाला बन गया.

---

[55] इस दर्मियान, एक आदमी जिसका एक 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध हो, सांविधिक बलात्कार का दोषी माना जाता था; यह उम्र 1891 में बढ़ा कर 12 वर्ष कर दी गई, 1925 में 14 वर्ष और 1940 में 16 वर्ष. "एकसपर्ट्स फॉर रेज़िन्ग स्टेच्युटरी रेप एज टु 16," वन इन्डिया, 6 फरवरी, 2008, http://news.oneindia.in/2008/02/06/experts-for-raising-statutory-rape-age-to-16-1202306730.html (8 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

- "शारीरिक यौनिक ज्ञान" को परिभाषित करने के लिये प्रवेश का आधार लेने से भारतीय दंड संहिता की भाषा में क्रिया को सीमित कर दिया गया और यह संभावना खुली छोड़ दी गई कि केवल प्रवेश करने वाला ही दोषी हो सकता है. बाद के वर्षों में ब्रिटिश उपनिवेशों में कानून लागू किये जाने के समय एक परियोजना थी "प्रवेश"की पुनर्व्याख्या करना, और यह सुनिश्चित करना कि इस प्रावधान में अधिक से अधिक कृत्यों और कर्ताओं को दंडित किया जा सके.
- कानून में उम्र या सहमति के कारकों के अभाव का मतलब था कि सहमति से हुए समलैंगिक आचरण को कानूनी रूप से बलात्कार या बाल यौन अपराध (पीडोफीलिया) से पृथक नहीं किया जा सकता था. इस प्रकार लोकप्रिय सोच में और साथ ही कानून की दृष्टि में "समलैंगिक" की छवि आसानी से हिंसक यौन अपराधियों से जुड़ सकती थी.

अंत में, भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश कानून के "आधुनिकीकरण" को लगभग तुरंत ही ब्रिटेन को ही निर्यात किया गया. 1861 के व्यक्ति के खिलाफ अपराध अधिनियम से "बगरी के घिनौने अपराध" के लिए मृत्यु दंड हटा कर आइ पी सी के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई.[56]

"महिलाओं, लड़कियों के संरक्षण (और)वेश्यालयों के दमन" पर कानून के एक संशोधन के दौरान ब्रिटेन में ब्रिटिश कानून में 1885 में एक और संशोधन किया गया. हेनरी लाबूचेयर, संसद के एक सदस्य, ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा ,जो कि उस विषय से इस हद तक असंबंधित था, कि इस आदेश के पारित होने की संभावना से ही इंकार कर दिया गया. जब अंत में इसे पारित किया गया, इसके अनुसार "यदि कोई पुरुष निजी या सार्वजनिक रूप से किसी दूसरे पुरुष के साथ सकल अभद्रता करता है या इस कार्य के लिए उसकी सहमति मांगता है या उसकी सहमति हासिल करने की कोशिश करता है" उसे दो साल का सश्रम कारावास दिया जाएगा. "सकल अभद्रता" एक व्यापक अपराध था जिसमें दो पुरुषों के बीच होने वाले लगभग सभी यौन कृत्यों को, जिनमें प्रवेश न होता हो, शामिल करने का प्रावधान था. सन 1861 के "बगरी" कानून के विपरीत लाबूचेयर

[56] ऑफेन्सेज अगेन्स्ट द पर्सन् एक्ट 1861, 24 और 25 विक्टोरिये, सी. 100, "अननैचुरल अॉफेन्सेज" सेक्शन61

संशोधन में निजी कृत्यों को भी शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान था. प्रेस ने तुरंत ही इसे "भयादोहन चार्टर" का नाम दे दिया. ऑस्कर वाइल्ड को 1895 में इस के तहत दोषी पाया गया था.[57]

लाबूचेयर के कानून ने मानना दी कि दो आदमी गुदा मैथुन के अलावा भी कई अन्य यौन कृत्यों का अभ्यास कर सकते हैं. ऐसे कृत्यों के उन्मूलन की महत्वाकांक्षा रखने वाला समाज व्यक्तिगत गोपनीयता पर अपनी शक्ति जताना चाहता था और उन्हें सज़ा देने के लिए उसे एक व्यापक आपराधिक ढांचे की अवश्यकता थी.

जब लाबूचेयर का प्रावधान आया तब तक इसे भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी. हालांकि, बाद में औपनिवेशिक संहिता के नये संस्करणों में, उनमें भी जो आई पी सी पर अाधारित थे, इसे शामिल किया गया. यह सूडान की दंड संहिता में 1899 में शामिल हुआ और इसी साल क्वींसलैंड की प्रभावशाली दंड विधि में भी इसे डाला गया. मलेशिया और सिंगापुर को संयुक्त रूप से एक संशोधन के माध्यम से 1938 में सकल अभद्रता प्रावधान प्राप्त हुआ.[58]

इसके अलावा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है कि बाद में भारत के न्यायशास्त्र में (विशेष रूप से खानू निर्णय) "अप्राकृतिक अपराध" के दायरे का विस्तार हुआ और ब्रिटिश कानून के तहत सकल अभद्रता इसमें शामिल की गई. इसके अलावा, हालांकि लैबूचेयर के सुझाये नवाचार में केवल पुरुष के पुरुष के साथ यौन संबंधों की बात थी, कुछ सरकारों ने "सकल अभद्रता" की बात को कानून से पुरुष शब्द हटाकर व्यक्ति शब्द के इस्तेमाल से महिलाओं के बीच यौन संबंधों पर भी लागू किया- (जैसा कि अध्याय IV में विस्तृत रूप से बताया गया है).

---

[57] एच.मॉन्टगोमरी हाइड, द ट्रायल्स अॉफ अॉस्कर वाइल्ड (न्यूयॉर्क: डोवर, 1962), पृष्ठ संख्या 12-13.

[58] धारा 377A को सिंगापुर दंड संहिता में दंड संहिता (संशोधन) अध्यादेश 1938 की धारा 7 के द्वारा पेश किया गया था (1938 के नम्बर 12). स्ट्रेट सेटिलमेन्ट्स की विधान परिषद की कार्यवाही में 1938 में कहा गया कि ऐसा करने से पुरुषों के बीच सकल अभद्रता ,जो कि एक अप्राकृतिक अपराध के अर्थ के अनुसार संहिता एस 377 के अंतरगत नहीं है, को सजा दी जा सकेगी. C81,25 अप्रैल, 1938. माइक्रोफिश नम्बर 672 देखें, स्ट्रेट्स सेटिलमेन्ट्स लेजिस्लेटिव काउन्सिल , प्रोसीडिन्ग्स (SE 102), वॉल्यूम. 1938 (सेन्ट्रल लाइब्रेरी रेप्रोग्राफिक डिपार्टमेन्ट, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सिंगापुर).

भारतीय दंड संहिता अधिकांश एशिया और अफ्रीका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों की 'कानूनी व्यवस्था के लिए आदर्श बन गयी. प्रत्येक क्षेत्र नवीनतम संस्करण अपनाता गया और जैसा कि एक कानूनी इतिहासकार लिखते है," उसमें सुधार कर,सामयिकीकरण कर नयी उत्पत्ति को दूसरी जगहों के लिए नवीनतम आदर्श के रूप में इस्तेमाल किया गया."[59] सन 1871 के स्ट्रेट्स सेटिलमेन्ट्स कानून नें, जो कि आज के सिंगापुर, मलेशिया, और ब्रुनेई, राज्य क्षेत्र में लागू है, प्रभावी रूप से आइ पी सी की नकल की.[60] सन 1897 से 1902 के बीच प्रशासकों ने भारतीय दंड संहिता को ब्रिटेन के अफ्रीकी उपनिवेषों केन्या और यूगान्डा में लागू किया.[61] कुछ ब्रिटिश निवासियों ने इन संहिताओं के अलोकतांत्रिक चरित्र के बारे में शिकायत की. उदाहरण के लिए, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकियों ने "काले लोगों की आबादी के निरंकुश शासन के लिए बने कानूनों के तहत सफेद पुरुषों को भी रखने की नीति" का विरोध किया.[62]

सन 1899 की सूडानी दंड संहिता भी आई पी सी अनुकूलित है, लेकिन "अप्राकृतिक अपराध" को संहिताबद्ध करने में उसकी नीति भिन्न रही. ब्रिटिश उपनिवेशों में यह इसलिये विशिष्ट है कि इसमें सहमति और उम्र से वर्गीकरण की धुरी को दोबारा अपनाया गया. इसके धारा 377 के संस्करण में लिखा है:

> एस 318 जो कोई भी प्रकृति के नियम के खिलाफ, किसी व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनायेगा उसे कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसकी अवधि चौदह साल तक होगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा: यदि सहमति देने वाला 16 वर्ष से कम उम्र का है और सहमति उसके शिक्षक,

---

[59] एच एफ. मॉरिस, "अ हिस्ट्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ कोड्स अॉफ क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर इन ब्रिटिश कोलोनियल अफ्रीका, 1876-1935",जर्नल ऑफ अफ्रीकन लॉ, वॉल्यूम 18, नंबर 1 (स्प्रिन्ग, 1974), पृष्ठ संख्या 6-23.

[60] डोमिनिक चान, "ओरल सेक्स -अ केस ऑफ क्रिमिनेलिटी ऑर मोरेलिटी ?" सिंगापुर लॉ गज़ट, सितम्बर, 2004, http://www.lawgazette.com.sg/2004-9/ (8 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[61] जेम्स एस रीड, "क्रिमिनल लॉ इन अफ्रीका टुडे एंड टुमोरो" जर्नल ऑफ अफ्रीकन लॉ वॉल्यूम 17, नंबर 1 (स्प्रिन्ग 1963), पृष्ठ संख्या 5-17.

[62] मॉरिस, पृष्ठ संख्या. 13.

अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो उसकी देखभाल और पढ़ाई के लिये जिम्मेदार हो तो इस कानून के तहत उसे सहमति नहीं माना जाएगा (ज़ोर जोड़ा गया है).[63]

इसी प्रकार, जबकि सूडान की संहिता में "सकल अभद्रता" प्रावधान अपनाया गया *इसमें दंड का प्रावधान* केवल असहमति की स्थिति में ही था.[64] लेकिन, स्वतंत्रता के बाद जब 1991 में सूडान की सरकार ने एक शरीयत प्रेरित दंड संहिता लगायी तब ये भेद मिट गये.[65]

ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेष क्वींसलैंड की दंड संहिता (क्यू पी सी) का प्रारूप यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, सर सेमूएल ग्रिफिथ ने 1899 में तैयार किया.[66] यह 1901 में बल में आयी और यह आई पी सी के बाद, विशेष रूप से ब्रिटिश अफ्रीका में, सबसे अधिक प्रभावशाली दंड संहिता थी. क्यू पी सी ने आई

---

[63] एलन ग्लेड्हिल, द पीनल कोड्स अॉफ नार्द्न नाइजीरिया एंड सूडान (लंदन: स्वीट & मैक्सवेल, 1963), पृष्ठ संख्या. 443.

[64] इबिड, पृष्ठ संख्या 444, सेक्शन 319: "जो कोई भी किसी दूसरे के व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना सकल अभद्रता का कार्य करता है या बल या धमकियों के उपयोग द्वारा उसके साथ इस तरह के कृत्य में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को मजबूर करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक की हो सकती है और वह जुर्माने कि लिए उत्तरदायी होगा: बशर्ते कि 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के निमित्त यह सहमति उनके शिक्षक, अभिभावक या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा ,जो उसकी देखभाल या शिक्षा के लिये जिम्मेदार हो, न दी गई हो, इस अनुभाग के अर्थ के भीतर ऐसी स्थिति में सहमति का होना नहीं समझा जायेगा."

[65] सूडानी दंड संहिता 1991 की सेक्शन 148 "गुदा मैथुन: (1) कोई भी आदमी जो अपने लिंग या उसके समकक्ष को एक औरत या आदमी की गुदा में या अपनी गुदा में उसके लिंग या उसके समकक्ष को डालने के लिए दूसरे आदमी को अनुमति देता है, उसे गुदा मैथुन करता माना जायेगा; (2) (क) जो कोई भी गुदा मैथुन करता है, उसे सौ कोड़े मारे जायेंगे, और वह पांच साल के कारावास से दंडित किया जाने के लिए उत्तरदायी होगा; (ख) यदि अपराधी दूसरी बार दोषी पाया जाता है उसे सौ कोड़े मारे जायेंगे, और वह पांच साल तक के कारावास से दंडित किया जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) यदि अपराधी तीसरी बार दोषी पाया जाता है उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है." जैसा कि आगे अध्याय V में बताया गया है, कई देशों में, जिनमें पाकिस्तान और नाइजीरिया शामिल हैं आधुनिक पुनरुत्थान के अन्तर्गत शरीयत से व्युत्पन्न या प्रभावित कानूनों से "स्वदेशी" कानूनी मान्यताएं पुनर्जीवित नहीं हुई हैं, बल्कि औपनिवेशिक मान्यताएं और गहरे पैठ गई हैं. यह विषाक्त मिश्रण अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, परन्तु इस रिपोर्ट की गुंजाइश के परे है.

[66] फ्रीडलैन्ड पृष्ठ संख्या 1177. यह 1878 के एक पुराने प्रस्ताव पर आधारित थी.

पी सी की संस्करण के "अप्राकृतिक अपराध" में "निष्क्रिय" यौन साथी की एक नई श्रेणी प्रस्तावित की - वह जो "अनुमति" देती है. धारा 208 में लिखा था:

> कोई भी व्यक्ति --
>
> (अ) जिसे प्रकृति के नियम के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कामुक संबंध का भाव है, या
>
> (ब) जिसे किसी जानवर के प्रति कामुक संबंध का भाव है, या
>
> (ग) *जो किसी पुरुष को प्रकृति के नियम के खिलाफ अपने प्रति कामुक संबंध का भाव होने के लिये अनुमति देता या देती है, वह एक घोर अपराध का दोषी है और चौदह साल के कारावास के लिये उत्तरदायी है* [जोर जोड़ा गया है].

इससे आई पी सी की एक अस्पष्टता का सफाया हुआ, और यह साफ हो गया कि इस कृत्य में दोनों भागीदार अपराधी थे. क्यू पी सी ने इसे “प्रवेश” से आगे ले जाते हुए "अप्राकृतिक अपराध करने का प्रयास" कहकर इसके दायरे में विस्तार किया.[67] इस प्रकार, किसी भी यौन क्रिया या इसे करने की कोशिश को, जिसके परिणामस्वरूप "प्रवेश" नहीं भी हो पाया हो, एक "प्रयास" कहा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के बाहर क्यू पी सी ने अपनी जड़ें पहले पापुआ न्यू गिनी में फैलाईं. उत्तरी नाइजीरिया के मुख्य न्यायाधीश एच सी गोलैन ने इसे अपने उपनिवेष में दंड संहिता के आदर्श के रूप में अपनाने का फैसला किया जो कि 1904 में बल में आई. आगे चल कर यह संहिता औपनिवेशिक प्रशासकों के बीच प्रशासनिक लड़ाइयों का कारण बनी. दक्षिणी नाइजीरिया में अधिकारीगण क्यू

---

[67] अप्राकृतिक अपराध प्रवेश द्वारा, परिभाषित किये जाते रहे, जैसा कि सेक्शन 6 में लिखा है: "कामुक संबंध: जब "कामुक संबंध" या "कामुक समागम" एक अपराध को परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है, वहाँ यह अन्तर्निहित है कि अपराध, जहाँ तक तत्व का संबंध है, प्रवेश पर पूरा होता है. "लेकिन, क्यू पी सी के सेक्शन 2-9 में लिखा है कि "जो भी व्यक्ति पूर्ववर्ती अनुभाग में परिभाषित किसी भी अपराध को करने का प्रयास करता है वह अपराध का दोषी है, और सात वर्षों के लिए कठिन परिश्रम के साथ कैद का उत्तरदायी है.

पी सी और भारतीय दंड संहिता के समर्थकों के रूप में विभाजित हो गये.[68] अंततः जीत पहले वालों की हुई. दो वर्षों के बाद 1916 में जब नाइजीरिया एक संयुक्त एकल उपनिवेष बना, क्यू पी सी पर आधारित एक आम आपराधिक संहिता अपनायी गयी.[69]

इस प्रक्रिया से एक निष्कर्ष निकलता है. आधुनिक राजनीतिक नेताओं के दावों के बावजूद कि गुदा मैथुन कानून उनके स्वतंत्र देश के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्वींसलैंड की दंड संहिता अफ्रीका में अफ्रीकी मत की उपेक्षा करते हुये फैल गई.

नौकरशाहों की सनक, वरीयताओं और सत्ता संघर्ष ने इसे परवान चढ़ाया. नाइजीरिया में आपराधिक संहिता लागू होने के बाद, पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक अधिकारियों नें-आधुनिक केन्या, युगांडा, और तंजानिया में- धीरे धीरे इसकी नकल करना शुरू कर दिया. एक कानूनी इतिहासकार लिखते हैं कि "किसी तर्क या स्वदेशी प्रथाओं के लिए सम्मान होने की वजह से नहीं, बल्कि केवल व्यक्तिगत विचार और औपनिवेशिक अधिकारियों के पूर्वाग्रहों", के कारण आई पी सी की जगह क्यू पी सी आधारित संहिता ने महाद्वीप में अपनी जगह बना ली.[70]

"अप्राकृतिक अपराध" के जो संस्करण अब फैल गये थे उनमें व्यापक रूप से भिन्न प्रकार के कृत्यों का समावेष था: वे गुदा मैथुन में एक निष्क्रिय साथी को, गुदा मैथुन में प्रयास को, और "सकल अभद्रता." को दंडित करते थे. उदाहरण के लिए, युगांडा के दंड संहिता में प्रावधान था कि:

---

[68] "अप्राकृतिक अपराध" से अधिक व्यापक मुद्दों ने दोनों संहिताओं के समर्थकों को विभाजित" किया. क्यू पी सी का यूरोपीय सिविल कानून, विशेष रूप से इटैलियन दंड संहिता, की ओर काफी झुकाव था और इसमें आम-कानून के लिये आवश्यक मेन्स रिया या आपराधिक आशय छूट गया था.

[69] एच एफ मॉरिस, "हाओ नाइजीरिया,गॉट इट्स क्रिमिनल कोड" जर्नल ऑफ अफ्रीकन लॉ, वॉल्यूम 12, नम्बर 3 (ऑटम, 1970), पृष्ठ संख्या 137-154; और देखें ओमोनियी अदेवोये,द जुडिशियल सिस्टम इन सदर्न नाइजीरिया, 1854-1954: (न्यू जर्सी: ह्युमेनिटीज़ प्रेस, 1977).

[70] मॉरिस 1974, पृष्ठ संख्या 6.

एस 140: कोई भी व्यक्ति जिसे (क) प्रकृति के नियम के विरुद्ध,किसी व्यक्ति के प्रति कामुक संबंध का भाव है

(ख) या किसी जानवर के प्रति कामुक संबंध का भाव है; या

(ग) प्रकृति के नियम के विरुद्ध वह किसी पुरुष को अपने प्रति कामुक संबंध का भाव उत्पन्न करने की अनुमति देता है या देती है तो वह घोर अपराधी है और चौदह साल की कैद का दंड पाने के लिए उत्तरदायी है.

एस 141 जो व्यक्ति उपरोक्त अनुभाग में विनिर्दिष्ट कृत्य करने का प्रयास करता है,वह महा अपराध का दोषी है और सात साल के कारावास के लिये उत्तरदायी है

एस.143 जो पुरुष ,चाहे सार्वजनिक या निजी रूप से,किसी और पुरुष के साथ सकल अभद्रता का कृत्य करता है , या किसी अन्य पुरुष को अपने साथ सकल अभद्रता के किसी भी कार्य के लिए खरीदता है, या.

किसी भी ऐसे कृत्य को अपने साथ या किसी और पुरुष के साथ करवाने के लिये, निजी या सार्वजनिक रूप से किसी और पुरुष को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह महा अपराध का दोषी है और पाँच साल के कारावास के लिये उत्तरदायी है.

नाइजीरिया ने निर्धारित दिशा से भिन्न पेशकशें भी की. नाइजीरियाई संस्करण में स्पष्ट परिभाषण से "कामुक संबंध" को "एक पति और पत्नी के बीच यौन संबन्ध" को छोड़ कर दूसरे यौन संबन्ध बता कर "प्रकृति के नियम" की स्पष्ट समझ बनाई गई.[71] इस प्रकार पुरुषों के बीच के यौन संबंध इस कानून में प्राथमिक केन्द्र बने.[72]

---

[71] सेक्शन 6: "अनलॉफुल कार्नल नौलेज("अवैध कामुक संबंध") यानी जो पति और पत्नी के बीच के अलावा हो.

[72] बाद में, 1960 में, औपनिवेशिक शासन की अधोगति के दौरान, उत्तरी नाइजीरिया के राज्य क्षेत्र ने एक अलग दंड संहिता को चुना जो इस नए देश की संघीय आपराधिक संहिता से स्वतंत्र थी. इसका आधार 1899 की सूडानी दंड संहिता थी. विडंबना से, यह आई पी सी पर आधारित थी जिसे उत्तरी नाइजीरिया ने पहले अस्वीकार कर दिया था (मॉरिस 1970, पृष्ठ संख्या 153). तथापि, सूडानी संहिता में सहमति से हुए गुदा मैथुन का गैर अपराधीकरण किये जाने से न तो लोग बेखबर रहे और न ही इसे अपरिवर्तित रहने दिया गया. उत्तरी नाइजीरियाई दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता पर आधारित पुरानी, सहमति तटस्थ परिभाषा पर वापस लौटना पड़ा. पर

औपनिवेशिक दंड संहिता में "कामुक संबंध "के उलझे इतिहास से" तीन सामान्यीकरण निकाले जा सकते हैं.

- गुदा मैथुन विरोधी प्रावधान, जिन्हें समकालीन नेता स्वदेशी मूल्यों के अनुरूप बताकर संरक्षण प्रदान करते हैं, स्थानीय प्रथागत कानून पर ध्यान देकर नहीं बनाए गए और न ही उनका प्रारूपण एक विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से किया गया. औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें तैयार किया और लागू किया. उन्होंने यौन कानून को आवश्यक ही इसलिये समझा क्योंकि वे स्थानीय संस्कृतियों को ढीला और अप्राकृतिक अपराधों के लिए उपजाऊ भूमि की तरह देखते थे.
- औपनिवेशिक अधिकारी लगातार इस कोशिश में शब्दों और परिभाषाओं के साथ लड़ते रहे कि "अप्राकृतिक अपराध" के विषय पर पर्याप्त भाषा और आम समझ बने. लेकिन उन्होंने यह सब बहस के प्रभावों के बारे में एक नैतिक चिंता की छाया के तहत, चुप्पी बनाये रखने के आदेश के साथ किया , जिससे कि "प्रजा" के बीच में किसी चर्चा के िबना, निरंकुश कानून निर्माण हो सके.
- बार बार परिभाषित करने से कानून का दायरा व्यापक होता जाता था और इससे केवल यौनिक कृत्यों का ही नहीं बल्कि एक प्रकार के व्यक्ति का अपराधीकरण होता था.

प्रारूपकर्ताओं ने "सकल अभद्रता" प्रावधान को गैर-सहमति वाली गतिविधियों के प्रावधान के अनुरूप नहीं बनाया जिसके कारण और भ्रम पैदा हुये. (ग्लेडहिल, पृष्ठ संख्या, 444).

III. औपनिवेशिक सत्ता शरीर और उससे परे

सहमति से हुये समलैंगिक आचरण का आपराधीकरण औपनिवेशिक और उत्तर उपनिवेशवादी राज्य में क्यों जरूरी था?

एक दूसरे से इतनी दूर स्थित स्थानों में जैसे जाम्बिया और सिंगापुर, जो हुआ और जो अब तक हो रहा है, उसके लिये कोई एक कारण बता पाना संभव नहीं है. यद्यपि एक संकेत गुदा मैथुन विरोधी कानूनों के अलावा अन्य आयातित कानूनों और प्रथाओं के प्रावधानों में है, जिन्हें औपनिवेशक शासक अपने साथ लेकर आये. यह प्रावधान एक पैकेज का हिस्सा थे, जिसके द्वारा 'सुधार मिशन' के अंतर्गत "सभ्यता" का विस्तार किया जाना था, और औपनिवेशिक शक्ति और ज्ञान को, जिसकी पकड़ अब तक मजबूत नहीं हुई थी, जीवन के व्यापक और अति अंतरंग, दोनों क्षेत्रों में विस्तृत करना था. सार्वजनिक क्षेत्र और लोगों के शरीर,दोनों पर राज्य की पैनी नजर थी. इसके कई तंत्र अभी भी काम कर रहे हैं.

'आवारा "से 'हिजड़ा "तक

आवारगी कानूनों का लक्ष्य वे लोग थे जो अधिकारियों की नजर में बिना किसी उद्देश्य के घूमते फिरते रहते हैं. इसके अलावा ये कानून सार्वजनिक क्षेत्र को उन लोगों से मुक्त करने के लिए मददगार थे जिनकी उपस्थिति अवांछनीय थी: "एक हल जो, कानून बनाने वालों की नजर में, एक अवांछनीय स्थित में मददगार हो सके", जैसा कि एक टीकाकार कहते है.[73] दूसरे लिखते हैं, इन में किसी "बाध्य कार्रवाई या निष्क्रियता" की जरूरत नहीं है, लेकिन यह "कुछ व्यक्तिगत स्थिति पर या एक व्यक्ति के निर्दिष्ट चरित्र का होने पर" निर्भर हैं.[74] वे लोगों को अपराधी इसलिए नहीं बनाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं लेकिन इसलिये कि वे क्या हैं. और हर "आवारा" व्यक्ति इनके निशाने पर नहीं

[73] विलियम जे चैम्बलिस, "अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लॉ अॉफ वेग्रेन्सी", जॉन गैलिहर में, संपादित, डीवियेन्ट बिहेवियर एंड ह्यूमन राइट्स (न्यू जर्सी: प्रेन्टिस हॉल, 1964), पृष्ठ संख्या 116.

[74] फॉरेस्ट डब्ल्यू लेसी, "वेग्रेन्सी एंड अदर क्राइम्स ऑफ पर्सनल कन्डिशन" हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम 66, नम्बर 7 (मई 1953), पृष्ठ संख्या 1203.

होता. प्रवर्तन आमतौर पर तुच्छ माने जाने वाले समूहों को लक्ष्य करता है, जैसे प्रवासी मजदूर, गरीब, बेघर, भिखारी, यात्री, या सड़क पर रहने वाले बच्चे.[75]

सदियों तक यूरोप में, "आवारगी" को नियंत्रित करने के लिए बने कानूनी और प्रशासनिक उपाय गरीबी का अपराधीकरण करते रहे और इसे छुपाते रहे ताकि आर्थिक विस्थापन के प्रभाव दिखाई न दें.[76] कम से कम ट्यूडर अवधि से इंग्लैंड में एक क्रूर कानून सुदृढ़ रूप से लागू था, जब बाड़ों और आम भूमि के निजीकरण के कारण बेघर, गरीब घुमक्कड़ों की संख्या में विशाल वृद्धि हुई. सन 1572 के एक अधिनियम के अनुसार "बदमाश, आवारा, या मजबूत शरीर वाले को भिखारियों को उद्वेग सहित कोड़े मारकर, दाहिने कान की कोमल हड्डी के पास गर्म लोहे से दाग देना चाहिये."[77] यूनाइटेड किंगडम के 1824 आवारगी अधिनियम में पूंजीवादी कल में अनचाहे व्यक्तियों के वर्गीकरण और सजा की व्यवस्थित रूपरेखा थी. कोई भी भीख माँगते हुये, घर से बाहर सोते हुये, वेश्यावृत्ति में संलग्न होते हुये या “असम्मानित जीवन शैली” से संबंधित दिखाई देने पर "निष्क्रिय और उच्छृंखल" होने का दोषी करार दिया जा सकता था. इसकी सजा दो सप्ताह के कठिन परिश्रम की थी. एकाधिक बार सजा होने पर, या स्पष्टतया गरीब होने पर, एक "बदमाश और आवारा" या इससे भी बढ़कर एक "असुधार्य बदमाश," के रूप में वर्गीकृत हो कर, स्थायी रूप से कानूनी कलंक के गहराते गड्ढों में उतरते जाना होता था.[78] पूर्वाग्रही वर्गीकरण का यह व्यापक और विस्तृत स्वभाव इक्कीसवीं सदी तक आवारगी कानूनों की एक विशेषता रही. (उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में, 1950 में हुए एक कानूनी संशोधन में आम कानून में आवारा की परिभाषा "काम

---

[75] इबिड, और देखें आर्थर एच शेरी, "वेग्रेन्ट्स रोग्स एंड वैगाबॉन्ड्स : ओल्ड कॉन्सेप्ट्स इन नीड अॉफ रिविज़न” कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू, वॉल्यूम 48, नम्बर, 4 (1960), पृष्ठ संख्या 557-580.

[76] रॉबर्ट जुट, पोवर्टी एंड डीविएन्स इन अर्ली मॉडर्न यूरोप (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1994); रॉबर्ट फौर्सटर और ओरेस्ट रैनम, एड्स, डीविएन्ट्स एंड द अबैन्डन्ड इन फ्रेन्च सोसायटी:सलेक्शन्स फ्रॉम द एनेल्स, इकॉनॉमीज़, सोसायटीज़, सिविलाइज़ेशन्स, वॉल्यूम 4, ट्रांस. एलबोर्ग फोर्स्टर और पेट्रीसिया एम. रैनम (बाल्टीमोर: जॉन्स हॉपकिन्स, 1978), थॉमस मैकस्टे एडम्स, ब्यूरोक्रैट्स एंड बेगर्स: फ्रेन्च सोशल पॉलिसी इन द एज ऑफ द एनलाइटेनमेन्ट (ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 1990 में).

[77] एंगस फ्रेजर, द जिप्सीज (लंदन: ब्लैकवेल, 1995), पृष्ठ संख्या 134.

[78] "वेग्रेन्सी," ब्रिटैनिका विश्वकोश, ग्यारहवाँ संस्करण, 1911; लायनेल रोज़, "रोग्स एंड वैगाबॉन्ड्स": द वेग्रैन्ट अन्डरवर्ल्ड इन ब्रिटेन , 1815-1985 (लंदन: रूटलेज, 1988).

की जगह छोड़ कर घूमने वाले" से बदल कर कोई भी "बेकार या भद्दे या स्वच्छंद व्यक्ति," की हो गई.[79])

ब्रिटिश उपनिवेशों में सन 1824 का यह कानून "आवारगी" के व्यापक अपराधीकरण के लिए एक आदर्श बन गया. बंगाल आवारगी अधिनियम और बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं. औपनिवेशिक युग के अधिकांश कानूनों ने उसी त्रिपक्षीय वर्गीकरण का उपयोग किया -"निष्क्रिय और अव्यवस्थित लोग", अपराध दोहराने वाले "बदमाश और आवारा" और"असुधार्य बदमाश"; और कई में तो ब्रिटिश पूर्वज कानून से भी अधिक सज़ा का प्रावधान था, और इनमें से अधिकतर कानून अब भी लागू हैं. उदाहरण के लिए ज़ांबिया का पीनल कोड किसी भी "निष्क्रिय और अव्यवस्थित" (और कोई भी व्यक्ति जो बगैर किसी कानूनी कारण के सार्वजनिक स्थल पर अभद्र आचरण करता है) व्यक्ति को एक महीने के कारावास के लिए उत्तरदाई मानता है. इसकी पुनरावृत्ति होने पर व्यक्ति "बदमाश और आवारा" कहलाया जाएगा और इससे भी कड़ी सज़ा का हकदार होगा. यह प्रावधान सरकारों को जन भावनाओं के प्रदर्शन के नियंत्रण के लिए मज़बूत पकड़ देता है. (सिंगापुर में 1906 का सार्वजनिक उपद्रव कानून अपनी धारा 27 में "बदमाश और आवारा" वर्ग में उन लोगों को भी शामिल करता है जो लोग अश्लील चित्र, प्रिंट या अन्य माध्यम से प्रदर्शनी लगाते हैं) या सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी कोई भी हरकत करते हैं.

(ज़ाम्बिया में, "बदमाश और आवारा" के अंतर्गत "हर वह व्यक्ति शामिल है जो ... कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर यूं ही भटकता पाया जाये और उसके वहाँ होने के उद्धेश्य से गैर कानूनी या अव्यवस्थित होने की संभावना का आभास होता हो."[80])

उपनिवेशों में, यह दोनों कानून "समाज सुधार मिशन" में मददगार थे और पुलिस को मनमाने रूप से, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यवहार के लिये दंडित करने के लिए सक्षम बनाते थे. यौन

[79] कार्ल एम बोमैन और बेरेनीस एन्गल, "अ साइकियाट्रिक इवैल्युएशन अॉफ लॉज़ अॉफ होमोसेक्सुएलिटी "द अमेरिकन जर्नल अॉफ साइकियाट्री, वॉल्यूम 112 (फरवरी, 1956), पृष्ठ संख्या 577-583.

[80] लॉग 2003, पृष्ठ संख्या 277.

आचरण या लैंगिक पहचान- इन चुनिन्दा दंडनीय व्यवहारों में शामिल थे. सन 1899 की सूडानी दंड संहिता इसका एक शिक्षाप्रद उदाहरण है. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून की केवल इसी संहिता में, सहमति से हुआ गुदा मैथुन दंडित नहीं किया जाता था. परंतु यहाँ "आभ्यासिक आवारा" के रूप में एक नई पहचान का निर्माण किया गया, जिन्हे "कैटामाइट" (लौंडा) कहा गया. (उत्तरी नाइजीरियाई संहिता में भी इस उदाहरण का अनुसरण किया गया). इस संहिता में सात प्रकार के "आवारा" सूचीबद्ध थे, जिनमें से एक " लौंडा" भी था. इस की परिभाषा के अनुसार यह ऐसा "कोई पुरुष था जो 1)सार्वजनिक स्थान पर औरतों या औरतों की तरह के कपडे पहने हो या2)गुदा मैथुन का उपयोग आजीविका के साधन या एक पेशे के रूप में करता हो."[81]

एक व्यक्ति के कपड़े अपने आप में न केवल अपराध बन गये बल्कि वे संभावित आपराधिक यौन इतिहास का चिन्ह भी बन गए. एक कानूनी टीकाकार ने स्पष्ट किया कि " लौंडा" का मतलब है गुदा मैथुन का "आभ्यासी". उसने यह भी जोड़ा कि इसमें "यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि इस तरह का हर एक अभ्यास कब और कहाँ हुआ".[82] एक व्यक्ति के बाह्य रूप के अलावा उसकी गिरफ्तारी और कारावास के लिये कोई और सबूत आवश्यक नहीं था.

यूरोप में, आवारगी कानून, गरीबों को लक्षित तो करता था, लेकिन शायद ही कभी स्पष्ट रूप से नस्लीय रहा हो.[83] लेकिन उपनिवेशों में सब कुछ नस्लीय था. वहां इन कानूनों के द्वारा गैर श्वेत आबादी के व्यवहार और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था. इसके अलावा, ब्रिटिश भारत में, इस बदनाम विधान के अंतर्गत पूरे के पूरे आदिवासी (और अन्य) समूहों को आंतरिक रूप से, अपरिवर्तनीय अपराधी की तरह चिह्नित किया गया. भारत में 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में, जो कि आवारगी कानून से प्रेरित था, कुछ आदिवासी समुदायों को डकैतों, चोर, और सामूहिक रूप में अवाँछनीय परिभाषित किया गया. यह प्रावधान यूरोपीय कानूनी नस्लवाद

[81] सेक्शन 448 (2) (ई), सुडानी दंड संहिता.

[82] ग्लेडहिल पृष्ठ संख्या 749.

[83] इसका एक अपवाद रोमा और सिन्टी आबादी, या जिप्सियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल.

में पानी सर के ऊपर निकल जाने के संकेत थे. "बंजारा जनजाति अधिकतर अपराध के आदी होते हैं," एक प्रशासक ने लिखा ।[84] एक अपराधी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किये गये समुदाय में पैदा होना एक स्थायी कानूनी विकलांगता में जीना था.

अापराधिक जनजाति के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के समक्ष पंजीकृत होने के लिए बाध्य किया जाता था. पंजीकृत न होने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी. एक बार पंजीकृत हो जाने पर जनजाति के सदस्य का आना जाना अधिकृत क्षेत्रों में प्रतिबंधित हो जाता था, इस क्षेत्र से बाहर, या अन्दर भी संदेहजनक परिस्थितियों में पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर के तीन साल तक कारावास का दंड देने का प्रावधान था.[85]

ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार खानाबदोशी न केवल अपराध था बल्कि साथ ही साथ वह यौनिक अनैतिकता से भी जुड़ा हुआ था. एक इतिहासकार लिखते हैं, उपनिवेशकों के लिये अपराधी जनजातियां "पूर्ण अनैतिकता की परिचायक" थीं.[86] एक ब्रिटिश प्रशासक ने 1914 में अपने अध्ययन में नीरसता से खुद को दोहराते हुये एक के बाद जातीय समूह पर अपने निर्णय दिये हैं: "इस जनजाति की महिलाएं अनैतिकता के लिये बदनाम हैं" "इस जनजाति की लगभग सभी लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए सुरक्षित रखा जाता है; "अनैतिकता बहुत प्रचलित है"; "महिलाएं, अपनी आवारा जीवनशैली के कारण, स्वाभाविक रूप से अनैतिक स्वभाव की बन जाती हैं. ... लड़कियों को शादी से पहले अत्यधिक स्वतंत्रता हैं और उनकी ओर से सदाचार की चूकों को गंभीरता से नहीं लिया जाता"; "उनकी महिलाएं सब वेश्याएं है."[87]

इन नैतिक वाक्यों के साथ साथ अधिकारियों ने 1897 में इस अधिनियम में संशोधन किया और एक अधिसूचित समूह के रूप में "हिजड़ों" को इसमें शामिल कर लिया. हिजड़ा अर्थात वे नर सदस्य

---

[84] एस टी होलिन्स, द क्रिमिनल ट्राइब्स इन इन्डिया (1914), (दिल्ली: निधि बुक सेंटर, 2005) पृष्ठ संख्या 56.

[85] अरविंद नारायण,क्वियर:डिसपाइज़्ड सेक्सुएलिटी,लॉ, एंड सोशल चेन्ज (बंगलौर: बुक्स फॉर चेन्ज, 2004), पृष्ठ संख्या 58-59.

[86] मीना राधाकृष्णा, "डिसअॉनर्ड बाइ हिस्ट्री: 'क्रिमिनल ट्राइब्स' एंड ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसी (नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन 2001), पृष्ठ संख्या 15.

[87] हॉलिन्स पृष्ठ संख्या. 30, 23, 40, 49, और 64.

जो चिकित्सकीय निरीक्षण पर या स्वयं के स्वीकार करने पर स्पष्ट रूप से नपुंसक दिखाई देते हैं. अभ्यास में, इसका उपयोग भारत के हिजड़ों के लिये हुआ, जो यौन अनैतिकता और गुदा मैथुन के दोषी माने गये."[88]

हिजड़ा-संभवतः उर्दू शब्द एज्रा से निकलता है, जिसका अर्थ घुमंतू या भटकैया है. भारत में इन लोगों का एक बड़ा समुदाय है जो जन्म के समय पुरुष होते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली स्त्री या तीसरे ही लिंग सी होती है. कई पारंपरिक भारतीय संस्कृतियों में उनका एक परिभाषित और स्वीकार्य सामाजिक स्थान था.[89] लेकिन इस कानून के तहत कोई हिजड़ा जो "एक सार्वजनिक गली में एक औरत की तरह अलंकृत या तैयार दिखाई देता है ... या जो नृत्य या संगीत की किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शनी में या सार्वजनिक रास्ते पर भाग लेता है" उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर दो साल तक का कारावास दिया जा सकता है. हिजड़े को कानूनी रूप से लैंगिक पहचान से वंचित रखा गया अौर उसके "होने" में भी संशय की स्थिति थी, यानी उसे वसीयत करने या बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी नहीं था. स्थानीय अधिकारियों को सभी हिजड़ों का एक रजिस्टर रखना होता था और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत वे अपराधी होने की "यथोचित संदिग्धता" के दायरे में आते थे.[90]

ब्रिटिश लोगों के अनुसार भारत के हिजड़ा समुदायों को "घृणित उपद्रवी" माना जाता था.[91] औपनिवेशिक अधिकारी, पूरे भारत के गांवों में उनके पारंपरिक अधिकारों, जैसे जमीन और अपने

---

[88] ह्यूमन राइट्स वायलेशन्स अगेन्स्ट ट्रान्स जेन्डर कम्युनिटी: अ स्टडी अॉफ कोठी एंड हिजड़ा सेक्स वर्कर्स इन बंगलौर, इन्डिया, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक, भारत, (पी यू सी एल- के) की रिपोर्ट ,में उद्धरित, सितम्बर 2003, पृष्ठ संख्या 44-45, और गायत्री रेड्डी, विथ रेसपेक्ट टु सेक्स: नेगोशियेटिन्ग हिजड़ा अाइडेन्टिटी इन साउथ इन्डिया (शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय, 2005). यूरोपीय संस्कृति और कानून में "हिजड़ा" एक नर है, जो बधिया कर दिया गया हो;लेकिन भारतीय हिजड़ों में कुछ ने ही नर जननांगों को पूरा या कुछ हद तक हटाया था. इन कानूनों में सामान्यतया "नपुंसक वर्ग" में वे पुरुष भी समाहित थे जिन्होंने शपथपूर्वक "सक्रिय" नर यौन कार्य त्याग दिये हों.

[89] ह्यूमन राइट्स वायलेशन्स अगेन्स्ट ट्रान्स जेन्डर कम्युनिटी, पृष्ठ संख्या 44-45.

[90] इबिड.

[91] लॉरेंस डब्ल्यू प्रेस्टन, "अ राइट टु एग्ज़िस्ट: यूनक्स एंड द स्टेट इन नाइनटीन्थ सेन्चुरी इन्डिया, वॉल्यूम 21, नम्बर2 (1987), पृष्ठ संख्या 371-87.

धन, पर स्वामित्व के अधिकार में बाधाएं डालते थे.[92] आवारगी कानूनों में भिक्षाटन के खिलाफ प्रावधानों के अंतर्गत ,जैसे मुंबई और बंगाल प्रेसीडेंसियों के कानूनों में, हिजड़ों की प्रथागत सामाजिक भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण किया गया. सन 1897 के संशोधन में, जिसका उपशीर्षक था,"आपराधिक जनजाति और हिजड़ों के पंजीयन का अधिनियम " हिजड़ों की पहचान को धारा 377 से जोड़ा गया. इससे पता चलता है कि कैसे आवारगी और गुदा मैथुन प्रावधान एक ही मकसद को पूरा करते थे: इनका ध्येय न केवल किसी खास व्यवहार की निगरानी करना था, वरन् एक श्रेणी या वर्ग के लोगों पर नजर रखना और उन्हें नियंत्रित करना था. अंततः औपनिवेशिक आवारगी कानून हिजड़ा होने की "व्यक्तिगत स्थिति" को कानूनी अपराध बना देते थे. एक भारतीय मानवाधिकार संगठन का कहना है कि

> -साधारण यौन विन्यास के अनुरूप न होने के कारण हिजड़ों को औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा कठोर बाध्यताएं और दंड दिये गये. एक हिजड़ा होना अपने आप में एक आपराधिक उद्यम था,जिसमें निगरानी एक दैनिक सच्चाई थी .... उन पर हिंसा करने में कानून के भीतर और बाहर , पुलिस की भूमिका उनके जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी कि पूर्व अापराधिक जनजातियों के जीवन में. लेकिन ... यह महत्वपूर्ण है कि उनकी कलंकित यौनिकता के कारण राष्ट्रवादी या मातहत इतिहासों में हिजडे को कभी कोई आवाज़ नहीं मिली.[93]

आपराधिक हिजड़ा, आवारा और लौडा श्रेणियों की रचना से राज्य को किसी वास्तविक कृत्य के सबूत के बिना, गुदा मैथुन की धारणा पर लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिला. किसी व्यक्ति का एक निश्चित प्रकार का दिखना या होना मात्र ही उत्पीड़न, गिरफ्तारी, कानूनी निरोध और शोषण का आधार बन गया.

---

[92] इबिड.

[93] ह्यूमन राइट्स वायलेशन्स अगेन्स्ट ट्रान्स जेन्डर कम्युनिटी पृष्ठ संख्या 45-46.

न्यायालयीन मिथक

"इनफन्डिब्युलिफॉर्म" का अर्थ "कीप के आकार का" होता है. एक असामान्य शब्द, जिसका उपयोग विशेष रूप से दो चीज़ों का वर्णन करने के लिये किया जाता है-कुछ फूलों के आकार का, और "आभ्यासिक गुदा मैथुनिकों" की गुदाओं का. जाहिर है, औपनिवेशिक कानून को बाद वाले उपयोग में अधिक दिलचस्पी थी.

उनकी चिंताओं की झलक भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत पहले मामले की खबर में अपील के समय दिखी. महारानी विरुद्ध खैराती[94], सन1884 के मामले में सत्र न्यायाधीश ने अनाम हिजड़ा प्रतिवादी (नामित केवल खैराती या भिखारी) को 377 के तहत, गुदा मैथुन अपराध को उकसाने के आरोप का दोषी पाया" कि वह, 15 जून (1883) से पहले चार महीने के भीतर, सही समय राज्य के लिए निर्धारित करना असंभव हो रहा था, मुरादाबाद जिले में किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने ऊपर गुदा मैथुन करने की छूट दे चुका था. खैराती को एक "हिजड़ा" कहा गया था क्योंकि वह "किसी एक परिवार की महिलाओं के बीच एक महिला के रूप में गाता पाया गया था."

सुनवाई अदालत ने कहा कि "उसमें आभ्यासिक लौंडा होने के लक्षण नज़र आते हैं और इस विशेषता का परिचायक है- गुदा के छेद का एक तुरही के आकार में विरूपण...जो साफ़ तौर पर कुछ महीनों के भीतर हुये अप्राकृतिक संभोग से बनता है."[95]इस प्रकार खैराती पर मुकदमा गुदा मैथुन की किसी विशेष घटना के लिए नहीं चलाया गया. एकमात्र सुराग उसके पहनावे में था- जो बाद में मेडिकल जांच के द्वारा प्रमाणित हुआ. निचली अदालत का कहना था कि "इन तीन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित हुआ-पहला, औरत के रूप में उसकी उपस्थिति, दूसरा विरूपण [गुदा का] और तीसरा यौन रोग- निष्कर्ष यह था कि हाल ही में वह अप्राकृतिक वासना के अधीन हुआ है." अपील अदालत ने सजा रद्द कर दी क्योंकि वहाँ कृत्य के बारे में कोई

[94] क्वीन - एम्प्रेस विरुद्ध खैराती, 1884 इन्डियन लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 6, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 204, पृष्ठ संख्या 602.

[95] खैराती पृष्ठ संख्या. 602, (जोर जोड़ा गया है).

विशिष्टता नहीं थी: यही नहीं, समय, स्थान और "साथी " की पहचान भी नहीं हो पाई थी. बहरहाल, न्यायाधीश ने कहा "इस घृणित व्यवहार की जाँच ...के सरकारी प्रयास प्रशंसनीय थे".[96]

खैराती मामले में, पहली अदालत ने यह तय करने के लिये कि गुदा मैथुन किसी पूर्व समय में निश्चित रूप से हुआ था, न्यायालयीन सबूत को स्वीकार किया.

जाहिर है कि स्पष्टता के लिए अपील न्यायाधीश की मांग के बावजूद अधिकारियों के "प्रशंसनीय" चिकित्सा प्रयास जारी रहते, और बाद में वे साक्ष्य के रूप में सामान्य स्वीकृति पाते गए. गुदा मैथुन कानून का पूरा प्रभाव अपराध पर सिर्फ कानूनी नज़र डालकर ही नहीं समझा जा सकता. गुदा मैथुन के अपराध को साबित करने के लिए प्रामाणिक साक्ष्य की ज़रूरत ने राज्य को संदेहास्पद व्यक्ति के शरीर पर अधिकार और समलैंगिकता की एक आपराधिक पहचान बनाने में मदद की.

सभी यौन अपराध राज्य को लोगों के शरीर में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए असामान्य अधिकार देते हैं: अपराध की घटना का सच निर्धारित करने के लिये, सच को झूठे आरोप से अलग करने कि लिये और अक्सर यौनिक कृत्य की सही और सटीक हद स्थापित करने के लिए यह काम किए जाते हैं. उदाहरण के लिए, न्याय चिकित्सा विशेषज्ञ बलात्कार पीड़ित के शरीर पर किसी चोट या हमले का निशान देखने के लिए उसकी शारीरिक जांच करते हैं – यह खासकर उन देशों में होता है जहाँ यह मामला आम कानून के अंतर्गत आता है. फॉरेंसिक डॉक्टरों यौन कर्मियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी मददगार साबित हुए. ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में उन्नीसवीं शताब्दी के विभिन्न संक्रामक रोग अधिनियमों में, "आम" या आभ्यासिक वेश्या की श्रेणी बनायी गई. इन अधिनियमों के तहत महिलाओं के शरीर क्रूर चिकित्सकीय परीक्षाओं के शिकार हुए. यौन रोग का निदान आपराधिक दोष सिद्धि के बराबर था, जिसके बाद कारावास दिया जा सकता था.[97]

---

[96] इबिड.

[97] देखें जुडिथ आर वॉकोविट्ज, प्रोस्टिट्यूशन एंड विक्टोरियन सोसायटी: वीमेन,क्लास,एंड द स्टेट (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1980).

विक्टोरियन युग में फॉरेंसिक विज्ञान में "आभ्यासिक गुदा मैथुनिक" को खोजने के लिए विस्तृत, काल्पनिक लक्षणों का आविष्कार किया गया. माइकल फूको ने लिखा है: "उन्नीसवीं - सदी का समलैंगिक एक विशेष चरित्र बन गया, जो एक अतीत, एक मामले का इतिहास, और एक बचपन भी था ... जिसकी एक लापरवाह शारीरिक रचना और संभवत एक रहस्यमय शारीरिक वृत्ति थी."[98]

फ्रांस के विधि चिकित्सक अगस्टे एम्ब्रोइज़ तारड्यू ने "वेश्या" और "बाल मैथुनिक" की पहचान करने पर अपने बेहद प्रभावशाली निबंध को सन 1857 में प्रकाशित किया. इसके अनुसार "बाल मैथुनिक" के छः अचूक लक्षण होते हैं: " नितंबों का अत्यधिक विकास; कीप के आकार के विकार वाली गुदा, ढीली पड़ी संवरणी; गुदा की परिधि पर शिखा और शाखा की मिटती परतें; गुदा के दहाने का चरम बढ़ना; और वृणोत्पत्ति, बवासीर और फिस्ट्यूल्स."[99] ब्रिटेन में "ग्लास्टर्ज़ मेडिकल जुरिसप्रूडेन्स एंड टॉक्सिकॉलोजी" ने टारड्यु के सिद्धांत का अनुगमन किया: जिसके बीसवीं सदी तक के संस्करणों में "कीप के आकार के विकार बाली गुदा" को किसी के निष्क्रिय गुदा मैथुनिक होने का निश्चित लक्षण माना गया.[100]

मिस्र से जिम्बाब्वे तक बहुत से देशों में ऐसे काल्पनिक विकारों का पता लगाने के लिये किये गये परीक्षणो का दस्तावेजीकरण ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया है. वे शारीरिक गोपनीयता भंग करते हैं. जेल जैसी स्थितियों में सहमति के बिना किए गया ये परीक्षण अत्याचार की श्रेणी में आते हैं. उनमें अंतर्निहित सिद्धांत चिकित्सकीय रूप से बेकार हैं. दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन विश्वविद्यालय की न्यायालयिक विकृतिविज्ञान की प्रोफेसर डा. लोर्ना मार्टिन ने ह्यूमन राइट्स वॉच से कहा कि टारड्यु के सिद्धांत "विचित्र और पुरातन ... बकवास हैं. उन्होंने आगे कहा, "दीर्घकालिक गुदा प्रवेश का पता लगाना असंभव है, उसी हालत में [न्यायालयिक गुदा] परीक्षा किसी काम की हो सकती है जब सहमति के बिना हुए किसी तीव्र गुदा प्रवेश के बारे में पता करना हो, जहां कुछ चोटों को देखा जा

---

[98] माइकल फूकॉल्ट, द हिस्ट्री अॉफ सेक्सुएलिटी वॉल्यूम 1 (लंदन: पेंगुइन,1976), पृष्ठ संख्या. 42.

[99] अगस्ट एम्ब्रोइज़ टारड,लीगेल सुर ले अटेन्टेट्स ओ मोयेर्स (फॉरेंसिक स्टडी अॉफ एसॉल्ट्स अगेन्स्ट डीसेन्सी)3रा संस्करण, (पेरिस: जे बी बेइलेयर, 1859), पृष्ठ संख्या 142-3, मानवाधिकार वॉच के लिए अनुवाद स्कॉट लांग द्वारा.

[100] जे ग्लास्टर, मेडिकल जुरिसप्रूडेन्स एंड टॉक्सिकॉलोजी, ग्यारहवाँ संस्करण (एडिनबर्ग: लिविन्गस्टन, 1950) पृष्ठ संख्या 259.

सकता है."[101] बहरहाल, इन परीक्षणों का अब तक किया जाना यह सुझाता है कि वे न केवल उनसे जुड़े चिकित्सा मिथकों के लिये महत्वपूर्ण हैं, बल्कि अपने घटक तत्वों, जैसे - अधीनस्थ व्यक्ति का अपमान, और उसके शरीर पर सरकार की सत्ता जारी रखने के लिए भी ज़रूरी हैं. यह एक कठोर और तकलीफदेह तरीके से, कामुकता पर राज्य तंत्र की निगरानी को बहाल रखता है.

भारतीय न्याय-चिकित्सा विशेषज्ञों ने टारड्यु और ग्लास्टर के लेखन का पालन करते हुये गुदा मैथुनिकों के शरीरों के "अंतर" समझाने के लिये अपनी समझ के आधार पर भी विभिन्न नए मानक उसमें जोड़े. उनका दावा था कि एक " लौंडा" या "गुदा मैथुनिक" वैज्ञानिक रूप से अलग किस्म का व्यक्ति होता है और उसकी शारीरिक बनावट भिन्न होती है. उदाहरण के लिए, एजाज अहमद, "गुदा के विस्तीर्ण होने और इस हिस्से में त्वचा की तुड़ी मुड़ी, झुर्री दार स्थिति "की तरफ ध्यान खींचते हैं.[102] नारायण रेड्डी फैलाव की धारणा को और आगे ले जाते हैं और एक कच्चा स्फिन्क्ट्रोमीटर देते हुये कहते हैं कि, सबूत के रूप में गुदा के फैलाव का व्यास 4 से 5 सेन्टीमीटर तक हो जिससे मलाशय तक देखा जा सके."[103] अन्य फोरेंसिक विशेषज्ञ इससे भी आगे जाते हुए, प्रवेश करने के सिर्फ भौतिक लक्षण से परे जाने की ज़रूरत पर ज़ोर डालते ह, वे कहते हैं कि गुदा मैथुनिक के बाह्य रूप की तैयारी पर भी नज़र डाली जा सकती है. उदाहरण के लिए "गुदा बाल की

---

[101] डा. लोर्ना मार्टिन की ई मेल, स्कॉट लॉन्ग , ह्यूमन राइट्स वॉच , को, 23 जुलाई, 2003. डॉ. रॉबर्ट नाय, सेक्सोलोजी के इतिहासकार, ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि "निष्क्रिय गुदा मैथुन के प्रसिद्ध छह 'लक्षणों" के विषय में अगली ही पीढ़ी के न्यायालयिक डॉक्टर और सेक्सोलोजिस्ट्स ने प्रष्न उठाये और उनकी वैधता को नकार दिया. उन्होंने कहा टारड्यु "सरासर अविश्वसनीय" सिद्ध हुये, और परीक्षायें "अत्यधिक भयावह" रहीं. स्कॉट लॉन्ग, ह्यूमन राइट्स वॉच ,को प्रोफेसर राबर्ट नाय इतिहास विभाग ओरेगॉन राज्य विश्वविद्यालय, 18 जुलाई, 2003 का ई मेल. दोनों उद्धरित हैं, अ टाइम अॉफ टॉर्चर : द असॉल्ट अॉन जस्टिस इन ईजिप्ट्स क्रैकडाउन अॉन होमोसेक्सुअल कनडक्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, 2004 में. परीक्षा के मेडिकल और कानूनी निहितार्थ के लिये स्कॉट लॉग की सर्वेक्षण रिपोर्ट देखें, वेन डॉक्टर्स टॉर्चर: द एनस एंड द स्टेट इन ईजिप्ट एंड बियॉन्ड " हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स:एन इन्टरनेशनल जर्नल वॉल्यूम 7, नम्बर 2 (2004), पृष्ठ संख्या 114-40.

[102] एजाज अहमद, सेक्सुअल अॉफेन्सेज़, द्वितीय संस्करण (हैदराबाद: अशोक लॉ हाउस, 1980), पृष्ठ संख्या 736. और देखें मोदीज़ मेडिकल जूरिसप्रूडेन्स एंड टॉक्सिकॉलोजी 22 वाँ संस्करण, एड. बी वी सुब्रमण्यम (नई दिल्ली: बटरवर्थ्स, भारत, 1999), पृष्ठ संख्या 521-533, और एस एन गौर, लॉयन्स मेडिकल जूरिसप्रूडेन्स फॉर इन्डिया 10वाँ संस्करण, (इलाहाबाद: लॉ पबलिशर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, 1988), पृष्ठ संख्या 482-488.

[103] के एस नारायण रेड्डी, एसेन्शियल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलोजी (हैदराबाद: के. सुगुना देवी, 2003), पृष्ठ संख्या 212.

हजामत बनाना, जिसमें जरूरी नहीं कि जघन बाल की भी हजामत की जाये" एक आभ्यासिक, निष्क्रिय गुदा मैथुनिक होने की संदेह पुष्टि के लिये पर्याप्त है.[104]

न्यायालयिक लेखकों द्वारा की गई ये अटकलें एकल यौन कृत्यों का दस्तावेज़ीकरण करने का प्रयास नहीं हैं, बल्कि जीवन इतिहास से निष्कर्ष निकालने और एक पहचान बनाने के लिये हैं.[105] औपनिवेशिक भारत में डी पी मिनवाला विरुद्ध सम्राट मामले में प्रतिवादी ने अपनी गुदा का इन फनडिब्युलिफॉर्म न होना और गैर चिन्हित होना, अपने गैर आपराधिक अतीत का सबूत बताया. मिनवाला एक और आदमी के साथ गुदा मैथुन करते हुये पकड़ा गया था. अपने को निर्दोष साबित करने के लिए, वह एक चिकित्सकीय जाँच के लिये प्रस्तुत हुआ, कि वह अदालत को विश्वास दिला सके कि उसके गुदा का छेद एक चिमनी के आकार का नहीं था. उस अपील अदालत ने मिनवाला के दोषी होने की पुष्टि की, लेकिन दंड को कम कर दिया, क्योंकि शारीरिक परीक्षा से लगता था कि यह एक क्षणिक चूक थी न कि उसकी आभ्यासिक पहचान.[106]

जिस प्रकार कि महिलाओं के यौन इतिहास में हेर फेर कर उन्हें बलात्कार के मामले में सुरक्षा से इनकार किया जा सकता है, उसी तरह एक "आभ्यासिक गुदा मैथुनिक" नामित होने का मतलब है, सहमति न देने का अधिकार खोना.[107] स्वतंत्र पाकिस्तान का सन 1981 का एक मामला उदाहरणीय है. पाकिस्तान को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 विरासत में मिली और यह बहाल भी है; 1970 के दशक में, हालांकि, सरकार के कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधि का इसलामीकरण हुआ जिसमें ज़िना का अपराध प्रस्तावित हुआ, जिसमें अन्य बातों के अलावा पुरुषों के बीच यौन संबंधों की सजा है, बशर्ते उसमें अपहरण भी शामिल हो.[108] मुहम्मद दीन के मामले में ज़िना के अंतर्गत लाहौर में एक रेल्वे

---

[104] आर एल गुप्ता, मेडिको-लीगल ऐस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेन्सेज़ (लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी, 1991), पृष्ठ संख्या 414.

[105] मोरैन 1995, पृष्ठ संख्या 34.

[106] डी पी मिनवाला विरुद्ध एम्परर, 1935 अखिल भारतीय रिपोर्ट, उच्च न्यायालय सिंध, पृष्ठ संख्या 78.

[107] स्थायी कानूनी अल्पसंख्यक की श्रेणी जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून ने "हिजड़ों" पर लागू की, जिसमें वसीयत करने की क्षमता से भी इनकार किया गया है, शायद एक समानांतर उदाहरण है.

[108] द ऑफेन्स ऑफ ज़िना (एनफोर्समेन्ट ऑफ हुदूद) और्डिनैन्स 1979, सेक्शन 12: "अप्राकृतिक वासना के अधीन करने के लिये अपहरण के विषय में: जो भी अपहरण करता है या किसी भी व्यक्ति को अपहरण के आदेश देता है कि ऐसे व्यक्ति को अधीन किया

स्टेशन पर दो पुरुषों पर एक तीसरे नवयुवक के बलात्कार का आरोप था. लेकिन अभियोक्ता की चिकित्सा परीक्षा में, उसकी गुदा "मध्यम रूप से कीप के आकार की मिली और वह एक अभ्यस्त निष्क्रिय अभिकर्ता होने का आभास देती थी." इस के आधार पर अदालत ने पीड़ित के दावे को खारिज कर दिया. इस दृष्टिकोण को, कि उसने स्वेच्छा से यौन संबंध में भाग लिया " चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन प्राप्त हुआ कि वह एक आभ्यासिक निष्क्रिय अभिकर्ता दिखाई देता है." इसलिये अदालत ने यह विश्वास करने से मना कर दिया है कि "शिकायतकर्ता का अपहरण अप्राकृतिक वासना के प्रयोजन के लिए किया गया था." और इसके बाद ज़िना का आरोप भी खारिज हो गया.[109]

जाये, या जानता है कि उसे अधीन किया जा सकता है, या अनुकूल किया जा सकता है, उसे मृत्युदंड या पच्चीस साल तक के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है.

[109] मुहम्मद दीन विरुद्ध राज्य, 1981 ऑल पाकिस्तान्स लॉ डिसिज़न्स, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, पृष्ठ संख्या 191. यह मामला फिर पाकिस्तान की धारा 377 के संस्करण के अंतर्गत लड़ा गया.

IV. गुदा मैथुन कानून की व्याख्या: बढ़ते दायरे

विधि चिकित्सकीय परीक्षाएं दिखाती हैं कि जब राज्य यौन आचरण की पद व्याख्या करने निकलता है, तो कृत्यों के सबूतों और विशिष्टताओं के मीन मेख निकालने की अति कर देता है. औपनिवेशिक काल में और आगे भी अदालतों की धारा 377 के विभिन्न संस्करणों की व्याख्या की कहानी से राज्य के अधिकारियों का विभिन्न यौन विवरणों के दलदल में फंसा होना साफ दिखाई देता है. दोनों मिलकर, अनुमेय और दंडनीय यौन कार्यों के बीच की रेखा को तर्क संगत परिभाषा देने की प्रक्रिया में, एक तार्किक उठा पटक करते दिखाई देते हैं.

"अप्राकृतिक अपराध" की एक विशिष्टता जो कभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही, वह थी सहमति की धुरी. उपनिवेशवाद के तहत और स्वतंत्रता मिलने के बाद तक जो न्यायशास्त्र जीवित रहा है (कानूनी रिपोर्टों तक पहुँचने वाले ज्यादातर मामले अपील पर आधारित थे, जो कि दोष सिद्ध मामलों का आंशिक प्रतिनिधित्व करते थे) उसके अंतर्गत आने वाले गुदा मैथुन के आरोप सहमति के बिना हुए कृत्य से संबंध रखते थे. लगभग सार्वभौमिक रूप से - जैसा कि जिम्बाब्वे के एक कानूनी विशेषज्ञ लिखते हैं -तथ्य यह है कि "एक हमला (संभवतः हिंसक) हुआ है, यह बात इस अदालत के लिये दोयम महत्व की है".[110] सहमति के विषय पर कानून की चुप्पी पीड़ितों के लिये न्यायाधीशों की उदासीनता दर्शाती है. यह भावना भी सशक्त होती है कि सहमति का होना "एक पीड़ित के न होने" का सूचक है, और यह बात मुकदमा चलाये जाने के लिए कोई बाधा नहीं है.[111]

यह अध्याय दिखाएगा:

- पहला, यौन कृत्यों की विस्तृत जांच से धारा 377 के अंतर्गत आने वाले कृत्यों का भी विस्तार हुआ. कानून ने "यौन विकृति," की श्रेणियों की व्यापक पहचान का दायरा बढ़ाया,

[110] ओलिवर फिलिप्स, सेक्सुअल ऑफेन्सेज़ ईन जिम्बाब्वे : फेटिशिज़्म्स ऑफ प्रोक्रियेशन, परवरज़न्स एंड इनडिविजुअल ऑटोनोमी (अप्रकाशित पी एच डी थीसिस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जुलाई 1999 से), पृष्ठ संख्या 193.

[111] इबिड.

और इसके कारण यद्यपि विषमलैंगिक जोड़ों से प्रतिबद्ध कुछ यौन कृत्य भी इसके दायरे में आ गये, इसके अर्थ के केंद्र में गुदा मैथुनिक, लौंडा, या "समलैंगिक" थे.

- दूसरा, सहमति से किये और गैर सहमति से किये कृत्यों की पृथक पहचान करने में, या नाबालिगों के दुरुपयोग को अलग से संरक्षण प्रदान करने में धारा 377 की विफलता के कारण "समलैंगिकता" को अन्य हिंसक यौन अपराधों के साथ जोड़ा गया जिससे कि संबंधित कानूनी कलंक में वृद्धि हुई.
- तीसरा, ब्रिटिश कानून ने महिलाओं के बीच यौन संबंधों की सजा कभी नहीं दी- और इसलिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इसके लिए आपराधिक दंड का आयात नहीं किया. लेकिन ब्रिटिश "सकल अशालीनता" प्रावधान की व्यापक पहुँच से राज्यों के लिये समलैंगिक औरतों को भी दंडित कर पाने का एक रास्ता खुल गया है.

न्यायशास्त्र: 'प्रकृति के विरुद्ध अपराध "से जातीय मूल्यों तक

1930 के दशक में भारत में, पुलिस ने एक नव युवक रतनसी को पकड़ा, जब वह एक दूसरे पुरुष के साथ यौन कृत्य करने की कोशिश कर रहा था. अदालत में, रतनसी ने इससे इंकार नहीं किया. कोपाकुल न्यायाधीश ने उसे "मानवता का एक नीच नमूना" कहा, जो कि स्वयं " लौंडेबाजी का आदी "होना कबूल करता है.[112] अदालत की घृणा मात्र इस एक कृत्य के लिये नहीं थी, यह उस पूरे घृणित वर्ग के प्रति थी. लेकिन न्यायाधीश उन दोनों को दंडित नहीं कर पाए,क्योंकि इससे पहले कि वे कृत्य को पूरा कर पाते, वे पकडे गए थे. गिरफ्तार किये गये पुरुषों के प्रति न्यायाधीश का प्रतिकर्षण, और विधा की मांग के अनुरूप साक्ष्य की सीमा के बारे में उनकी समझ के बीच एक बड़ा अंतराल था. दोष सिद्धि के लिये प्रवेश आवश्यक था, और शारीरिक या अन्य सबूत.

धारा 377 के आसपास का बाद का ज्यादातर न्यायशास्त्र, कई उन स्थानों पर जहां यह लागू की गई, इस अंतर को कम करने की कोशिश में लगा रहा: वे यौन "अनैतिकता" का एक नया नक्शा निर्धारित करने की कोशिश करते रहे जिसके भीतर अधिक से अधिक कृत्यों को ठूँसने की कोशिश

[112] नौशेरवान विरुद्ध सम्राट, 1934 अखिल भारतीय रिपोर्ट, उच्च न्यायालय सिंध, पृष्ठ संख्या 206.

की गई, जिससे कि मानवता का कोई भी "नीच नमूना" आगे से बरी न होने पाये. जैसा कि एक टीकाकार कहते हैं कि "अप्राकृतिक" किसे माना जाए, और किसे "प्रवेश" माना जाना है, इस विषय पर लगातार, मनमाने तरीके से, एक बेढंगी चर्चा, कई देशों की अदालतों में चलती रहीं.[113]

"प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग" कभी सुस्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं किया गया था. हालांकि, कानून की रिपोर्ट तक पहुँचने वाले सबसे पहले भारतीय मामलों में से एक में, संभवत: उस समय की सामान्य न्यायिक समझ प्रतिबिंबित होती है. वहां उपयोग किया गया मुहावरा अंग्रेजी के "एनल सेक्स" के करीब था, क्योंकि "कृत्य वहीं किया जाना चाहिये जहाँ गुदा मैथुन अधिकतर की जाती है."[114]

सन 1925 के भारतीय मामले खानू विरुद्ध सम्राट[115] में धारा 377 की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की ओर पहला कदम उठाया गया. एक लंबे समय के लिए यह 377 की व्याख्या के लिये दक्षिण एशिया,पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए एक मार्गदर्शक फैसला बना रहा. यह मामला एक वयस्क पुरुष और एक नाबालिग के बीच जबरन मौखिक यौन कृत्य का था. इस कृत्य की गैर -सहमति की प्रकृति ने अपील के निर्णय में कोई भूमिका नहीं निभाई थी. संबंधित अदालत के लिये एकमात्र प्राथमिकता यह थी कि मौखिक यौन कृत्य धारा 377 के तहत एक अप्राकृतिक कामुक अपराध था या नहीं.

खानू ने कहा हाँ. 377 गुदा मैथुन तक ही सीमित नहीं था.[116] इसमें तर्क की दो धाराएं उद्धरित की गईं.

---

[113] सुपर्णा भास्करन, "द पॉलिटिक्स ऑफ पेनिट्रेशन : सेक्शन 377 अॉफ द इन्डियन पीनल कोड" रुथ वनिता, संपादित, क्वीयरिन्ग इन्डिया: सेम सेक्स लव एंड इरोटिसिज़्म इन इन्डियन कलचर एंड सोसायटी (लंदन: रूटलेज, 2002), पृष्ठ संख्या 20.

[114] सरकार विरुद्ध बापोजी भट्ट, 1884 मैसूर लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 7, पृष्ठ संख्या 280. इस अपील में सेक्शन 377 के तहत एक नाबालिग के साथ मुख मैथुनका आरोप लगाया गया था.

[115] खानू विरुद्ध सम्राट, 1925 उच्च न्यायालय सिंध, पृष्ठ संख्या 286.

[116] इबिड

पहले में प्रकृति के नियम के अनुसार, यौन संबंधों को "मानव प्रजनन की संभावना" की तरह परिभाषित किया गया: कानूनी तौर पर मुख मैथुन भी गुदा मैथुन की श्रेणी में आता था क्योंकि इससे प्रजनन की संभावना नहीं थी. औपनिविशिक न्यायालयों ने भारतीय परम्परा की पूरी तरह अवहेलना की, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यौनिक अचरण में औचित्य के बारे में इनकी समझ पूर्ण रूप से यूरोपियन अवधारणाओं पर आधारित थी, जो प्रकृति को प्रजनन से ही जोड़कर देखती हैं. न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि दूसरे तरह के प्रवेश वाली यौनिक क्रियाओं (उदाहरण के लिए जन्म नियंत्रण के उपयोग) में भी "प्रजनन की संभावना नहीं होती है".[117]

सोच की दूसरी धारा ने प्रवेश को पुन: परिभाषित किया. यहां अदालत ने "कामुक संभोग "को इस तरह परिभाषित किया:

> एक जीव से दूसरे जीव की अस्थायी मुलाकात जो एक स्पष्ट और सीमित उद्देश्य से की गई हो. मुलाकात के लिए यात्रा करने वाले जीव का प्राथमिक उद्देश्य उल्लासोन्माद प्राप्त करना होता है जो कामुकता जनित तंत्रिकाओं के तनाव के शैथिल्य से प्राप्त होता है. लेकिन वह तब तक संभोग नहीं माना जाएगा जब तक यात्रा करने वाला जीव कम से कम आंशिक रूप से यात्रा किए गए जीव से घिरा हुआ हो क्योंकि संभोग में दोनों पक्षों की सहभागिता ज़रूरी है. [118]

[117] खानू में औपनिवेशिक अदालत ने उसी दौरान, "अप्राकृतिक" यौन संभोग को गैर प्रजननात्मक यौन संबन्ध परिभाषित किया, ब्रिटेन में गर्भ निरोधण तब कानूनी रूप से जायज़ था. खानू से चार साल पहले मेरी स्टोप्स ने ब्रिटेन में 1921 में पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला था. ब्रिटेन में जन्म नियंत्रण कभी अपराध नहीं था हालांकि गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी बांटने से 19 वीं सदी में अश्लीलता के आरोप का खतरा होता था: देखें क्रिस्टेन ब्रैन्डसर, "लॉ लिट्रेचर एंड लिबेल: विक्टोरियन सेंसरशिप अॉफ 'डर्टी फिल्थी' बुक्स अॉन बर्थ कन्ट्रोल", दस्तावेज जो कानून और समाज एसोसिएशन, शिकागो, इलिनोइस, 27 मई, 2004 की बैठक में प्रस्तुत किया गया.

[118] खानू पृष्ठ संख्या 286.

जब तक “यात्रा कर रहे सदस्य” को घेरने के लिए एक मुहाना (मुख) उपलब्ध हो तब तक कामुक संभोग हो सकता है और यदि यह क्रिया प्रजनन में परिवर्तित न हो सके, तो वह एक "अप्राकृतिक अपराध है”.[119]

खानू ने धारा 377 के दायरे के अंतर्गत अन्य कृत्यों को लाने का रास्ता खोल दिया. उदाहरण के लिए, 1961 में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के एक मामले में पाया गया कि पाकिस्तानी दंड संहिता में "जांघ मैथुन” के लिए समान आपराधिक प्रावधान हैं।[120] अदालत ने खानू द्वारा दिए प्रवेश की विशिष्ट परिभाषा कि "अभियुक्त के पुरुष जननांग के [दूसरे साथी] के जांघों के बीच की कृत्रिम गह्वर में प्रवेश का अर्थ संभोग होगा और यही कामुक संभोग कहलाएगा” मानी.

भारतीय स्वतंत्रता के बाद के लोहाना वसंतलाल मामले ने खानू फैसले पर चलते हुए उसे संशोधित किया.[121] खानू मामले की ही तरह, तथ्यों के अधार पर, इस मामले में भी तीन आदमियों ने एक अवयस्क लड़के को उनके साथ गुदा और मुख मैथुन करने के लिए मजबूर किया. हालांकि, इस निर्णय में उस लड़के को पहुंची चोट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिसके साथ बलपूर्वक यौन कृत्य किया गया था: और इसमें बल प्रयोग पर कोई चर्चा नहीं होती. इसके बजाय अदालत ने मुख मैथुन को धारा 377 में शामिल करने पर सारा ध्यान केंद्रित किया. अपील में अाये, बल प्रयोग से किए गए यौनिक कृत्यों के अन्य मामलों की तरह अदालत ने इसे भी सहमति से हुए एक और कृत्य की तरह ही लिया.

लोहाना वसंतलाल फैसले ने खानू की तरह मुख मैथुन को अप्राकृतिक माना: “मुँह का मुहाना प्रकृति के अनुसार यौन कृत्यों या कामुक संभोग के लिए नहीं है”.[122] अदालत ने इस पर दो परीक्षण

---

[119] इबिड. खानू अदालत ने अब भी मुख मैथुन को "सदोम के पाप से कम हानिकारक" पाया. इसका अजीब कारण यह था कि "यह उन के साथ नहीं किया जा सकता जिनकी सहमति न हो. यह आम नहीं है, और हो भी नहीं सकता."-और सबसे विशेष रूप से "यह वे भौतिक परिवर्तन कभी नहीं पैदा कर सकता जो दूसरा दुराचरण पैदा करता है".

[120] मुहम्मद अली विरुद्ध राज्य, 1961 अॉल पाकिस्तान लॉ डिसिज़न्स, उच्च न्यायालय ढाका, पृष्ठ संख्या 447.

[121] लोहाना वसन्तलाल देवचन्द विरुद्ध राज्य, 1968 अखिल भारतीय रिपोर्ट, उच्च न्यायालय गुजरात, पृष्ठ संख्या 252.

[122] इबिड.

किये. इसका मुख्य स्रोत, जाहिर तौर पर, ब्रिटेन से आया: वे थे प्रख्यात ब्रिटिश सेक्सॉलोजिस्ट हैवलॉक एलिस. उनके अनुगमन करते हुये, अदालत का यह तर्क था कि मुख मैथुन उस परिस्थित में अनुमेय हो सकता है अगर इसकी परिणति "सामान्य" (योनिक) संभोग में हो. "यदि उक्त क्रिया का उपयोग सिर्फ काम वासना जगाने के लिए किया गया हो उस परिस्थिति में यह तर्क दिया जा सकता है कि यह अप्राकृतिक कामुक संभोग की ही भूमिका है"[123] लेकिन फिर से एलिस का ही उदाहरण लेते हुये कहा गया, यदि मैथुन क्रीड़ा की यह प्रक्रिया "लैंगिक सूजन न पैदा करें और "मैथुन की इच्छा को ही खत्म करें" तब "ये विचलन कहलाते हैं और तब इन्हें 'विकार" कहा जा सकता है."[124]

लोहाना मामले ने यौन कृत्यों के लिए एक "अनुकरणशील परीक्षण" भी विकसित किया. उदाहरण के लिए मुख मैथुन प्रवेश, मुहाना, घेरा और यौनिक आनंद के मामले में गुदा मैथुन का अनुकरण करता ह. इसलिए इसमें भी धारा 377 के तहत सजा दी जा सकती है.

सन 1969 के एक भारतीय मामले, के.गोविंदन, ने लोहाना के ही "अनुकरणशील परीक्षण" का उपयोग किया और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जैसा कि पहले के पूर्वी पाकिस्तान में अदालत "जांघ मैथुन " के मामले में पहुंची थी: कि "यदि लिंग जांघों के बीच "प्रवेश करता है" या "जबरदस्ती घुसाया" जाता है तब यह "प्रवेश" अप्राकृतिक अपराध की श्रेणी में आता है."[125]

खानू मामले में जज ने कहा था, "मुझे नहीं लगता कि आपसी हस्त क्रिया को "कामुक संभोग" का एक रूप कहा जा सकता है – इस तरह वे हस्त मैथुन की एक ग्रीक व्यंजना (चेयरोरजिया) की ओर इशारा कर रहे थे.[126] हालांकि, एक अदालत आपसी हस्त मैथुन को 1992 में, ब्रदर जॉन एंटनी विरुद्ध

---

[123] इबिड.

[124] इबिड.

[125] केरल राज्य विरुद्ध के गोविन्दम, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1969), 818 पृष्ठ संख्या 20.

[126] खानू 286 में. चेयरोरजिया, यूनानी में अर्थ, "हाथ से काम किया है."

राज्य[127] के एक भारतीय मामले में धारा 377 के दायरे में ले आई. इस मामले में भी, बल प्रयोग के आरोप में अदालत को कोई रुचि नहीं थी. बल्कि इस मामले में फैसला "यौन विकृति" के विश्लेषण और महिला समलिंगी कामुकतावादी (ट्राइबेडिज़्म), वहशीता (बेस्टीएलिटी) स्वपीड़न रति (मैसोचिज़्म) यौनिक अन्धभक्ति (फेटिचिज़्म), कामांग प्रदर्शन (एक्ज़िबिशनिज़्म), परपीड़न रति (सैडिज़्म) की चर्चा पर अधिक समय बिताता है.[128] अनुकरणशील परीक्षण का उपयोग करते हुए यह इस फैसले पर पहुंचता है कि आपसी हस्तमैथुन धारा 377 की परिधि में आता है क्योंकि "इस क्रिया में कहा जाता है कि पुरुष जननांग पीड़ित के तंग हाथों में होता है जो मुहाने जैसी स्थिति का निर्माण करती है और लिंग के अंदर जाने और बाहर निकलने की परिस्थिति पैदा करती है."[129]

1990 में सिंगापुर में, दो मामलों पीपी विरुद्ध टैन कुआन मेंग[130]और पीपी विरुद्ध. क्वान क्वांग वेंग[131] - में "प्राकृतिक" यौन आचार में "प्रस्तावना करने के लिए" और "बदले में" के बीच चर्चा छेड़ी जिसकी शुरुआत लोहाना ने की थी. धारा 377 के इन तमाम मुकदमों में महिलाओं ने पुरुषों पर उनसे जबरदस्ती मुख मैथुन करने का आरोप लगाया था. क्वान क्वांग वेंग मामले में अदालत ने इसे " पुरुष एवं महिला के बीच मुख मैथुन अपराध के रूप में दर्ज़ किया और इस क्रिया में महिला की सहमति थी या नहीं यह पूर्णतय: अप्रासंगिक रहा."[132]

क्वान क्वांग वेंग ने विषमलैंगिकों में प्रचलित आचार को समझने के लिए "सिंगापुर में मुख मैथुन के ...सांख्यिकीय सबूत " जुटाए, और कहा, " हम इस विषय पर अपने दिमाग बंद नहीं कर सकते."[133] अदालत ने माना कि "यह जीवन की एक सच्चाई है कि संभोग से पहले युगल अन्य

---

[127] ब्रदर जॉन एंटनी विरुद्ध राज्य, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1992),124 पृष्ठ संख्या 1352. इस मामले में एक बोर्डिंग स्कूल के अध्यापक के खिलाफ मौखिक यौन कृत्य और पारस्परिक हस्तमैथुन के आरोप शामिल थे.

[128] इबिड पृष्ठ संख्या 1353.

[129] इबिड.

[130] पीपी विरुद्ध. टैन कुवान मेंग 1996 सिंगापुर उच्च न्यायालय, पृष्ठ संख्या 16.

[131] पीपी विरुद्ध. क्वान क्वांग वेन्ग 1997 सिंगापुर लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या 697.

[132] इबिड पैरा 12.

[133] इबिड पैरा 30.

कामुक क्रिया करते है." आगे यह भी कहा कि "जब युगल सहमति से रति क्रिया में रत होते हैं तो अपनी यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए मुख मैथुन और भग चूषण की क्रिया करते हैं. इन दोनों क्रियाओं को प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं कहा जा सकता. पर इस परिस्थिति के अलावा किए गए ये कर्म दंडनीय होंगे."[134]

इस तरह विषमलैंगिक मुख मैथुन किसी मोटरिस्ट गाइड में एक मंझले रेस्तरां की तरह है: आप अपनी यात्रा के दौरान वहां का एक चक्कर लगा सकते हैं पर यह कभी भी अपने आप में एक यात्रा योग्य नहीं है. इस तरह कानूनन विषमलैंगिकों को मुख मैथुन करने की तो छूट थी पर समलैंगिकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. विषमलैंगिक यह दावा कर सकते थे कि एक दूसरे मुहाने की यात्रा दरअसल योनि संभोग की उनकी स्वाभाविक गंतव्य योजना के लिए ही एक मोड़ था.

लेकिन, लोहाना और क्वान क्वांग वेंग दोनों ने "प्रजनन" के औचित्य को आहिस्ता से दरकिनार करते हुए खानू फैसले की नींव को हिलाया. क्वान क्वांग वेंग मामले में न्यायाधीश ने निहितार्थ यह स्वीकार किया (जैसा कि सिंगापुर अदालत में आँकड़ों ने सुझाया थी) कि लोग यौन क्रिया को केवल उसके अपने सुख के लिए भी करते हैं- यह एक प्रमुख न्यायिक रियायत थी.

इसने फिर यह सवाल खड़ा किया: कि कानून कितने विश्वास के साथ अप्राकृतिक और प्राकृतिक के बीच अंतर कर सकता है? स्वयं सिद्ध मानकों के अभाव में सिंगापुर में क्वान क्वांग वेंग मामले ने औपनिवेशिक युगीन प्रावधानों के नवीनीकरण की दिशा में एक माहौल बनाया. और विषमलैंगिकों द्वारा मुख मैथुन विषय पर हो रहे मुकदमों ने परिवर्तन की इस ज़रूरत को और बल दिया. सन 2004 में सिंगापुर की अदालत ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी को एक किशोरी के साथ मुख मैथुन करने के आरोप में 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई.[135]एक जज ने कहा कि "कुछ अपराध

---

[134] इबिड पैरा 28.

[135] पहले प्रेस रिपोर्टों द्वारा संकेत मिले कि वह 16 वर्ष की थी, जो कि सहमति की उम्र से ऊपर है, और उसकी सहमति (योनिक यौनिक संभोग के लिये) थी. हालांकि बाद की रिपोर्टों के अनुसार, वह 15 वर्ष की थी. "सिंगापुर रिव्यूज़ ओरल सेक्स लॉ," बीबीसी न्यूज़, 6 जनवरी, 2004;

एशियाई संस्कृति में घृणित माने जाते हैं...दुनिया में और देश हैं जहां आप जितनी मर्ज़ी मुख मैथुन कर सकते हैं. वहां उंचे पदों पर बैठे लोग ऐसा आचरण करते हैं. मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं पर आप इस बारे में अखबारों में पढ़ सकते हैं. पर यह एशिया है."[136]

पर "एशिया" उतना रूढ़िवादी नहीं था जितना कि न्यायाधीश ने सोचा थ. समलैंगिक कृत्यों का अपराधीकरण एक अलग बात थी, पर विषमलैंगिक कृत्यों के अपराधीकरण ने तो अब बलवा फैला दिया. प्रेस और आम जनता ने इस सोच की खिलाफत की कि "चूसने" की क्रिया सिंगापुर के विषमलैंगिकों के लिये पराई थी . दबाव में आकर, सरकार ने कानून की समीक्षा शुरू की. अधिकारियों ने शुरु से ही कहा कि उनकी कोशिश होगी कि महिला और पुरुष के बीच सहमति से हुए मुख मैथुन का आपराधीकरण न किया जाए पर पुरुषों के बीच मुख मैथुन आपराधिक रहेगा.[137]

और ऐसा ही हुआ. यह समीक्षा पूरी दंड संहिता के संशोधन में तब्दील हो गई: पर समलैंगिक आचरण को लेकर ही असली विवाद था. सरकार ने स्वेच्छा से "कामुक संभोग" वाले कानून के प्रावधान को त्याग दिया, जिसमें विषमलैंगिक आचरण भी शामिल था. पर लड़ाई 377 ए पर छिड़ी जहां पुराना लेबोचेयर संशोधन पाठ "पुरुषों के बीच सकल अशालीनता" को आपराधिक करार देता है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सहमति से हुए समलैंगिक आचरण पर प्रतिबंध को समाप्त करने और विषमलैंगिकों को भी मुक्त करने के लिए एक याचिका शुरू की; हजारों लोगों ने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए. एल जी बी टी की हिमायत करने वाले लोग हिम्मत करके सार्वजनिक बहसों में शामिल हुए. पर इन सब के बावज़ूद 2007 में सरकार ने धारा 377A को जारी रखने का निर्णय लिया.

प्रधानमंत्री ली सेन लूंग ने समलैंगिक नागरिकों के लिए व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति व्यक्त की:

---

[136] मार्क बेकर में उद्धरित, "नों ओरल सेक्स प्लीज़,दिस इज़ क्लीन लिविन्ग सिंगापुर," सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड (ऑस्ट्रेलिया), फ़रवरी **18, 2004.**

[137] चान, "ओरल सेक्स - अ केस अॉफ क्रिमिनैलिटी अॉर मोरैलिटी?"

> "हम नहीं चाहते कि वे सिंगापुर छोड़कर और अधिक अनुकूल स्थानों में चले जाएं." लेकिन, उन्होंने आगे कहा कि "समलिंगी सिंगापुर समाज के दिशा निर्धारक भी नहीं बन सकते": सिंगापुर मूलतः एक रूढ़िवादी समाज है. परिवार हमारे समाज की मूल आधारशिला है. यह पहले भी ऐसा रहा है, नीतिगत रूप से हमने इसे मजबूत बनाया है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं. और सिंगापुर में हम "परिवार" के अंतर्गत एक आदमी, एक औरत, उनकी शादी, बच्चे और बच्चों को एक स्थिर परिवार के ढांचे में बड़ा करना समझते हैं.[138]

प्रजनन के संदर्भ के बावजूद, बहस में एक बात तो स्पष्ट थी: कि "प्रकृति"का मुद्दा अब इस बहस से बाहर था. विषमलिंगी यौन कृत्यों में मुख मैथुन का "बच्चों के जन्म" से कोई संबंध नहीं है और यदि कानून की नज़र में वह प्राकृतिक है तो दो पुरुषों के बीच मुख मैथुन को अप्राकृतिक कहने का कोई सुसंगत आधार नज़र नहीं आता.[139] एक टीककार ने लिखा कि,

> मैं विशेष रूप से उन विवादों को शक की नज़र से देखता हूं जहां लोग "प्राकृतिक" होने की आवश्यकता का बहाना लेते हैं: इनका एक भयावह इतिहास रहा है जिसने नस्लवाद, लिंगवाद, होमोफोबिया और विदेशी भीति को जायज़ ठहराया है जिससे हत्याएं हुईं हैं और लाखों लोगों के साथ अत्याचार हुआ है. आखिर प्राकृतिक है क्या? आप कह सकते हैं कि ए की किडनी को बी के शरीर में स्थापित करना अप्राकृतिक

---

[138] "ली सेन लून्ग का धारा 377A पर भाषण ,"www.yawningbread.org/apdx_2007/imp-360.htm (25 अगस्त, 2008 को उपलब्ध)

[139] ली कुआन यू, शक्तिशाली पूर्व प्रधानमंत्री ने तर्क के प्राकृतिक आधारों से संस्कृतिक आधारों में परिवर्तन के बारे में समर्थकों से स्पष्ट रूप से कहा: "आप समलैंगिकता के इस विषय को लें. यह पूरी दुनिया में क्रोधावेष को उठाता है, और यहाँ तक कि अमेरिका में भी. अगर इस तथ्य में सचाई है - और मैं इसे डॉक्टरों से पता कर चुका हूँ - कि लोग आनुवंशिक समलैंगिक होते हैं क्योंकि जीनों की आनुवंशिक यादृच्छिक संचरण की प्रकृति ऐसी ही है, तो वह इसे रोक नहीं सकते. तो क्यों हम इसका अपराधीकरण करें? लेकिन,उनने आगे कहा,"सभी समाजों में इसके खिलाफ मजबूत अवरोध तो हैं ..."स्ट्रेट्स टाइम्स, 23 अप्रैल, 2007, "द ओरैकल फ्रोम सेंट जेम्स" में उद्धरित" www.yawningbread.org/arch_2007/yax-734.htm (15 नवंबर,) 2008 को उपलब्ध.

> है. दरअसल सच्चाई यह है कि किसी क्रिया का प्राकृतिक होना या न होना, उसे आपराधिक बनाने के लिए पर्याप्त वजह नहीं है.[140]

धारा 377A के सबसे कट्टर समर्थकों ने भी उसकी वकालत "प्राकृतिक" मुद्दे पर नहीं की. उन्होंने सामुदायिक मूल्यों का विषय उठाया. एक सांसद ने यूं कहा,

> अगर हम पश्चिम के जंगली और व्यभिचारी यौन लोकाचार की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं तब 377A का हटाया जाना प्रगतिशीलता है. लेकिन हमारा आखिरी गंतव्य वह नहीं है. जो इस कानून को हटाना चाहते हैं, इसका दायित्व उन लोगों पर है कि वे यह साबित करें कि इससे समाज का नुकसान नहीं होगा ..... मूलतः नैतिकता के मामले में हमें विदेशी या नव औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की कोई जरूरत नहीं ह. विषय समलैंगिक गुदा मैथुन हो या विषमलैंगिक गुदा मैथुन, पसंदीदा सामाजिक आचरण के रूप में विषमलैंगिकता कमजोर नहीं होती.[141]

फिर भी एक "पसंदीदा सामाजिक आदर्श" पर निर्भर होना इस कानून के मूल आधार पर आघात करता है, जिसके अनुसार गुदा मैथुन एक विशेष समाज के नियम के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है. और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि "मौलिक नैतिकता के मामले में विदेशी नैतिक साम्राज्यवाद" ही इस कानून को सबसे पहले सिंगापुर में लेकर आया था.

सिंगापुर की कहानी मामले पर से नकाब उतार देती है. यह बताती है कि यद्यपि इसने विषमलैंगिक क्रिया को हमेशा दंडित किया, पर धारा 377 का केंद्रीय उद्देश्य, समलैंगिक आचरण को मिटा देना है. और यह यह भी बताता है कि अब इसके औचित्य का मामला कितना कमज़ोर हो गया है. "प्रकृति"

---

[140] पॉल टैन बैन्ग ह्वी "ओरल सेक्स लॉ डिमीन्स द इनडिविजुअल " स्ट्रेट्स टाइम्स, 10 नवंबर, 2003.

[141] "377A, सार्वजनिक नैतिकता को मजबूती देता है: एन एम पी थिओ ली-एन" द ऑनलाइन सिटिज़ेन 23 अक्टूबर, 2007 http://theonlinecitizen.com/2007/10/377a-serves-public-morality-nmp-thio-li-ann/ (15 अगस्त, 2008 को उपलब्ध) उन्होंने आने वाले अनिष्ट की मानों सूचना देते हुये चेताया कि "जो कहते हैं कि 377A केवल समलैंगिक पुरुषों को दंडित करती है, स्त्रियों को नहीं, वे ध्यान दें, समलैंगिक स्त्रियों के अपराधीकरण की पुकार लगनी शुरू हो चुकी है."

अब एक विश्वसनीय औचित्य नहीं रह गया था. एक विशेष समाज के नैतिक मूल्य ही इसके औचित्य के रूप में बच गए थे. जैसा कि एक मलेशियाई अदालत ने 1979 में घोषित किया था कि (एक पत्नी के दावे को संबोधित करते हुए कि उसके पति के दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध थे): "ऐसी नीच हरकतें जो यद्यपि कुछ पश्चिमी देशों में जायज़ हैं पर इस समुदाय के जीने के तरीके को भ्रष्ट करने के लिए ऐसे आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए".[142]

बेशक, सिंगापुर और मलेशिया की राजनीतिक दमनकारी सरकारों को वास्तव में "समुदाय" को सुनने और उसके आचार का वास्तविक परीक्षण करने की इच्छा सीमित ही थी.[143] दूसरे देशों में भी अस्पष्ट “राष्ट्रीय” और "सांस्कृतिक" मानदंड ही इस औपनिवेशिक कानून के मुख्य बचाव रह गए. औपनिवेशिकों को यौन अाचरण पर कानून की जरूरत थी क्योंकि "मूलनिवासी" भ्रष्ट था और उससे नैतिक भ्रष्टाचार के लिए प्रलोभन था. अब पश्चिम से स्वदेशी मानकों के भ्रष्ट होने का खतरा धिखाई दे रहा था.

जा़म्बिया में 1999 के एक फैसले से यह संकेत मिलता है कि "प्रकृति”, पर आधारित तर्क अब कितना बदजा़यका और कमजोर हो चला है और साथ ही कैसे लोकप्रिय विश्वासों की दुहाई भी बेइमान नज़र आती है. एक स्थानीय अदालत में एक जज ने ,जो उस आरोप की सुनवाई कर रहा था जिसमें कि एक आदमी ने अन्य पुरुषों के साथ मुख यौन संबंध बनाए, धर्मशास्त्र और शारीरिक रचना की भूलभुलैयां के बीच से उस विषय का सामना किया:

---

[142] लिम हुई लियान विरुद्ध सी एम हडलस्टैन 1979 मलायन लॉ जर्नल, वॉल्यूम 2, पृष्ठ संख्या 134.

[143] केवल एक ही सांख्यिकीय अध्ययन नियमित रूप से इस बहस में उद्धरित किया जाता है, जो सिंगापुरीयों के बीच समलैंगिकता के प्रति एक उच्च स्तर की नकारात्मक भावना को तो दर्शाता है. लेकिन इस अध्ययन में यह नहीं पूछा गया कि असल में, वे उन विचारों को आपराधिक दंड में बदलते देखना चाहते हैं या नहीं: बेन्जामिन एच. डेटेम्बर, मार्क चेनाइट, मोज़ेज़ के वाय कू, कैरल पी एल ओन्ग,हेज़ल वाई टोंग, और मैगडालीन एल एच येओ" सिन्गापोरियन्स ऐटिट्यूड्स टुवार्ड्स लेस्बियन एंड गे मेन एंड देयर टॉलरेन्स अॉफ मीडिया पोर्ट्रेयल्स अॉफ होमोसेक्सुएलिटी" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च वॉल्यूम 19, नम्बर 3 (जुलाई 2007), पृष्ठ संख्या 367-79. और देखें केनेथ चान, "गे सेक्सुएलिटी इन सिन्गापुरियन चाइनीज़ पोपुलर कलचर:वेयर हेव अॉल द बॉय्ज़ गॉन" चाइना इनफॉर्मेशन वॉल्यूम 22, नम्बर 2 (जुलाई 2008), पृष्ठ संख्या 305-29.

> निश्चित रूप से मुंह एक योनि के समान नहीं है. भगवान ने प्रत्येक अंग के लिए एक विशिष्ट कार्य दिया है ... मुँह खाने आदि के लिए है, और योनि संभोग और पेशाब के लिए है. ... अभियुक्त भगवान की इच्छा नहीं बदल सका. जिस तरह से उसने बर्ताव किया इससे लगता है कि उसने सोचा कि ईश्वर ने विशिष्ट अंगों को काम देनें में भूल कर दी है.

फिर भी न्याय के लिए निर्णायक कारक के रूप में उसने एक ब्रिटिश कानून का अध्ययन करके, जिसे ज़ाम्बिया में औपनिवेशिक हमलावर द्वारा लगभग एक सौ साल पहले लाया गया था, फैसला दिया कि: "अभियुक्तों का व्यवहार अफ्रीकी रीति के अनुरूप नहीं है."[144]

बलात्कार की अनदेखी और कलंक को बढ़ावा

गुदा मैथुन विरोधी ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून में सहमति अप्रासंगिक है. सन 1982 के एक गुदा मैथुन मामले में अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कहा: "यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पीड़ित अपनी सहमति कभी दे ही नहीं सकता."[145] या जैसा कि एक भारतीय अदालत ने समझाया, कि “धारा 377 के तहत पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है,” मात्र इसलिये कि "अप्राकृतिक कामुक संभोग सभ्य समाज में घृणास्पद है."[146]

इस तरह ,यह सभी कानून, अपने मूल रूप में, पुरुष-पुरुष बलात्कार के बारे में पूरी तरह चुप हैं. एक बुरा प्रभाव यह भी है कि इस तरह के बलात्कार के पीड़ितों को कानून की दृष्टि में सहमति से समलैंगिक कृत्यों में लिप्त लोगों की तरह कलंकित किया जाता है या फिर उनकी तुलना बलात्कारी से की जाती है. कभी कभी उन लोगों को भी आपराधिक दंड दिया जा चुका है जो स्वयं यौन उत्पीड़न के शिकार रहे हैं.

---

[144] "मोर देन अ नेम: स्टेट स्पॉन्सर्ड होमोफोबिया एंड इट्स कॉन्सीक्वेन्सेज़ *इन सदर्न* अफ्रीका" में उद्धरित ,पृष्ठ संख्या 91-92.

[145] राज्य विरुद्ध बाकोबारो, 1982 नाइजीरियन क्रिमिनल रिपोर्ट, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या. 110.

[146] मिहिर विरुद्ध उड़ीसा राज्य, 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ संख्या 488.

सन1973 के पापुआ न्यू गिनी के एक मामले में एक आदमी ने अपने मालिक के खिलाफ उस पर "गुदा मैथुन" करने की शिकायत दर्ज की. पर अंत में एक सहयोगी के रूप में वह स्वयं दोषी करार दिया गया. अदालत ने पाया कि उसने इस डर से खुद पर गुदा मैथुन होने की "अनुमति दी थी" कि विरोध करने पर वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा.[147]

अदालत ने 1952 के एक ब्रिटिश निर्णय को आधार बनाया था जिसने यह फैसला किया था कि "गुदा मैथुन का अपराध चाहे वह आदमी या जानवर के साथ किया गया हो सहमति पर निर्भर नहीं है वह सिर्फ उस कृत्य पर निर्भर करता है. यदि गुदा मैथुन का कृत्य हुआ है तो एक महा अपराध भी हुआ है".[148]

न्यायाधीश प्रेंिट्स ने इससे मिलते जुलते एक अलग निर्णय में लिखा कि "अनुमति" शब्द हमेशा सहमति का द्योतक नहीं होता पर इसका अर्थ यह हो सकता है कि "यदि किसी व्यक्ति ने एक बार अनुमति दी, पीड़ित हुआ, या संभोग को नहीं रोका –यह समझते हुये कि क्या होने वाला है- कृत्य की प्रवृत्ति को जानते हुये- तो कानून के अनुसार वह एक अपराध कर रहा है."[149] न्यायाधीश ने आगे लिखा कि लोगों की रक्षा करना इस प्रावधान का उद्देश्य नहीं था. "गुदा मैथुन" उन्होंने लिखा "एक यौन अशालीनता है जिसे आधुनिक कानून के लेखक निजी सुरक्षा के प्रारूप के रूप में नहीं देखते बल्कि इसे सरकारी तौर पर तय यौन नैतिकता को लागू करने के एक उपाय के रूप में देखा जाता है."

अभ्यास में, अधिकतर अदालतों में संभवत: सहमति के न होने को बचाव के रूप में स्वीकार किया जाता है. जैसा युगांडा की एक टिप्पणी साफ करती है कि "अप्राकृतिक अपराध में सभी प्रतिभागी

---

[147] रेजिना विरुद्ध एम के, 1973 पापुआ न्यू गिनी लॉ रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 204.

[148] सिडनी जोसफ बॉर्न, 1952 क्रिमिनल अपील्स रिपोर्ट, वॉल्यूम 36, पृष्ठ संख्या 125 (यूनाइटेड किंगडम). पापुआ न्यू गिनी का कानून क्वींसलैंड की दंड संहिता पर आधारित था, जो स्पष्ट रूप से, "प्रकृति के नियम के खिलाफ ... एक पुरुष को अपने बारे में कामुक अभिव्यक्ति होने की अनुमति दे", ऐसे व्यक्ति को दंडित करता था.

[149] रेजिना विरुद्ध. एम के, प्रेन्टिस जे.

अपराधी हैं, जब तक कि उनमें से एक सहमति से उसमें शामिल नहीं हुआ है."[150]जितना भी असाधारण हो, पर पापुआ न्यू गिनी का निर्णय यह दर्शाता है सहमति के मुद्दे पर कानून की मूकता किस तरह न्याय का मज़ाक बना देती है.

न्यायालयों द्वारा असहमति से हुए "गुदा मैथुन" के मुकदमों में लगातार पीड़ित की परेशानी की ओर कम या कोई ध्यान न दिया जाना, केवल इस कानून की अप्राकृतिकता ही सिद्ध करता है.[151] और इस कानूनी कमी के कारण मीडिया और आम धारणा में अक्सर “गुदा मैथुन” को बलात्कार से जोड़ दिया जाता है. ज़िम्बाब्वे में जहां कानून इसी तरह का है, एक कार्यकर्ता कहत हैं “सहमति से हुए गुदा मैथुन पर प्रेस में लिखी कहानियां हमेशा यह बताने की कोशिश करती है कि इस क्रिया में किसी का उत्पीड़न हुआ."[152]

मलेशिया में जैसा कि नीचे बताया गया है कि इस अन्याय को दूर करने के लिए दंड संहिता में असहमति से हुए “प्रकृति के खिलाफ कामुक संभोग” को सहमति से हुये कृत्यों से अलग करने की कोशिश की गई है (यद्यपि दोनों स्थितियों में सजा प्रभावी रूप से एक समान ही है.) लेकिन काफी देशों में ब्रिटिश कानून पर आधारित कानून अब भी बलात्कार की परिभाषा को पुरुष जननांग के बलपूर्वक योनि में प्रवेश की क्रिया तक ही सीमित रखते हैं. भारतीय अदालतों में (आज़ादी के पहले और बाद भी) खानू, लोहाना और के गोविंदन मामलों में गुदा मैथुन की परिभाषा को व्यापक बनाया है पर न्यायाधीशों ने बलात्कार के अर्थ को व्यापक बनकर इसे लिंग-तटस्थ बनाने से इंकार किया है.[153]

---

[150] डी डी एन न्सेरेको "युगांडा," इन्टरनैशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉज़,"क्रिमिनल लॉज़" वॉल्यूम 4, भाग 1, अध्याय 7 (परटिक्युलर क्राइम्स),पैरा. 385 (लेदेन: क्लूवर लॉ इन्टरनैशनल, 2006),जोर जोड़ा गया है.

[151] देखो, उदाहरण के लिए, केल्विन फ्रांसिस विरुद्ध उड़ीसा राज्य, 1992 क्राइम्स रिपोर्ट, वॉल्यूम 2, पृष्ठ संख्या. 455 और गुजरात राज्य विरुद्ध बचमिया मूसामिया 1998 गुजरात लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 2, पृष्ठ संख्या 2456.

[152] कीथ गोडार्ड, निदेशक, गेज़ एंड लेस्बियन्स ऑफ जिम्बाब्वे,लॉन्ग 2003, पृष्ठ 289 में उद्धरित.

[153] साक्षी विरुद्ध भारत संघ, 2004 के सुप्रीम कोर्ट केसेज़, वॉल्यूम. 5,पृष्ठ संख्या. 518.

वास्तव में, जैसा कि नीचे देखा जाएगा, मलेशिया, श्रीलंका, और बोत्सवाना में जब बलात्कार की लिंग-तटस्थ परिभाषा बनाने के लिए अांदोलन छेड़ा गया तो उसके परिणामस्वरूप कानून बनाने वालों ने "अप्राकृतिक अपराध" की परिभाषा को बदलकर उसमें महिलाओं के बीच के यौन संबंधों को शामिल कर लिया. इस बीच विधायकों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक मान्यता देने की मांग को बार बार ठुकराया. इससे एक बार फिर विषमलैंगिक वैवाहिक क्षेत्र को कानून की पहुँच से बाहर रखा गया है चाहे वह सहमति से किया "अप्राकृतिक" कृत्य हो या बलात्कार.[154]

---

[154] "सहमति" की परिभाषा ही भारत में गहरे राजनीतिक विभाजन का एक मुद्दा है. आई पी सी के सेक्शन 375 और 376 में, जो कि बलात्कार के विषय पर हैं, "सहमति" के आसपास संचित न्यायशास्त्र है ,जिसमे स्वतंत्रता के बाद भी, महिलाओं की पवित्रता के बारे में िवक्टोरियन मानक प्रतिबिम्बित होते हैं. सन 1970 में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध मामले में दो पुलिस वालों ने अपने स्टेशन पर एक 16 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया. एक स्थानीय अदालत ने पुलिस वालों को बरी कर दिया, क्योंकि लड़की पहले से ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, वह संभोग करने की आभ्यासिक थी, उसकी सहमति विरोध न करने में निहित थी और इस लिये उसका बलात्कार नहीं हुआ था. उच्च न्यायालय के एक निर्णय में, इस निर्णय को पलट दिया गया, और दो स्थितियों में एक अंतर स्थापित करने की कोशिश की गई जिसमें एक तरफ सहमति है, और दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रस्तुति या खतरे की धमकी के कारण असहाय आत्मसमर्पण. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया और दंड भी रद्द हो गया, (ऊपर दिये पापुआ न्यू गिनी के निर्णय की तरह) परिणाम स्वरूप निष्कर्ष यही रहा कि निष्क्रिय विरोध सहमति के बराबर था. इस मामले से एक महिला अधिकार अभियान की शुरुआत हुई, कि एक बलात्कार पीड़ित महिला को "बिना किसी संदेह के" यह साबित करने के लिए कि वह सहमत नहीं थी, मानकों की आवश्यकता को कम किया जाये . अधिवक्ताओं की मांग है कि एक औरत के पूर्वव्यापी दावे को कि वह सहमत नहीं थी,साक्ष्य का बल दिया जाए. सन 1983 में आंशिक आपराधिक कानून सुधारों के तहत इस मानक स्वीकार तो किया गया लेकिन केवल तब, जब बलात्कार हिरासत जैसी स्थिति में हुआ हो, जैसे कि जेल में. लोक सभा (संसद) में बहस के दौरान कुछ सांसदों ने महिलाओं के यौन व्यवहार, और कैसे उनकी रक्षा और नियंत्रण किया जाये, के बारे में अंतर्निहित सामाजिक दृष्टिकोण का खुलासा किया. एक सिरे पर यह सुझाव था कि कुछ महिलाएं संरक्षण के लायक ही नहीं होतीं-एक वक्ता का कहना था, "हम हर समय सुच्चरित्र महिलाओं के ही संपर्क में नहीं आते. हम ऐसी भी कुछ महिलाओं के संपर्क में होते हैं, जो दुर्भाग्य से स्त्रीत्व के सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं है." दूसरे सिरे से दमनकारी मत वाले एक सांसद ने,जो कि अतिवादी संरक्षण का मुखौटा धारण किये था, सुझाव दिया कि एक अविवाहित महिला और पुरुष के बीच किसी भी यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाये, जो कि "हमारी अपनी यौन नैतिकता" के अनुरूप है." निवेदिता मेनन में उद्धरित, "एमबॉडीइन्ग द सेल्फ: फेमिनिज़्म, सेक्सुल वायलेन्स एंड द लॉ," पार्थ चटर्जी और प्रदीप जगनाथन, संपादन में, "कम्युनिटी, जेन्डर एंड वायलेन्स:सबालटर्न स्टडीज़ XI" (न्यू यॉर्क: कोलंबिया विश्वविद्यालय, 2000). और देखें फ़्लैविया ऐगनेस, जर्नी टु जसटिस (मुंबई:मजलिस, 1990). महिला अधिकारों के अधिवक्ता कहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में अभी भी यह विश्वास प्रचलित है कि कुछ महिलाओं को- जो कामुक या "संदिग्ध चरित्र" वाली हैं- यौन हिंसा के खिलाफ संरक्षण की पात्रता नहीं है. देखें ओइशिक सरकार, "वीमेन मेक डिमान्ड्स बट ओन्ली लेडीज़ गेट प्रोटेक्शन" http://infochangeindia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5621 (21 अगस्त, 2008 को उपलब्ध) यह परस्पर

सहमति से हुए और जबरदस्ती से किए कृत्यों में समानता और बच्चों के साथ किए समलैंगिक कृत्य के लिए अलग दंड का प्रावधान न होना समलैंगिकता से जुड़े कलंक को और गहरा करता है. खानू मामले में औपनिवेशिक अदालत ने वयस्कों के बीच सहमति से हुए समलैंगिक कृत्य को बाल यौन अपराधियों से सम्मिश्रित कर दिया. इसने दावा किया कि "गुदा मैथुन कानून इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बिना"युवाओं में कम उम्र में यौन संबंधों से जुड़े विषयों में जुड़ाव" का खतरा बना रहेगा .

यह विचार अब भी जीवित है. भारत के गृह मंत्रालय ने यह चेतावनी दी है कि "धारा 377 का हटाया जाना आपराधिक व्यवहार की बाढ़ ला देगा."[155] धारा 377 के खिलाफ भारतीय याचिका सिर्फ इतनी मांग करती है कि उच्च न्यायालय वयस्कों के बीच सहमति से हुए यौन कृत्यों को पुनर्व्याख्या कर गैर आपराधिक करार दे- और इसमें बालकों की सुरक्षा के लिए बने प्रावधान को सुरक्षित रखे. पर विधि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरी धारा की वकालत करते हुए कहा कि "यह पीडोफाइल (बाल यौन शोषक) और अस्वस्थ मस्तिष्क के लोगों से बचने का एक प्रभावशाली उपाय है".[156]

स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 377 के अंतर्गत हुए अपराध "यौनिक विकृति" हैं.[157] यह समलैंगिकता को अंधाधुंध किसी भी तरह की विकृति से जोड़ने की प्रवृत्ति को ताकत देता है. बहुत पहले, सन1958 में औपनिवेशिक मलेशिया में एक जज ने गुदा मैथुन को स्व एवं पर पीड़न मैथुन से जोड़ा और उन्होंने कहा "दूसरों एवं स्वयं को पीड़ा देना एवं यौनिक विकृति में जाने माने मनोवैज्ञानिक संबंध हैं और इस अपराध के लिए कोड़ों से मारना उपयुक्त सज़ा नहीं है."[158]सन 2001 में एक भारतीय अदालत ने आरोप लगाया कि वही "विकृति" जो यौनिक अपराध की ओर ले जाती है "समलैंगिकता या बलात्कार करने की ओर ले जा सकती है".[159]

विरोधी मानक विशिष्ट हैं: कोई आदमी "गुदा मैथुन" के लिये सहमति दे ही नहीं सकता लेकिन कुछ महिलाएँ किसी भी यौन कार्य करने के लिए सहमति से इंकार नहीं कर सकतीं.

155 नागेन्दर शर्मा, "समलैंगिकों के कोई कानूनी अधिकार नहीं: मंत्रालय," 'हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2008.

156 इबिड.

157 फज़ल रब चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य, 1983 की अखिल भारतीय रिपोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), पृष्ठ संख्या 323.

158 अहमद बिन हसन विरुद्ध लोक अभियोजक, 1958 मलायी लॉ जर्नल, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या 186 (अपील की न्यायालय).

"सकल अभद्रता" एवं महिला समलैंगिकता का अपराधीकरण

ब्रिटिश द्वारा बनाई दंड संहिताओं में "सकल अभद्रता" के मायने काफी लचीले हैं. एक सिंगापुरी अदालत ने कहा है कि "समाज के एक सही सोच वाले सदस्य की सोच के अनुसार ही "सकल अभद्रता" की परिभाषा की जाएगी."[160] इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हुए सन1998 में तंजानिया की दंड संहिता में हुआ एक संशोधन बताता है कि सकल अभद्रता के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो "वास्तविक संभोग से कम हों और इसमें हस्त मैथुन शामिल हो सकता है, इसके अंतर्गत वे अभद्र आचरण भी आ सकते हैं जहां किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं हुआ है."[161] अत: दो पुरुषों का चुम्बन, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक साथ लेटना या एक दूसरे को कामुक भाव के साथ देखने की अटकल भी कानून तोड़ सकती है.

"सकल अभद्रता" अपने ब्रिटिश पूर्वज लेबोचेयर सुधार की तरह सिर्फ पुरुषों के बीच के संबंधों पर नज़र रखती है. इसके विपरीत "कामुक प्रवृत्ति" में, जैसा कि शुरुआती समझ थी, विषमलिंगी क्रियाओं को भी अपने में शामिल किया गया था. दूसरी ओर "कामुक प्रवृत्ति" के विपरीत "सकल अभद्रता" लिंग प्रवेश को अपना हिस्सा नहीं मानती. वास्तव में इस कानून का उपयोग उन पुरुषों को खोजने के लिए किया गया जो पुरुषों के साथ यौन कृत्य करते हैं पर उन्हें जब रेल्वे स्टेशन, पार्क, बार, स्नानघर या व्यक्तिगत घर या अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया उस समय वे किसी यौन क्रिया में रत नहीं थे. इस कानून के द्वारा उन्हें वहां से गिरफ्तार करना संभव हो गया जहां भी वे मिलते या इकट्ठे होते थे. और "कामुक प्रवृत्ति" से भिन्न यहां चूंकि लिंग का प्रवेश साबित नहीं करना होता है इसलिए सबूतों की ज़रूरत कम रह जाती है. यहां किसी फॉरेंसिक परीक्षा या फूल के आकार के गुदा की ज़रूरत नहीं है.

---

[159] पूरन राम विरुद्ध राजस्थान राज्य, 2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ संख्या 91 पैरा 31.

[160] एनजी हुआत विरुद्ध पीपी, 1995 सिंगापुर लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 2 पृष्ठ संख्या 783: एक एक्सरे तकनीशियन पर "सकल अभद्रता" का आरोप लगाया गया ,कथित तौर पर एक रोगी के छाती, निपल्स और नितंबों को छूने के कारण.

[161] तंजानिया संयुक्त गणराज्य के संसद द्वारा पारित यौन अपराधों के विशेष प्रावधान अधिनियम (1998 के अधिनियम नम्बर 4), सेक्शन 3 में, तंजानियाई दंड संहिता में यौन अपराधों से संबंधित कई प्रावधानों को संशोधित किया गया, जिनमे सकल अभद्रता की परिभाषा शामिल थी.

समलैंगिक पुरुषों को दोषी सिद्ध करने में “सकल अभद्रता” की उपयोगिता 1946 के कैप्टन मार्र के सिंगापुर मामले में साफ नज़र आती है.[162] इस नौसेना अधिकारी पर एक भारतीय आदमी के साथ "सकल अभद्रता" करने का आरोप लगा. कोई गवाह नहीं थे,लेकिन पुलिस को कप्तान के कमरे में भारतीय की कमीज मिली. ऐसे परिस्थितिजन्य सबूत की बिना पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया.

अधिकारी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को “सकल अभद्रता” कहने के लिए स्वतंत्र हैं. इस परिभाषा में धोखेबाजी की संभावना बनी रहती है. यह “अप्राकृतिक" यौन कार्य और एक निश्चित तरह की पहचान के बीच कानूनी पुल का काम करता है: जिसमें "समलैंगिक" को एक अपराधी के रूप में देखा जाता है. यहां समलैंगिकता "व्यक्तिगत स्थिति” का अपराध बन जाता है."अप्राकृतिक कृत्य" की यह व्यापक समझ राज्य और पुलिस को व्यापक स्तर पर उत्पीड़न करने का परमिट दे देती है. समलैंगिक को क्रिया करते हुए पकड़ने की ज़रूरत नहीं है: पूर्वाग्रह के आधार पर की गई कल्पना या पोशाक , आचार या मित्रता यदि एक विशेष प्रकार के हों तो इतना ही काफी है.[163]

"सकल अभद्रता" का उपयोग महिलाओं के बीच यौन कृत्यों को आपराधिक दंड देने के लिए भी किया जा चुका है. औरतों के बीच समलैंगिक यौन को अंग्रेजी कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कभी सजा दी नहीं गई. खानू मामले में औपनिवेशिक अदालत ने “कामुक प्रवृत्ति" से महिलाओं को अलग रखा क्योंकि “एक औरत में लिंग की कमी होती है”. एक ताजा युगांडाई व्याख्या कहती है कि "महिलाएं जो आपस में यौन क्रिया करती हैं उसे मौजूदा कानून के अनुसार पकड़ा नहीं जा

---

[162] रेक्स विरुद्ध कप्तान डगलस मार्र, 1946 मलायन लॉ जर्नल, वॉल्यूम. 1,पृष्ठ संख्या 77.

[163] सन 1957 में युगांडा के एक मामले में दिखायी दिया कि कैसे स्टीरियोटाइप और प्रकल्पना - नस्लों के बीच संबंधों के बारे में, साथ ही साथ यौन संबंध के विषय में भी - "गुदा मैथुन" के मामले में निर्णायक सबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं." एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक "देशी" चरवाहे को एक शिलिंग और कुछ चीनी तोहफे के रूप में दी. यह "विशेष अनुग्रह" असाधारण था, और दोनों लोगों के बीच की वर्ग असमानता की छाया में, "गुदा मैथुन" का अनुमान होता था, जिसके कारण अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया. होयले विरुद्ध रेजिमैन, आपराधिक अपील संख्या 242,1957 युगांडा लॉ रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 314-321.

सकता क्योंकि उनके पास ऐसा कोई यौन अंग नहीं है जिससे वे एक दूसरे में प्रवेश कर सकें"[164] बगैर प्रवेश के यौनिक संभोग "वास्तविक" यौनिक संभोग नहीं है.[165]

पुरुषों के बीच, इसे हालांकि यौन संबंध जैसा कुछ निरूपित किया गया और इसे "सकल अभद्रता" के योग्य पाया गया. कोई कारण नहीं था कि यही तर्क महिलाओं के संबंध में क्यों नहीं लागू किया गया. कुछ आधुनिक सरकारें यह चाहती थीं कि स्त्रियों की समलैंगिक क्रिया एवं पहचान को आपराधिक कानून के अंतर्गत लाया जाए. बलात्कार कानूनों में सुधार के बारे में सार्वजनिक बहस के माध्यम से उन्हें इसका मौका मिला. 1980 के दशक के अाखिर में मलेशियाई महिला आंदोलन ने बलात्कार की एक नई लिंग-तटस्थ परिभाषा एवं वैवाहिक बलात्कार को अापराधिक कानून के दायरे में लाने के लिए अभियान चलाया था.[166]आंशिक रूप से उनके अभियान के कारण सन1989 में विधायकों ने दंड संहिता में परिवर्तन की पहल की.[167]

अंत में, हालांकि, विधायकों ने बलात्कार पर कानून के आधुनिकीकरण की मांग की उपेक्षा की और बदले में अपना ध्यान धारा 377 की जांच की ओर बढ़ाया. उनके व्यापक पुनर्लेखन ने इस धारा को 5 हिस्सों में बांट दिया और इसके अर्थ और पहुँच को व्यापक विस्तार दिया, जैसा पहले कभी नहीं था. उनका बहाना क्या था? वे कहते हैं कि असहमति से हुआ "प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग" नाम के नए अपराध को जोड़कर बलात्कार को प्रभावी रूप से लिंग-तटस्थ बनाया जा

---

[164] लिलियन टिबाटेम्वा -एकिरिकुबिन्ज़ा , क्रिमिनाल लॉ इन युगांडा में: सेक्सुअल एसॉल्ट एंड अॉफेन्सेज़ अगेन्स्ट मौरैलिटी(कंपाला: फाउन्टेन सीरीज इन लॉ एंड बिजनेस स्टडीज, 2005 में), पृष्ठ संख्या 97.

[165] सिलविया तमाले"अाउट अॉफ द क्लॉज़ेट अनवेलिन्ग सेक्सुएलिटी िडसकोर्स इन यूगांडा," फेमिनिस्ट अफ्रीका (फरवरी 2003), http://www.feministafrica.org/index.php/out-of-the-closet (3 सितंबर 2006 को उपलब्ध).

[166] जैग वॉ नामक महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त कार्य समूह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया. उनका प्रारंभिक प्रस्ताव था कि अतिरिक्त सेक्शन 375A को दंड संहिता में शामिल करा जाये, यौनिक संभोग की पुनर्व्याख्या इस प्रकार करने के लिए: "(ए.) यौन संबंध का होना, जिसमें किसी भी व्यक्ति की गुदा या योनि में प्रवेश हुआ हो 1 एक अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से द्वारा 2. एक वस्तु के द्वारा जो कि एक अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो, अलावा उन मामलों के जहां प्रवेश उचित चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है (बी.) यौन संबंध का होना, एक व्यक्ति के मुंह में एक लिंग के किसी भी हिस्से के प्रवेष द्वारा (सी.) भग चूषण. बेन्ग हुई,"वन स्टेप फोरवार्ड, टू स्टेप्स बैक" वॉल्यूम. 11,नंबर 1 (2006).

[167] दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम 1989 (1989 का अधिनियम A727).

सकता है.[168] नए प्रावधान में बच्चों को यौन दुरुपयोग से बचाने के लिए सीमित सुरक्षा की पेशकश भी की गई.[169] लेकिन इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन थे:

- एक ब्रिटिश व्युत्पन्न विधायी प्रावधान में पहली बार "कामुक संभोग" को स्पष्ट रूप से दोनों, गुदा और मुख मैथुन के रूप में परिभाषित किया गया था.
- एक विडंबना ही थी कि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की मांगों से विद्रूप करते हुए "सकल अभद्रता" के अपराध को लिंग-तटस्थ कर दिया गया.[170] यह अब विषमलिंगी जोड़ों के साथ साथ समलैंगिक और उभयलिंगी महिलाओं पर भी लागू किया जा सकता था.[171]

---

[168] इसकी सज़ा -पांच से 20 साल की कैद-सहमति से हुए समलैंगिक कृत्यों के दंड के लगभग बराबर ही थी, पर एक औरत के एक आदमी के द्वारा बलात्कार की सजा के बराबर भी थी: "377A. प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग. कोई व्यक्ति यदि अन्य व्यक्ति के गुदा या मुंह में लिंग के प्रवेष से यौन संबंध स्थापित करता तो प्रकृति के नियम के खिलाफ शारीरिक संभोग करता माना जाता है. स्पष्टीकरण: प्रवेष का होना इस खंड में वर्णित यौन संबंध के स्थापित होने से हुये अपराध का किया जाना मानने के लिये पर्याप्त है. 377B. प्रकृति के नियम के खिलाफ शारीरिक संभोग करने के लिए सजा-जो कोई भी स्वेच्छा से प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग करता पाया जायेगा वह कारावास का दंड पायेगा जो कि बीस साल तक का हो सकता है और वह कोड़े खाने की सजा के लिए भी उत्तरदायी होगा. 377C.बिना सहमति के प्रकृति के नियम के खिलाफ शारीरिक संभोग करने के लिए सजा-जो कोई भी स्वेच्छा से प्रकृति के नियम के खिलाफ किसी और व्यक्ति की सहमति के बिना, या उसकी मर्जी के खिलाफ, या उसे मृत्यु या चोट का डर दिलाकर, उसके साथ कामुक संभोग करता पाया जायेगा वह कारावास का दंड पायेगा जो कि कम से कम पाँच साल, और अधिकतम बीस साल तक का हो सकता है और वह कोड़े खाने के लिए भी उत्तरदायी होगा.

[169] "कामुक संभोग" पर प्रावधानों में वयस्कों और बच्चों के बीच कोई भेद न करना जारी रखा गया. केवल नए 377E में बच्चों की सुरक्षा के लिये विशिष्ट प्रावधान था,"सकल अभद्रता के कृत्य के लिये बच्चे को भड़काना: कोई व्यक्ति, जो एक चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपने या किसी और के साथ सकल अभद्रता के किसी भी कार्य के लिये उकसाता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक का हो सकता है,और वह कोड़े खाने की सजा के लिए उत्तरदायी होगा. लेकिन 16 वर्ष से कम की एक लड़की के साथ यौन संबन्ध स्थापित होने पर ("बलात्कार" धारा 375 के तहत) दंड कहीं अधिक है- पांच से 20 साल तक का कारावास. बालकों के प्रवेश के द्वारा बलात्कार का संहिता में विशिष्ठ उल्लेख नहीं था.

[170] "सेक्शन 377D: शालीनता का उल्लंघन: कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या निजी रूप से, किसी अन्य व्यक्ति के साथ सकल अभद्रता की किसी भी कार्रवाई को करता है, या करने में मदद करता है, या खरीदता है या किसी से करवाने के लिये खरीदने की कोशिश करता है, उसे दो साल तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है."

[171] हालांकि, इस व्याख्या को अपनाने में, न्यायालयों की गति धीमी रही है. सन 1998 तक भी, एक अदालत का कहना था कि सेक्शन 377D का उद्देश्य केवल पुरुषों के बीच "सकल अभद्रता" दंडित करना था. सुकमा दर्मावान सस्मितात माद्रा विरुद्ध केटुअा पेन्गाराह पेन्जारा, मलेशिया और अनोर, 1998 मलायी लॉ जर्नल, वॉल्यूम. 4,पृष्ठ संख्या 742. मलेशिया में इस बीच, इस्लामी शरिया कानून के परिचय से नये या समानांतर यौन अपराध निर्मित हुये हैं. कुछ राज्यों ने शरिया प्रवर्तन अधिनियमितियों को भी लागू किया है जिसके अंतर्गत न केवल लिवत, या, गुदा मैथुन, बल्कि मुसहक, जिसे दो "महिला व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों" के रूप में

इसी तरह का प्रतिगामी बदलाव श्रीलंका में बलात्कार कानून में भी हुआ. धार्मिक और साम्प्रदायिक मूल्यों की दुहाई देते हुए राज्य ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की गर्भपात को कानूनन करने, वैवाहिक बलात्कार का आपराधीकरण करने और बलात्कार कानून को लिंग-तटस्थ बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया. लेकिन, उन्होंने "सकल अभद्रता" कानून को लिंग-तटस्थ बना दिया और अब यह महिलाओं के बीच यौन कृत्यों के मामले भी लागू किया जा सकता था.[172]

इस बीच, 1998 में बोत्सवाना में, विधायकों ने लिंग- समानता हासिल करने के लिए किए गए सामान्य संशोधन के तहत दोनों ब्रिटिश दंड संहिता व्युत्पन्न प्रावधानों "कामुक प्रवृत्ति" और "सकल अभद्रता" में लिंग-तटस्थ भाषा का प्रयोग किया.[173]

परिभाषित किया है, दोनो दंडनीय हैं, और इनकी सजा़ तीन साल तक का कारावास, और या जुर्माना निर्धारित की गई है: देखें शरिया आपराधिक अपराध (संघीय प्रदेश) अधिनियम 1997, सेक्शन 26.

[172] एक कार्यकर्ता का तर्क है कि श्रीलंका में "महिला समलैंगिकों के अापराधीकरण" का कारण न केवल यह है कि यौन व्यवहार को कानून के सामने वर्गीकृत करने में "स्पष्टता का अभाव" है, पर "पुरुष समलैंगिकता और पीडोफिलिया के बीच भ्रम" के कारण यह मामला कलंकित है. : यासमीन तामबियाह, रियलाइज़िन्ग विमेन्स सेक्सुअल राइट्स: चैलेन्जेज़ इन साउथ एशिया " नॉर्डिक जर्नल अॉफ इनटरनैशनल लॉ, नम्बर 67 (1998), पृष्ठ संख्या. 97-105.

[173] लॉग 2003, पृष्ठ संख्या. 272-74.

v निष्कर्ष: गैर अपराधीकरण की मुक्तिदायिनी संभावनाएं

तथाकथित "गुदा मैथुन" कानून का उद्देश्य क्या है?

दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के न्यायविद एल्बी सैक्स ने अपने देश में गुदा मैथुन कानून को उलट देने के ऐतिहासिक निर्णय के समर्थन में लिखा :

> विश्लेषण शुरू करने के पहले यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि गुदा मैथुन के खिलाफ कानून वास्तव में किस को सजा दे रहा है. इस क्रिया को, या व्यक्ति को? विनियामक नियंत्रण के बाहर वह आचरण जो कि सार्वजनिक रूप से स्थापित मानदंड से भिन्न है आमतौर पर तभी दंडनीय है जब यह या तो हिंसक है, बेईमान है, धोखाधड़ी या किसी अन्य तरह से सार्वजनिक शांति भंग करे , या इससे चोट पहुंचने की आशंका हो. लेकिन पुरुष समलैंगिकता में एक कथित विचलन की सजा दी जाती है मात्र इसलिये कि वह विचलन है. यह अपनी कथित प्रतीकात्मकता के कारण दबाया जाता है बजाय इससे साबित नुकसान के लिये. .. इस प्रकार, यहां गुदा मैथुन की निंदा नहीं है ... बल्कि गुदा मैथुन करने वाले की; जिसने कोई सिद्ध सामाजिक क्षति नहीं की है पर जो विषमलिंगी प्रभुत्व के लिये समलैंगिक कामुकता का प्रतिनिधि होने के कारण अपने आप में एक खतरा है.[174]

कानूनी विद्वान डेन कहान ने लिखा है कि "गुदा मैथुन कानून, तब भी जब वे लागू न किये जा रहे हों, नागरिकों के कुछ वर्गों के लिए अवमानना व्यक्त करते है."[175]यह अवमानना केवल प्रतीकात्मक नहीं है. रियान गुडमेन ने दक्षिण अफ्रीका में गुदा मैथुन कानून के निरस्त किये जाने के पहले

[174] नेशनल कोएलिशन फॉर गे एन्ड लेस्बियन ईक्वालिटी विरुद्ध न्याय मंत्री और अन्य. 1999 (1) दक्षिण अफ्रीका 6 (संवैधानिक न्यायालय) पृष्ठ संख्या 108.

[175] डेन एम कहान, "द सीक्रेट एम्बिशन ऑफ ड़िटेरेन्स" हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम 113 (1999), पृष्ठ संख्या 413.

समलैंगिकों के साथ किए व्यापक साक्षात्कारों पर आधारित अपने अनुसंधान में पाया कि इन विधाओं के एकाधिक "सूक्ष्म स्तर" के दुष्प्रभाव हुए हैं. यह प्रभाव कानून के लागू किये जाने की प्रक्रिया से स्वतंत्र हैं. इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रवर्तन के बिना भी कानूनी किताबों में इनकी उपस्थिति मात्र से घोषित असमानता बढ़ जाती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में हीनता की भावना दृढ़ होती है और कुछ लोगों को यह दूसरे दर्ज़े का नागरिक बनाती है.

गुड़मैन लिखते है कि यह कानून "समलैंगिकों को उनकी कामुकता के संदर्भों की श्रृंखला से भी आगे बढ़ कर अन्य क्षेत्रों में उनको अशक्त करते हैं (उदाहरण के लिए, एक पडोसी से विवाद की स्थिति में या शोषितों के रूप में या किसी चोरी की घटना में). इनका दुष्प्रभाव ज्ञान के अन्य क्षेत्रों पर भी होता है: "समलैंगिक प्रथाओं के अपराधीकरण का संस्थागत प्राधिकरण के अन्य रूपों जैसे धर्म और चिकित्सा पर भी असर पड़ता है."यह विधाएं सामाजिक और सांस्कृतिक ठेकेदारों को समलैंगिकों को अपराधी कह सकने की ताकत में इज़ाफा करती हैं. गुडमेन का निष्कर्ष है कि "राज्य के गुदा मैथुन कानून के अधीन समलैंगिक व्यक्ति से सम्बन्ध में ... एक सर्वत्र व्यापी निरीक्षण और निगरानी तंत्र की रचना होती है. इस संरचना में संवेदनशील जनता को विदित है कि समलैंगिक सामाजिक और कानूनी रूप से अपराधी माने जाते हैं".[176]

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक युग के गुदा मैथुन कानून अंततः विशेष कृत्यों के लिए दंड नहीं बने, वे तो सामाजिक नियंत्रण के व्यापक उपकरण बन गए. वे शुरूआत में हमलावर शक्तियों द्वारा जारी किये गये आदेश थे - एक विदेशी ढांचा जो कि शासित आबादियों को वश में करने के लिए खड़ा किया गया- और समय के साथ वे तथाकथित रूप से मौलिक नैतिक बोध के दर्पण में तब्दील हो गये. आज इनका उपयोग राज्य उन लोगों को अलग करने और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए करती है जो स्थापित मानदंडों के परे जीते हैं. ये जन विभाजन और शक्ति प्रदर्शन के उपकरण मात्र बन कर रह गये हैं.

---

[176] रियान गुडमेन "बियॉन्ड द एनफोर्स्मेन्ट प्रिन्सिपल :सोडोमी लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल पेन ऑप्टिक्स "कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू, वॉल्यूम 89, नम्बर 3 (मई 2001), पृष्ठ संख्या 643-740.

इस रिपोर्ट में गुदा मैथुन कानून का असली प्रभाव छह देशों से चुनी इन कहानियों से साफ होता है कि किस तरह वे कानूनी कार्यवाही के लिए लोगों को चुन चुन कर ढूँढ़ते हैं और उन्हें हिंसा के अन्य रूपों और शोषण का आसान शिकार बना देते है.

भारत

जुलाई 2001 में, लखनऊ में पुलिस ने दो उन संगठनों से चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो कि पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के बीच एच आई वी/एड्स से लड़ रहे थे. नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल (एन एफ आई) के लखनऊ कार्यालय और भरोसा ट्रस्ट के एच आई वी/एड्स कार्यकर्ताओं पर धारा 377 के साथ आपराधिक षड्यंत्र और "अश्लील सामग्री की बिक्री" का आरोप लगाया गया: पुलिस ने एड्स के बारे में जानकारी बांटने की व्याख्या एक समलैंगिक "सेक्स रैकेट" चलाने के रूप में की.

वे 47 दिनों के लिए जेल में रखे गए. लखनऊ के एक न्यायाधीश ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन पर "पूरे समाज को प्रदूषित" करने का आरोप है. इस मामले में अभियोजक ने समलैंगिकता को "भारतीय संस्कृति के खिलाफ " बताया. जेल में गार्ड ने उन्हें धमकी दी और उन्हें पीटा; पुलिस ने कैदियों से. कहा कि वे " समलैंगिकता को बढ़ावा देकर हमारे देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे" और यह कि "हिंदुओं में यह प्रथाएं नहीं है - यह सब मुसलमानों की विकृतियां हैं."[177]

जनवरी 2006 में लखनऊ में उसी पुलिस अधीक्षक की निगरानी में धारा 377 के अंतर्गत चार और पुरुषों को गिरफ्तार किया गया: पुलिस का कहना था कि वे एक सार्वजनिक जगह में "सैर सपाटे में लगे थे" और उन पर एक "अंतर्राष्ट्रीय समलैंगिक क्लब" से संबंधित होने का आरोप लगाया. इस

[177] "एपिडेमिक ऑफ अब्यूज:पुलिस हैरासमेन्ट ऑफ एच आई वी / एड्स आउटरीच वर्कर्स इन इन्डिया," ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट, 2002.

मामले में एक वकील ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि पुलिस के गुप्त एजेंटों ने एक इंटरनेट चैट रूम में लॉग इन कर के समलैंगिक पुरुष होने का नाटक किया और एक पीड़ित को मिलने के बहाने फंसा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. हिरासत में उन्होंने उसे तब तक धमकाया, जब तक वह कई परिचितों को फोन करके एक बैठक की व्यवस्था करने के लिये सहमत न हुआ. सब के आने पर पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया. प्रेस रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि पुलिस को लखनऊ में 18 से 40 अन्य समलैंगिक पुरुषों के मोबाइल टेलिफोन नंबर या अन्य परिचयात्मक जानकारी प्राप्त हुई है और वे भारत में सैकड़ों अन्य लोगों की छानबीन कर रहे थे, जिन्होंने इस वेबसाइट पर लॉग इन किया था.[178]

धारा 377 के अन्तर्गत भारत में पुलिस को एल जी बी टी लोगों के खिलाफ उत्पीड़न, लूट, गिरफ्तारी,बिना रिपोर्ट के मनमाने रूप से नजरबंदी के लिये एक बहाना मिलता है[179] *यह कानून महिला समलैंगिकों के लिए भी सामाजिक कलंक की स्थिति पैदा करता है. 2006 में नई दिल्ली में एक 21 वर्षीय महिला के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की महिला समलैंगिक साथी ने उसका "अपहरण" कर लिया है. एक मजिस्ट्रेट ने यह कह कर बेटी के इस बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह अपनी मरजी से पैतृक घर छोड़ कर गई थी, कि " लगता है...यहां धारा 377 के तहत भी एक अपराध हुआ है जिसको छुपाया जा रहा है."*[180]

---

[178] ह्यूमन राइट्स वॉच, "भारत के प्रधानमंत्री श्री सिंह को लखनऊ में समलैंगिक आचरण के आरोप में चार पुरुषों की गिरफ्तारी पर पत्र" जनवरी 10 ,2006.

[179] लैंगिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन : बंगलौर के बारे में पी यू सी एल -के की तथ्य-खोजी रिपोर्ट, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ -कर्नाटक, (पी यू सी एल -के) फरवरी, 2001, www.pucl.org/Topics/Gender/2003/sexual-minorities.pdf, और परालिंगी समुदाय के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन :बंगलौर, भारत में कोठी और हिजड़ा यौन कर्मियों पर एक अध्ययन" पी यू सी एल -के, सितंबर 2003.

[180] "इंटरवेंशन अनुप्रयोग" वॉइसेज अगेन्स्ट 377 (नागरिक समाज के समूहों का एक गठबंधन) द्वारादिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका संख्या 7455/2001, धारा 377 को सहमति से हुये समलैंगिक कृत्यों के खिलाफ लागू करने पर चालू चुनौती में दर्ज.

भारत में समलैंगिक पुरुषों और स्त्रियों के जबरन मनोरोग अस्पतालों में नजरबन्द किये जाने और उन्हें अनैच्छिक अरुचि थेरेपी लेने के लिये और अन्य तरीकों से मजबूर करने की रिपोर्ट भी आती रहती हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को विषम लैंगिक यौनिकता की ओर "परिवर्तित" करना होता है.

अप्रैल 2001 में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने घोषणा की कि वह एक ऐसे मामले का "संज्ञान लेना नहीं चाहता था" जिसमें इन चिकित्सकीय दुरुपयोगों पर आपत्ति जताई गई हो. आयोग ने कहा कि "यौन अल्पसंख्यक अधिकार मानव अधिकारों के दायरे में नहीं आते."[181] कथित रूप से आयोग के एक सदस्य ने प्रेस को बताया, "समलैंगिकता आई पी सी के तहत एक अपराध है, है कि नहीं? तो, क्या आप चाहते है कि हम एक अपराध का संज्ञान लें ?"[182]

पाकिस्तान

2006 के अन्त में, फैसलाबाद में,शुमाइल राज और शेहजीना तारिक ने एक समारोह में शादी की जो तारिक के शब्दों में एक "प्रेम विवाह "है." शुमाइल राज एक औरत के रूप में जन्में लेकिन वह खुद को एक आदमी के रूप में देखते है.

मीडिया और अंततः अदालतों के माध्यम से इस मामले के द्वारा एक सार्वजनिक आतंक फैल गया . राज ने अपने चुनिन्दा लिंग से शारीरिक मेल के लिये दो ऑपरेशन करवाये थे. लेकिन फिर भी समाचार की सुर्खियों में उन्हें, "दो लड़कियों का जोड़ा", "एक ही-सेक्स का जोड़ा" या दो"लड़कियों " या "समलैंगिक स्त्रियां," वर्णित कर उनकी शादी से इंकार करते हुए उसे देश का पहला समलैंगिक विवाह कह कर दुष्प्रचारित किया.[183]

---

[181] ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2002, "लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रान्सजेन्डर राइट्स" पृष्ठ संख्या 605.

[182] नारायण 2004, पृष्ठ संख्या 89 में उद्धरित.

[183] जेसिका स्टर्न, "एन आइडेन्टिटी अन्डर स्क्रुटिनी" डॉन (पाकिस्तान), 21 जून, 2007, http://hrw.org/english/docs/2007/06/21/pakist16231.htm.

शेहजीना तारिक के पिता ने शादी के बारे में पुलिस से शिकायत की, और उन्होंनें धारा 377 के अंतरगत एक जांच शुरू की. जब इस दंपत्ति को उच्च न्यायालय लाहौर में पेश किया गया तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज एक आदमी है.

अंत में अदालत ने न्यायालयिक डाक्टरों के पैनल से कानूनी पहचान के द्वारा इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की. ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा उल्लेख किया गया है, "यहां शुमाइल राज की व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार, उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की सुरक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण था उसकी पूरी दाढ़ी और पुरुषोचित शारीरिक गठन के इतिहास को जानना."[184]

अंततः सरकारी वकीलों ने इस जोड़ी पर धारा 377 के अंतर्गत आरोप न लगाने का निर्णय लिया. राज की लैंगिक पहचान से जुड़ी अनिश्चितता, और कानूनी अस्पष्टता कि क्या कानून का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है जब अधिकारियों को यह संबंध समलैंगिक दिखाई देता है, मिल कर मामले में निर्णय लेने में आडे आईं. जाहिर है कि इस प्रावधान से मुद्दा कलंकित हो ही गया और छानबीन के लिये भीषण सार्वजनिक दबाव बना. 28 मई 2007 को, एक अदालत ने दोनों को शपथ लेकर यह झूठ बोलने पर कि शुमाइल राज एक आदमी है,तीन साल की सजा सुनाई. जज का कहना था कि सजा "उदार" थी.[185]

श्रीलंका

सन 1995 में जब महिलाओं के बीच यौन सम्बन्धों को भी आपराधिक और दंडनीय घोषित किया गया तो घृणा पूरित दबाव का वातावरण फैल गया. एल जी बी टी सहायता समूह के एक नेता को मौत की धमकियों की वजह से देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पडा.[186] सन 2000 में जब समलैंगिक स्त्रियों का एक सम्मेलन द्वीप पर आयोजित किया गया था, एक समाचार पत्र ने

---

184 इबिड.

185 "एक ही लिंग के जोडे को झूठी गवाही के लिए जेल," द न्यूज (पाकिस्तान), 29 मई, 2007; मोनिका इजाम, “अमानवीय समाज के पीड़ित" डॉन, 21 जून, 2007.

186 क्लोई अर्नोल्ड में उद्धरित, "श्री लंकाज़ गेज़ शेयर देयर जर्नी" बीबीसी समाचार, मई 20, 2005.

संपादक को एक पत्र छापा, कि प्रतिभागियों का बलात्कार करना चाहिये, "ताकि उन व्याभिचारी, पथभ्रष्ट औरतों को असली उत्तेजना के स्वाद और आनन्द का स्वाद पता चले".

प्रेस परिषद नें, जो कि एक राजकीय संस्था है, इस अखबार के खिलाफ एक शिकायत को अस्वीकार कर दिया. उनका कहना था कि "समलैंगिकता हमारे कानून में एक अपराध है. उन्होंनें यह भी कहा कि स्त्री समलैंगिकता कम से कम सकल अभद्रता और अप्राकृतिक तो है ही". उन्होंनें आगे कहा कि:

> *स्त्री समलैंगिकता स्वयं परपीड़क और कामुक विषय है. ऐसी गतिविधियों के खिलाफ राय का प्रकाशन परपीड़ा या कामातुरता को बढ़ावा देनें के समान नहीं है. यही नहीं ऐसे आयोजन के समर्थन में राय का प्रकाशन हिंसा, परपीड़ा या कामातुरता को स्पष्ट बढ़ावा देनें के समान है. इसलिए, शिकायतकर्ता ही परपीड़ा और कामातुरता को बढ़ावा देनें के लिए उत्सुक है न कि उत्तरदाता.*

ऊपर से परिषद ने शिकायतकर्ता पर, जो कि सम्मेलन के आयोजकों में से एक थे, जुर्माना भी ठोक दिया.[187]

सिंगापुर

सिंगापुर पुलिस समय समय पर समलैंगिक आचरण पर हमला करने के लिए अपने कानूनों का उपयोग साउना सहित दूसरे समलैंगिक सभा स्थानों पर छापे मार कर करती है: 2001 में एक छापे के बाद चार आदमियों पर प्रारंभ में धारा 377A के अंतर्गत आरोप लगाया गया, बाद में आरोप विविध अपराध, धारा 20 (सार्वजनिक व्यवस्था और उपद्रव अधिनियम) के अधीन चला गया. इसके बाद उनपर तगड़ा जुर्माना भी लगा.[188]

---

[187] अंतरराष्ट्रीय गे और लेस्बियन मानव अधिकार आयोग, "राष्ट्रीय प्रेस परिषद के अनुसार लेस्बियनिज्म एक परपीड़ाजनक क्रिया " http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/globalactionalerts/769.html (28 अगस्त, 2008 को उपलब्ध)

[188] 600 सिंगापुर डॉलर, उस समय अमेरिका के $400 के बराबर: देखें "एक सात और धारा 20 में गिरफ्तारियां" http://www.yawningbread.org/arch_2001/yax-248.htm.

इसके बाद अप्रैल 2005 में फिर छापे डाले गये.[189] ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी सुनियोजित आधिकारिक अभियान का आयोजन नहीं किया गया पर स्थानीय कार्यकर्ता बताते है कि इस कानून के तहत निचले दर्जे के अधिकारियों को बार बार छापे डालने के बहाने ब्लैकमेल करने का लालच रहता है. यह प्रावधान निहितार्थ रूप से मनमाने व्यवहार को बढ़ावा देते हैं.[190]

सरकार अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दबावों के प्रति जागरूक है. इसलिये वह कभी कभी भेदभाव करने के खिलाफ होनें के संकेत देती रहती है, लेकिन धारा 377A के लिए उसकी प्रतिबद्धता के कारण यह अर्थहीन हो जाते हैं. सन 2003 में, प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि सिविल सेवा नौकरियां समलैंगिक लोगों के लिए खुली हैं. क्रिश्चियन समूहों ने इस बात पर सख्ती से आपत्ति की, और संसद एवं प्रेस में एक विरोध अभियान प्रारंभ किया.[191] दो वर्ष बाद, जब एक अनुसंधानकर्ता ने इस बारे में जानने के लिए सिविल सेवकों का साक्षात्कार लिया कि क्या उस वादे का कोई असर पड़ा या नहीं तो उसे सार्वभौमिक रूप से एक ही उत्तर मिला- "नहीं." शोधकर्ता ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रधानमंत्री का बयान "सिंगापुर में संभावित आप्रवासियों को आकर्षित करने के लिए की गई लच्छेदार बातचीत के अलावा और कुछ नहीं था."[192]

पुलिस सिंगापुर में सभी सार्वजनिक या राजनीतिक घटनाओं पर सख्त नियंत्रण रखती है. सन 2004 में उन्होंनें समलैंगिक साहित्य पर एक थिएटर ग्रुप द्वारा सेमिनार आयोजित करने पर

---

189 "समलैंगिक साउना में चार लोग सिंगापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार" यूटोपिया-एशिया डॉट कॉम, http://www.utopia-asia.com/unews/article_2005_05_3_114741.htm (28 अगस्त को उपलब्ध), और "सिंगापुर पुलिस ने समलैंगिक साउना में छापे डाले,मालिक गिरफ्तार" टॉपिक्स डॉट कॉम, http://www.utopia-asia.com/unews/article_2005_05_3_114741.htm (28 अगस्त को उपलब्ध),एक सिंगापुर कार्यकर्ता द्वारा ह्यूमन राइट्स वॉच को ई मेल, 20 नवंबर, 2008.

190 स्कॉट लॉन्ग, ह्यूमन राइट्स वॉच, को एक सिंगापुर कार्यकर्ता से ई मेल, जो अपना नाम खुलासा नहीं करना चाहता, 20 नवंबर, 2008.

191 एम. निर्मला, "गे बैकलैश," स्ट्रेट्स टाइम्स, 23 जुलाई, 2003.

192 क्रिस के के टैन, "टर्निंग द लायन सिटी पिन्क :इन्टरॉगेटिन्ग सिंगापुर्स न्यू गे सिविल सर्वेन्ट स्टेटमेन्ट " अप्रकाशित दस्तावेज, प्रस्तुति बैंकाक, जुलाई 2005 में, सेक्सुएलिटीज, जेन्डर्स एंड राइट्स एशिया सम्मेलन, http://bangkok2005.anu.edu.au/papers/Tan.pdf (28 अगस्त, 2008 को उपलब्ध)

प्रतिबंध लगाया.[193] अधिकारियों ने समलैंगिक आत्मसम्मान सम्मेलनों के लिए भी अनुमति देनें से इंकार कर दिया. सेंसरशिप द्वारा एल जी बी टी लोगों के जीवन के बारे में चुप्पी साधे रखने के लिये बाध्य किया जाता है.[194] सन 2004 में, राज्य फिल्म बोर्ड ने एक रोमांटिक तायवानी कॉमेडी पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि यह अपनी समलैंगिक विषयवस्तु से "एक समलैंगिक स्वप्नलोक का भ्रम" पैदा कर रही थी.

जहां ...कोई बुराई या समस्याएं प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं. "[195] सन 2008 में अधिकारियों ने सिंगापुर के एक टीवी स्टेशन पर जिसने एक समलैंगिक जोंडे और उनके बच्चे को एक शो में दिखाया था यह आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया कि यह "एक समलैंगिक जीवन शैली को बढ़ावा देता है."[196] उन्होंनें एक केबल स्टेशन के वाणिज्यिक प्रसारण पर भी जुर्माना लगाया जिसमे दो महिलाओं को चुंबन करते हुये दिखाया गया था क्योंकि "टीवी विज्ञापन दिशा निर्देशों के अनुसार... विज्ञापनों में समलैंगिकता को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं है".[197]

यद्यपि शायद इसका सबसे गंभीर दुष्प्रभाव यह है कि राज्य एल जी बी टी समूहों के संगठनों को रजिस्टर करने के सभी प्रयासों को अस्वीकार करती है. एक कार्यकर्ता की शिकायत है, "इस कानून से एक मुर्गी और अंडे की तरह की समस्या पैदा हो गई है. यह एक दुधारी तलवार की तरह काम

---

[193] "सिंगापुर पुलिस द्वारा समलैंगिक साहित्य सेमिनारों पर प्रतिबंध," 11 मार्च, 2004, एम2 बेस्ट बुक्स, http://findarticles.com/p/articles/mi_moKNB/is_2004_March_11/ai_n25084816 (28 अगस्त,2008 को उपलब्ध).

[194] सेंसर करने की सरकार की शक्ति भारी भरकम है, लेकिन कई एजेंसियों के बीच इसे बिखरा देनें से मानक ही अनिश्चित और अप्रत्याशित हो जाते हैं-लेखक या कलाकार सदा अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं कि न जाने सीमा रेखा कहां खींच दी जाए. देखें एलेक्स ऑ "मेकिन्ग सेन्स ऑफ सेंसरशिप इन सिंगापुर " फ्राइडे डॉट कॉम, 30 जनवरी, 2007, http://www.fridae.com/newsfeatures/article.php?articleid=1846&viewarticle=1 (28 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

[195] "सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सिंगापुर ने लोकप्रिय समलैंगिक उन्मुख तायवानीज फिल्म पर रोक लगाई," ताइपेई टाइम्स, 23 जुलाई, 2004.

[196] "सिंगापुर सेंसर ने स्थानीय टीवी स्टेशन पर समलैंगिक जोड़ी दिखाने पर जुर्माना ठोका" इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, अप्रैल 24, 2008.

[197] सिंगापुर मीडिया विकास प्राधिकरण का बयान, "स्टार हब केबल विजन पर टीवी विज्ञापन संहिता के उल्लंघन का जुर्माना" http://www.mda.gov.sg/wms.www/thenewsdesk.aspx?sid=861 (28 अगस्त, 2008 को उपलब्ध.

करता है- गैर अपराधीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए समलैंगिक समुदाय को संगठित होने की जरूरत है, लेकिन एक 'आपराधिक कृत्य' की रक्षा के लिए आयोजन समलैंगिक लोगों और उनके समर्थकों को रक्षात्मक स्थिति में ले आता है."[198] एक सिंगापुरी समलैंगिक नेता ने ह्यूमन राइट्स वॉच को 2008 में बताया कि "वैधता के अभाव में, जब भी हम थोड़ा भी संगठित होते है, हम साथ में कानून तोड़ रहे होते हैं."[199]

युगांडा

युगांडा सरकार ने सालों से समलैंगिक आचरण के अपराधीकरण का इस्तेमाल युगांडाई लोगों को धमकी देने और परेशान करने के लिये किया है. 1998 में, राष्ट्रपति यौवेरी मुसेवेनी ने एक सम्मेलन में प्रेस से कहा, "कुछ समय पहले की बात है, मैंनें अमेरिका में 300,000 समलैंगिक लोगों की एक रैली को देखा. पर अगर 20 समलिंगी भी यहाँ एक रैली करेंगे, तो मैं इसे होने नहीं दूंगा " अपनी बात रखते हुये, जब प्रेस ने अगले साल युगांडा में दो पुरुषों के बीच शादी की एक रिपोर्ट (गलत) छापी, मुसेवेनी ने प्रजनन स्वास्थ्य पर एक सम्मेलन में कहा कि "मैंनें इस रिपोर्ट की जानकारी सी आई डी (अपराध जांच विभाग) को दी है ताकि वे समलैंगिकों को खोज खोज कर जेल में बंद करें और उन पर मुकदमा चलाया जाये". आदेशानुसार पुलिस ने कई संदिग्ध समलैंगिक पुरुषों और स्त्रियों को गिरफ्तार किया, उनको यातनायें दी; जिनमें से अधिकतर बाद में देश छोड़कर भाग गए .[200]

इसी प्रकार, अक्टूबर 2004 में, देश के सूचना मंत्री, जेम्स साबा बुटोरो ने पुलिस को "एक समलैंगिक संघ" के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया, जो कि कथित तौर पर युगांडा के माकेरेरे विश्वविद्यालय में संस्थापित थी. 6 जुलाई 2005 को न्यू विजन ने, जो कि एक

---

[198] रसेल हियान्ग केन्ग हेन्ग, " कोठरी से बाहर आते कदम: सिंगापुर में समलैंगिक समुदाय के सामने आने के पहले और बाद की कहानी " जेरार्ड सुलिवेन और पीटर ए जैक्सन, संपादक, गे एंड लेस्बियन एशिया: कल्चर,आइडेन्टिटी, कम्युनिटी (बिन्गहैम्टन एन वाय: हैरिन्गटन पार्क प्रेस, 2001), पृष्ठ संख्या 90.

[199] स्कॉट लॉन्ग, ह्यूमन राइट्स वॉच, को सिंगापुर के एक कार्यकर्ता की ई मेल से जो कि अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता, 5 अगस्त, 2008

[200] ह्यूमन राइट्स वॉच, मोर देन अ नेम, पृष्ठ संख्या 50-51.

सरकारी अखबार है, अधिकारियों से आग्रह किया कि वह समलैंगिकता को समाप्त करे: "पुलिस को उन अड्डों में जाना चाहिये जिनके बारे में प्रेस में जानकारी दी जाती है और इन विकृत प्रवृत्ति वाले लोगों पर निगरानी रख कर, उन्हें गिरफ्तार कर, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए." उन्होंनें आगे लिखा कि " संबंधित सरकारी विभागों को अनैतिकता जिनमे पुरुषों और स्त्रियों में समलैंगिकता, अश्लीलता आदि शामिल हैं, को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों को प्रतिबंधित या गैर कानूनी करार देना चाहिये"उसी महीने स्थानीय सरकार के अधिकारियों ने विक्टर मुकासा, एक एल जी बी टी कार्यकर्ता और मानव अधिकार और यौन अल्पसंख्यक युगांडा (एस एम यू जी) के अध्यक्ष के घर पर छापा मारा. वहां उन्होंनें कागजात जब्त कर लिये और एक दूसरी समलैंगिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया और रात भर नहीं छोड़ा.[201]

एल जी बी टी कार्यकर्ताओं ने अगस्त 2007 में कंपाला में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया और एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया जिसका नाम था, "हमें शांति से जीने दो". अगले दिन, बुटोरो नें, जो कि अब नैतिकता और सत्यनिष्ठा मंत्री थे, बीबीसी से कहा कि समलैंगिकता "अप्राकृतिक" है . उसने एल जी बी टी लोगों के पुलिस उत्पीड़न के इल्जाम से इन्कार किया लेकिन तुरत ही धमकाते हुये कहा, "हम उन्हें जानते हैं, हमारे पास वे कौन हैं इसका विस्तृत विवरण है". चार दिन बाद, प्रेस ने घोषणा की है कि अटॉर्नी जनरल ने समलैंगिक स्त्रियों और पुरुषों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. "संबंधित एजेंसियों को मेरा आव्हान है कि वे समलैंगिकता के खिलाफ उचित कार्रवाई करें क्योंकि युगांडा के नियमों के तहत वह एक अपराध है" कथित रूप से उन्होंने कहा. "दंड संहिता समलैंगिकता और अन्य अप्राकृतिक कृत्यों को बेशक दंडित करती है."[202]

मीडिया इस डर को और तीव्र करती है. अगस्त 2007 में, युगांडा के अखबार रेड पेप्पर ने 45 कथित समलैंगिक पुरुषों की एक सूची प्रकाशित की जिसमें उनके नाम, कार्यस्थल के पते और अन्य

---

[201] ह्यूमन राइट्स वॉच, "युगांडा: प्रेस में होमोफोबिया से आक्रामक कार्यवाही की आशंका बढ़ी: समलैंगिक समुदायों के खिलाफ सरकारी अभियान में जोर" 8 सितंबर, 2006.

[202] ह्यूमन राइट्स वॉच, "युगांडा: राजकीय होमोफोबिया से स्वास्थ्य और मानवाधिकार को खतरा: सरकारी उत्पीड़न से एच आई वी महामारी में योगदान, "23 अगस्त, 2007.

पहचान की जानकारी दी गई थी. ऐसा करने से पीड़ितों को नौकरी से हाथ धोने या अन्य हिंसा का जो खतरा पैदा हुआ, उसके विषय में अखबार का कहना था कि वह " राष्ट्र को दिखाना चाहते थे कि... किस तेजी से गुदा मैथुन का भयानक विष हमारे समाज को खाता जा रहा है."[203]

नाइजीरिया

स्थानीय सुर्खियों के अनुसार नाइजीरिया के संघीय गुदा मैथुन कानून के तहत निरंतर गिरफ्तारियां होती रहती हैं: "पुलिस द्वारा समलैंगिकता का भांडा फूटने पर विवाहित आदमी ने ' बुरी आत्मा ' को अधर्मी कृत्य का जिम्मेदार बताया."[204], या "कुकृत्य में पकड़ा: 28-वर्षीय समलैंगिक ओ पी सी द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार".[205]

नाइजीरिया के उत्तरी प्रांतों से अधिकांश में अब अपनी ही दंड संहिता है. इनमें स्वतंत्रता मिलने के समय से अपनाये गये उत्तरी नाइजीरिया दंड संहिता के तत्वों के साथ इस्लामी कानून के सिद्धांतों का संयोजन किया गया है.[206]

कानो और जमफारा राज्यों की दंड संहिता ने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रावधानों की भाषा यथावत अपना ली है और "प्रकृति के नियम के खिलाफ कामुक संभोग" पर गुदा मैथुन की जगह शरिया की भाषा से मिलता जुलता नाम "लिवत" रखा है. इसमें अविवाहित अपराधियों के लिए 100 कोड़ों की सजा है, और शादी शुदा लोगों के लिए पत्थर मार कर मौत की सजा का प्रावधान है. जम्फारा दंड

---

[203] ह्यूमन राइट्स वॉच, "युगांडा: प्रेस में होमोफोबिया से आक्रामक कार्यवाही की आशंका बढ़ी".

[204] द सन (नाइजीरिया), 27 जून, 2003.

[205] सन्डे पन्च (नाइजीरिया), 10 अगस्त, 2003 (साथ में आदमी के चेहरे का चित्र था जिसमें केवल उसकी आँखों को काला रंग दिया था).

[206] ऐतिहासिक रूप से संहिताकरण की पूरी अवधारणा ही शरिया कानून के लिए परायी है पारंपरिक रूप से चार सुन्नी स्कूलों में आवश्यकता के अनुरूप न्यायविदों के निर्णयों में ही यह सन्निहित है. उत्तरी नाइजीरिया में शरिया के अधिवक्ताओं ने जिस तरह संहिताओं का अक्षरश: पालन करना आरंभ कर दिया है उससे पता चलता है कि वहाँ अब भी औपनिवेशिक विरासत के अवशेष बाकी हैं.

संहिता में औरतों में समलैंगिकता (सिहग) को भी अपराध माना है जिसकी अधिकतम सजा 50 कोडे और छह महीने की कैद तय की गई है:

> *जो भी महिला होते हुये एक और महिला के साथ यौन अंग के माध्यम से कामुक संभोग, या उत्तेजना या यौन कृत्यों के माध्यम से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने की प्रक्रिया द्वारा शारीरिक संबंध में लिप्त होती है, उसने समलैंगिकता का अपराध किया है. ... यह अपराध महिला यौन अंगों के अस्वाभाविक संलयन से, और या प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उत्तेजना या यौन संतुष्टि हासिल करने के प्रयोग द्वारा प्रतिबद्ध है."*[207]

उत्तरी क्षेत्रों में न्यायालयों ने इस संयुक्त शरिया कानून और औपनिवेशिक कोड के अंतर्गत समलैंगिक आचरण के लिए मौत की सज़ा दी है, यद्यपि उस पर अमल होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है. संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष संवक्ता ने इस मामले पर सन 2005 में अपनी नाइजीरिया यात्रा पर, प्राणदंड के किसी न्यायेतर, मनमाने अमल की जांच के अन्तरगत कानो जेल में सजायाफ्ता कैदियों से, जो कि सज़ा पर अमल का इन्तजार कर रहे थे, मिलने का निवेदन किया:

> *उनमें से एक 50 साल का आदमी पत्थर मार कर मारे जाने का इंतजार कर रहा था. उसे गुदा मैथुन का दोषी ठहराया गया था.*
>
> *एक पड़ोसी ने स्थानीय हिसबाह समिति को [जो कि संवक्ता के अनुसार अधिकतर युवा पुरुषों का समूह है जो अपराध को रोकने के उद्देश्य से आस पास के इलाकों में गश्त लगाते हैं और शरिया के खिलाफ संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप देते हैं] यह जानकारी दी, जिसने एक नागरिक गिरफ्तारी की और*

---

[207] देखें जम्फारा की दंड संहिता का अनुच्छेद 135 http://www.zamfaraonline.com/sharia/chaptero8.html (25 अगस्त, 2008 को उपलब्ध). और देखें "शरिया में राजनीति? उत्तरी नाइजीरिया में मानव अधिकार और इस्लामी कानून" ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट, 2004.

उसे पुलिस को सौंप दिया. उसका दावा था कि उसे पुलिस व हिसबाह समिति के सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से पीटा गया. सरकारी अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने अपराध स्वीकार किया, लेकिन अदालत से माफी मांगी. उसे कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिला और समय के भीतर अपील करने में वह विफल रहा है. विशेष संवक्ता ने बाद में कुछ ऐसे कदम उठाये कि देर से ही सही एक अपील दर्ज की गई. इस मामले की अब समीक्षा की जा रही है.

दिसंबर 2005 में कैट्सीना शरिया अदालत ने दो अन्य पुरुषों को बरी किया जिनपर गुदा मैथुन के अपराध का आरोप था क्योंकि वहाँ कोई गवाह नहीं मिले. उन्होंनें तब तक रिमांड पर छह महीने जेल में बिता लिए थे . न्यायाधीश का कहना था कि अब उन्हें याद रहेगा कि " उन्हें चारित्रिक स्थिरता बनाये रखना है और अनैतिकता के किसी भी रूप से विरत रहना है."[208]

हालांकि संघीय और राज्य स्तर पर पहले से ही कठोर प्रावधान मौज़ूद थे पर नाइजीरिया की सरकार ने इससे भी और आगे जाने की कोशिश की. जनवरी 2006 में, राष्ट्रपति कार्यालय ने "एक ही लिंग के विवाह (निषेध) अधिनियम" नाम से एक नए कानून का प्रस्ताव रखा. लेकिन यह नाम भ्रामक था: इस कानून की पहुँच शादी से कहीं आगे जाती थी. इसके अनुसार किसी भी "जुलूस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया द्वारा, शारीरिक रूप से, सीधे, अप्रत्यक्ष या अन्यथा एक ही लिंग के कामुक रिश्ते के सार्वजनिक प्रचार" को दंडनीय माना गया, समलैंगिक या समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेना भी इसमें शामिल था. दंड की अवधि पांच साल निर्धारित की गई. समलिंगी जोड़ों के विवाह को समर्थन या मदद देने वाले व्यक्ति, पुरोहित, या "समलैंगिक क्लब, समितियों या संगठनों के पंजीकरण या पोषण में, जुलूस या बैठकों में, एक ही लिंग के कामुक संबंधों का सीधे या परोक्ष सार्वजनिक या निजी तौर पर प्रचार करने वाला" इस कानून के अनुसार

---

[208] "एक्सट्रा ज्युडिशियल, समरी, ऑर आरबिट्रेरी एक्सीक्यूशन्स, रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल रैपोर्टेयर, मिस्टर फिलिप ऐल्सटन, मिशन टु नाइजीरिया" 7 जनवरी, 2006, E/CN.4/2006/53/Add.4, पृष्ठ संख्या 21-24.

दंडनीय होगा. इसके अलावा मानवाधिकार रक्षक जो कामुकता के मुद्दों पर काम करते हैं, या स्त्री या पुरुष समलैंगिक जोड़ों को केवल एक दूसरे के हाथ पकड़ने के लिये इस कानून के अन्तर्गत कारावास भेजा जा सकता है.[209]

सन 2007 की शुरुआत में यद्यपि हड़बड़ी में इस बिल को राष्ट्रीय असेंबली के माध्यम से लागू करने की कोशिश की गई लेकिन अंततः यह बिना मतदान के लागू नहीं हो सका. हालांकि, किसी भी समय इसे पुनर्जीवित किया जा सकता था. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया ने खुले तौर पर समलैंगिक आचरण में लिप्त लोगों की हत्या के लिए आव्हान दे कर अपने अभियान को जारी रखा है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, सितम्बर 2006 में नाइजीरिया ने इस धारणा का मज़ाक उड़ाया कि "समलैंगिकता जैसे अपराध के लिए प्राणदंड अत्यधिक कठोर सजा है". एक नाइजीरियाई राजनयिक ने कहा," हो सकता है कि इस तरह के गंभीर अपराधों और कुत्सित आचरणों में दंड कुछ के अनुसार असंगत और नागवार हैं पर वही दूसरों के अनुसार उपयुक्त और न्यायसंगत हो सकता है."[210]

यहां नाइजीरिया पर समाप्त करना उपयुक्त होगा क्योंकि 2006 का नाइजीरियाई विधान, जो कि समलैंगिक जीवन और समलैंगिक पहचान के सभी पहलुओं को अापराधिक करार देता है- मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता निर्धारण के माध्यम से हुई शुरुआत की पराकाष्ठा है. अपने व्यापक प्रावधानों के कारण यह विधान दुनिया के समलैंगिक विरोधी कानूनों में सबसे कठोर होनें का दम भरता है. यह उस प्रक्रिया की सफलता है जिसमें एक क्रिया को दंडित करने से एक पूरे समुदाय पर दबाव बनाया गया.

---

[209] ह्यूमन राइट्स वॉच, "नाइजीरिया: समलैंगिकों के खिलाफ विधेयक लोकतांत्रिक सुधार के खिलाफ चुनौती: होमोफोबिक विधान से वाक स्वातंत्र्य, संगठन, सभाओं पर पाबन्दी," 28 फरवरी, 2007.

[210] "मानवाधिकार परिषद सत्र 2 में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों का संग्यान" ए आर सी अंतरराष्ट्रीय (2006); मानवाधिकार परिषद की वेबसाइट, http://www.ohchr.org पर उपलब्ध.

यह विरोधाभास है कि एक लोकतांत्रिक सरकार ने इस दमनकारी विधान को स्वदेशी मूल्यों का आवरण पहनाया हालांकि वास्तव में वह पुरानी अलोकतांत्रिक औपनिवेशिक विधियों को ही बढ़ावा दे रही थी. नाइजीरियाई न्याय मंत्री ने 2006 में कहा " समलैंगिक संबन्ध मूलतः गैर अफ्रीकी अवधारणा है." एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने उसी सुर में कहा "आशा की जाती है कि यह प्रगतिशील विधान समलैंगिकता पर रोक लगाने में सक्षम होगा, जो कि ऐसा पथभ्रष्ठ सामाजिक व्यवहार है जिसे तेजी से पश्चिमी देशों में स्वीकृति प्राप्त हो रही है." [211]

गुदा मैथुन कानून समाज में सभी को निगरानी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, प्रोत्साहित करते हैं जो कि पुलिस और राज्य के अधिकारियों की महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल है. शायद इसी कारण बड़ी संख्या में उपनिवेशवाद से उबरे देशों ने आधुनिक राज्य की राष्ट्रवादी बयानबाजी के हिस्से के रूप में गुदा मैथुन कानूनों को संग्रहित करके ग्रहण किया है. अधिकारियों ने इन प्रावधानों को संसदों और अदालतों में इस झूठे विश्वास से, कि वे प्रामाणिक राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक हैं, लगातार परिष्कृत और दृढ़ किया.

सत्तावादी आवेग से संचालित नाइजीरिया जैसे इन कानूनी कदमों के पीछे हालांकि, सहमति से समलैंगिक यौन आचार के गैर अपराधीकरण की मुक्तिदायिनी संभावनाओं का अनुमान मिलता है.

कानून में सुधार के लिए यह अभियान केवल अंतरंगता के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि भेदभाव, अनावरण, गिरफ्तारी, अनाधिकृत निषेध और उत्पीड़न के डर के बिना एक जीवन जीने के लिए है. इस सुधार से उस कानूनी व्यवस्था के विभेद,विघटन और विभाजित करने की शक्ति सीमित होगी, जिसका दुरुपयोग अधिकारों के रक्षकों पर हमला करने, आत्मबोध और पहचान के अपराधीकरण और सभ्य समाज को प्रतिबंधित करने के लिये किया जाता है.

---

[211] बेयो ओजो, न्याय मंत्री, और "नाइजीरिया फर्स्ट" अखबार, दोनों "नाइजीरिया: सरकार ने समलैंगिक शादी पर प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रस्ताव रखा "आई आर आई एन अफ्रीका, 20 जनवरी, 2006, में उद्धरित http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=57879 (26 अगस्त, 2008 को उपलब्ध).

गुदा मैथुन कानूनों को हटाने से मानव अधिकार और सम्मान की पुष्टि होगी. इसके द्वारा एक ऐसी ऐतिहासिक गलती का सुधार होगा जिसे याद रखना समय की मांग है. उपनिवेशवाद की विरासत को अब सांस्कृतिक प्रामाणिकता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए. सिंगापुर से एक कार्यकर्ता लिखते हैं: "आश्चर्य है "कि लाखों लोगों ने इस हद तक अवशोषित विक्टोरियन छद्म लज्जाशीलता को अपना लिया है कि अब भी जब उनके देश स्वतंत्र है और वे सब खुश हैं और उन्हें इस ब्रिटिश बंधन से मुक्ति पर गर्व हैं तब भी वे पूरी शक्ति से इन कानूनों का बचाव करते हैं". उनका निष्कर्ष है कि "ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज क्यों न डूब चुका हो, लेकिन यह साम्राज्य अब भी जीवित है."[212] साम्राज्य के इन आखिरी गढ़ों का समय अब पूरा हो चला है।

[212] "द मैप्स टेल" http://www.yawningbread.org/arch_2004/yax-350.htm (15 अगस्त, 2006 को उपलब्ध).

अनुशंसाएँ

सभी सरकारों के लिये,उनके लिए भी जिन्हे समलैंगिक आचरण को आपराधिक करार देने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून विरासत में मिले

- सभी कानून जो वयस्क समलैंगिकों के बीच सहमति से हुई यौन गतिविधि को आपराधिक दर्जा देते है उन्हें निरस्त किया जाए.
- सुनिश्चित किया जाये कि वयस्कों के बीच सहमति से हुई समलैंगिक यौन गतिविधि को दंडित करने के लिए सामान्य अनुप्रयोग में आपराधिक और अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जाए.
- बलात्कार के अपराध को लिंग तटस्थ तरीके से परिभाषित कर उसे कानूनी जामा पहनाया जाये जिससे कि पुरुषों का पुरुषों द्वारा और महिलाओं का महिलाओं द्वारा बलात्कार भी इस परिभाषा में शामिल हो और इसकी एक समान सज़ा हो.
- ऐसे कानून बनाये जाएँ जिनमें स्पष्ट रूप से बच्चों के बलात्कार या यौन शोषण को आपराधिक करार दिया जाए.
- गैर विषमताकारी सिद्धांत के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन गतिविधि की पात्रता के लिये सहमति की उम्र समलिंगी और विषमलिंगी यौन क्रियाओं में एक समान हो.
- ऐसा कानून निरस्त किया जाये जो लिंग -पहचान को पोशाक, भाषण या व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त करने से रोकता हो या उसका आपराधीकरण करता हो या उस व्यक्ति को अपनी लिंग-पहचान व्यक्त करने के लिये अपने शरीर में परिवर्तन करने का मौका देने पर प्रतिबंध लगाता हो.

संयुक्त राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए

- सन1971 के सिंगापुर संयुक्त राष्ट्रमंडल सिद्धांतों की घोषणाओं के अनुरूप, जो कि "व्यक्ति की स्वतंत्रता", एवं "सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार" की पुष्टि करते है, और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी" देते है", उन सभी बचे हुए ब्रिटिश उपनिवेशिक कानूनों की

भर्त्सना की जाए और उन्हें रद्द करने की मांग की जाए जो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से हुए यौन संबंध को आपराधिक करार देते हैं.

- सदस्य राष्ट्रों को अपने कानूनों में अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाने में मदद के रूप में संयुक्त राष्ट्रमंडल कार्यक्रम को उन्हें बढ़ावा देना चाहिये कि वे आपसी सहमति से हुये वयस्क समलैंगिक आचरण को गैर आपराधिक करार दे.
- इसके अलावा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बलात्कार, यौन शोषण और बच्चों के संरक्षण के लिए, एक लिंग तटस्थ कानून का ढांचा विकसित करना चाहिये.
- पुलिस सहित संयुक्त राष्ट्रमंडल के सभी मानव अधिकार संबंधित शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियों में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के मुद्दों का एकीकरण करें.

संयुक्त राष्ट्रसंघ और संबंधित मानव अधिकार व्यवस्थापकों के लिए

- संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति के 1994 में टूनेन विरुद्ध आस्ट्रेलिया में लिये निर्णय के अनुरूप शेष सभी कानून जो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से हुई यौन गतिविधि को आपराधिक करार देते हैं, उनकी निन्दा की जानी चाहिये, और उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवाज उठानी चाहिये, चूंकि वे गोपनीयता और समानता के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन है.

आभार

यह रिपोर्ट आलोक गुप्ता द्वारा लिखी गई है इसका शोध भी उन्होंने ही किया है. वे ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए सलाहकार हैं . शोध और लेखन में स्कॉट लौंग ,निदेशक समलैंगिक, उभयलिंगी, और परालिंगी (एल जी बी टी) अधिकार कार्यक्रम, ह्यूमन राइट्स वॉच, का भारी योगदान रहा. ह्यूमन राइट्स वॉच में, अफ्रीका प्रभाग की शोधकर्ता मारिया बर्नेट और कोरीन दुफ्का और एशिया डिवीजन में शोधकर्ता मीनाक्षी गाँगुली द्वारा इसकी समीक्षा की गई . दीना पो केम्पनर सामान्य वकील, और जो सॉनडर्स, कार्यक्रम उप निदेशक द्वारा *इसका संपादन किया गया.* जेसिका ओयनियन ने प्रोडक्शन सहायता प्रदान की. ग्रेस चोइ और फिट्जरॉय हेपकिन्स ने प्रोडक्शन के लिए रिपोर्ट को तैयार किया.

ह्यूमन राइट्स वॉच इन सभी की सलाह और सहायता के लिए आभारी है: लॉयर्स कलेक्टिव एच आई वी/एड्स यूनिट, मुंबई, भारत; आल्टर्नेटिव लॉ फोरम, बंगलौर, भारत; वॉइसेज अगेन्स्ट 377,भारत; और एलेक्स ऑ, डुमा बोको, विक्रम डॉक्टर, इसाबेल गुडमेन, सिडनी मालुपान्डे, डेरेक मेटीजेक, ऐलिस मिलर, अरविंद नारायण, ओलिवर फिलिप्स, जैफ रेडिन्ग, जेसिका स्टर्न, और अश्विनी सुकथान्कर जिन्होने जानकारी प्रदान की या पांडुलिपि पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की . पीटर रोजेन्ब्लम, जो कोलंबिया विश्वविद्यालयके लॉ स्कूल में मानव अधिकारों के सहयोगी क्लिनिकल प्रोफेसर हैं, ने कानून पुस्तकालयों को कानूनी अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया. रीड विलियम्स को इस काम में उदारता से सहायता के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच का धन्यवाद .

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद स्मिता चौधरी द्वारा किया गया.हिन्दी अनुवाद की प्रूफ़ रीडिंग में मदद के लिए हम जया शर्मा और तरुनभ खैतान का आभार प्रकट करते हैं.